लोक-सभा

वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड १७, १९६३/१८८५ (शक)

[१३ से २४ अप्रैल, १९६३/२३ चैत्र से ४ वैशाख, १८८५ (शक)]

चौथा सत्र, १९६३/१८८४-८५ (शक)

(खण्ड १७ में अंक ४१ से ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

विषय-सूची

[तृतीय माला खण्ड १७-अंक४१ से ५०–१३ से २४ अप्रैल, १९६३/२३ चैत्र से ४ वैशाख, १८८५ [शक]

अंक ४१—शनिवार, १३ अप्रैल, १९६३ / २३ चैत्र, १८८५ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ८३९ से ८४४, ८४६ से ८५१ और ८५३ से ८५७.	४०८७—४११५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४६ और ८४५	४११५–१६
अतारांकित प्रश्न संख्या १७९४ से १८४३	४११६—३९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
नवजान स्टेशन के निकट ११ अप्रैल, १९६३ को एक विशेष सैनिक रेल-गाड़ी पर नागा विद्रोहियों द्वारा गोली चलाया जाना.	४१३९—४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४१४२–४३
प्राक्कलन समिति	
छब्बीसवां और सत्ताईसवां प्रतिवेदन.	४१४३–४४
सभा का कार्य.	४१४४—४६
राजभाषा विधेयक—पुरःस्थापित	४१४६—६०
अनुदानों की मांगें	
इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय	४१६१—७५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
उन्नीसवां प्रतिवेदन	४१७६
क्षेत्रों के विकास में विषमता के बारे में संकल्प.	४१७६—८८
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	४१८८—९७
दैनिक संक्षपिका	४१९८—४२०२

अंक ४२—सोमवार, १५ अप्रैल, १९६३/२५ चैत्र, १८८५ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५८ से ८६८, ८७१ और ८७३	४२०३—३०
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७०, ८७२, ८७४, ८७५ और ८७७	४२३०—३२
अतारांकित प्रश्न संख्या १८४४ से १८९५ और १८९७ से १९०३.	४२३२—५७

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . .	४२५८
संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन. . . .	४२५८
सभा का कार्य	४२५८-५६
अनुदानों की मांगें	४२५६—६७
इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय. . . .	४२५६—८२
आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय .	४२८२—६७
दैनिक संक्षेपिका . .	४२६८—४३०१

अंक ४३—मंगलवार, १६ अप्रैल, १९६३/२६ चैत्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७८ से ८८५, ८८७ से ८८६ और ८६१ से ८६३	४३०३—२५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ८६०, ८६४ से ८६८ . . .	४३२५—२८
अतारांकित प्रश्न संख्या १६०४ से १६७७ . . .	४३२८—५८
सदस्य द्वारा हिरासत के लिये समर्पण	४३५६–६०
प्राक्कलन समिति	
छत्तीसवां प्रतिवेदन . . .	४३६०
अनुदानों की मांगें	४३६०—४४०६
आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय .	४३६०—८५
संसद् कार्य विभाग	४३८५—६७
वित्त मंत्रालय	४३६७—४४०६
दैनिक संक्षेपिका	४४०७—११

अंक ४४—बुधवार, १७ अप्रैल, १९६३/२७ चैत्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ८६६ से ६०१, ६०३ से ६०६ और ६१२ से ६१४	४४१३—३५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०२, ६११ और ६१५ से ६१६ . .	४४३५—३७
अतारांकित प्रश्न संख्या १६७८ से २०२८ और २०३० से २०३७	४४३८—६०

विषय — पृष्ठ

अनुदानों की मांगें

वित्त मंत्रालय . . . . ४४६०—४५०३

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर . . . . . ४५०४—०५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . . ४५०५—०६

सशस्त्र पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय राष्ट्रजनों का कथित अपहरण

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४५०७

प्राक्कलन समिति ४५०७

अट्ठारहवां प्रतिवेदन . . . . . .

चीनी की स्थिति और उस से निबटने के लिये किये गये उपायों के बारे में वक्तव्य . ४५०७—१०

तारांकित प्रश्न संख्या ६६४ के उत्तर में शुद्धि . ४५१०

सदस्य के द्वारा वक्तव्य के बारे में ४५१०

समितियों के लिये निर्वाचन ४५१०

(१) प्राक्कलन समिति

(२) लोक लेखा समिति

लोक लेखा समिति से राज्य सभा के सदस्यों को सम्बद्ध करने के बारे में प्रस्ताव . . . . ४५११—१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४५१३—१७

अंक ४५—गुरुवार, १८ अप्रैल, १९६३/२८ चैत्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९२० से ९३४ . . . . . ४५१९—४४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . . . ४५४४—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९४० . . . . . ४५४८—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २०३८ से २०७६ . . . ४५५१—६७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ४५६७—६९

(१) आंध्र तट के पास अज्ञात जहाजों का देखा जाना

(२) अमेरीका और ब्रिटेन को प्रतिरक्षा शिष्टमंडल

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . ४५६९—७०

प्राक्कलन समिति

इकत्तीसवां प्रतिवेदन ४५७०

सदस्य द्वारा वक्तव्य . . . . ४५७०—७२

विषय	पृष्ठ
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६३—पुरःस्थापित .	४५७२
वित्त विधेयक, १९६३ . .	४५७२—४६१४
विचार करने का प्रस्ताव	
दैनिक संक्षेपिका	४६१५—१९
अंक ४६—शुक्रवार, १९ अप्रैल, १९६३/२९ चैत्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ९४१ से ९५१ और ९५३ से ९५७ .	४६२१—४८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . .	४६४८—५२
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ९५२ और ९५८ से ९६५ . .	४६५३—५७
अतारांकित प्रश्न संख्या २०७८ से २१०२, २१०४ और २१०६ से २१२२.	४६५८—७६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	४६७६–७७
मिठानी और श्रीपुर कोयला खानों में दुर्घटनायें	
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	४६७७
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६३—पारित .	४६७७–७८
वित्त विधेयक, १९६३ . .	४६७८—९४
विचार करने का प्रस्ताव	
विधेयक पुरःस्थापित . .	४६९४
(१) दण्ड विधि संशोधन विधेयक, [श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा का]	
(२) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद ३६८ का संशोधन) [श्री हरि विष्णु कामत]	
संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद १५५-क का रखा जाना और अनुच्छेद १६७ का संशोधन) [श्री टीका राम पालीवाल का]—वापिस लिया गया . . .	४६९५—४७०१
विचार करने का प्रस्ताव	
खान (संशोधन) विधेयक (धारा १२, ६४, ६७, ७०, ७२ग और ७३ का संशोधन) [श्री स० चं० सामन्त का]—वापिस लिया गया . . .	४७०२—०८
विचार करने का प्रस्ताव	

विषय	पृष्ठ
बीमा (संशोधन) विधेयक	४७०६—१०
(धारा ३१क और ४०ग का संशोधन) [श्री इन्द्रजीत गुप्त का]	
विचार करने का प्रस्ताव	
दैनिक संक्षेपिका	४७११—१४
अंक ४७—शनिवार, २० अप्रैल, १९६३/३० चैत्र, १८८५ (शक)	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४७१५
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६०-६१ . . .	४७१५
९ अप्रैल, १९६३ को एक रेलवे पैसेंजर गाड़ी पर नागा विद्रोहियों द्वारा किये गये आक्रमण के बारे में वक्तव्य . .	४७१६
सभा का कार्य	४७१६—१९
वित्त विधेयक, १९६३-६४ . .	४७१६—७४
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २ से ३१ और १	
पारित करने का प्रस्ताव	
अधि-लाभ कर विधेयक	४७७४—७९
विचार करने का प्रस्ताव	
कार्य मंत्रणा समिति	
सोलहवां प्रतिवेदन	४७७९
दैनिक संक्षेपिका	४७८०—८१
अंक ४८ सोमवार, २२ अप्रैल, १९६३/२ वैशाख, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ९६६ से ९६८, ९७० से ९७३, ९७५ से ९७७ और ९७९ से ९८२	४७८३—४८११
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ९६९, ९७८ और ९८३ से ९८५ .	४८११—१३
अतारांकित प्रश्न संख्या २१२३ से २१२८, २१३० से २१५८ और २१६० से २१६९	४८१३—३२
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४८३२
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	४८३२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६३-६४ . .	४८३२

विषय	पृष्ठ
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	४८३२
प्राक्कलन समिति	
सोलहवां प्रतिवेदन	४८३३
वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य . .	४८३३–३४
तारांकित प्रश्न संख्या ६५४ के उत्तर में शुद्धि . .	४८३४–३५
समिति के लिये निर्वाचन	
राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति	४८३५
कार्य मंत्रणा समिति	
सोलहवां प्रतिवेदन	४८३५—३८
अधिकतम कर विधेयक, १९६३ . . .	४८३८—८०
विचार के लिये प्रस्ताव	
खंड २ से २५ और १ तथा पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूचियां	४८५०—८०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	४८८०
नियम ६६ के परन्तुक का निलम्बन .	४८८१–८२
अनिवार्य जमा योजना विधेयक, १९६३ . . .	४८८२—४९००
विचार करने का प्रस्ताव	
सभा का कार्य . . .	४९०१
दैनिक संक्षेपिका	४९०२—०६

अंक ४९—मंगलवार, २३ अप्रैल, १९६३/३ वैशाख, १८८५ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८९ से ९९०, ९९२ से ९९७, ९९९, १००२ से १००३ और १००६	४९०७—३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ९९१, ९९८, १००० से १००१, १००५ और १००७	४९३२—३५
अतारांकित प्रश्न संख्या २१७० से २१७३, २१७५ और २१७७ से २२३४	४९३५—६०
सभा-पटल पर रखा गया पत्र . . .	४९६०
तारांकित प्रश्न संख्या ५८६ और ५८७ के उत्तरों में शुद्धि . .	४९६०

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	४९९१—९३
(१) औद्योगिक लाइसेंस संबंधी नीति	
(२) संयुक्त अरब गणराज्य, इराक और सीरिया का एक संघ राज्य बनाने के हेतु प्रस्तावित विलय और उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया ।	
समिति के लिये निर्वाचन	
पशु कल्याण बोर्ड . .	४९९३—९४
ईसाई विवाह तथा वैवाहिक वाद विधेयक	४९९४
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिये समय का बढ़ाया जाना	
वित्त मंत्री के साथ एक माननीय सदस्य के पत्र-व्यवहार के बारे में	४९९४
राज भाषायें विधेयक	४९९५—५००२
विचार करने का प्रस्ताव	
अनिवार्य जमा योजना विधेयक	५००२—१२
विचार करने का प्रस्ताव	
दैनिक संक्षेपिका	५०१३—१७

अंक ५०—बुधवार, २४ अप्रैल, १९६३/४ वैशाख, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १००८ से १०१५, १०१८ से १०२० और १०२२ से १०२५	५०१९—४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १०१६, १०१७, १०२१ और १०२६ .	५०४६—४८
अतारांकित प्रश्न संख्या २२३५ से २३१० . .	५०४८—७८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . .	५०७९
सदस्य की रिहाई	५०७९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति . .	५०७९
बीसवां प्रतिवेदन	
लोक लेखा समिति	५०८०
दसवां प्रतिवेदन	

विषय	पृष्ठ
श्री अन्सार हरवानी द्वारा वित्त मंत्री को लिखे गये पत्र के बारे में .	५०८१
टैक्नोलोजी संस्थायें (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	५०८१
राज भाषायें विधेयक	५०८१—५१२२
विचार करने का प्रस्ताव	
अनिवार्य जमा योजना विधेयक	५१२२—३४
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २	
दैनिक संक्षेपिका	५१३५—८०

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—550 (ai) LSD—13-6-63—160.

लोक-सभा

शनिवार, १३ अप्रैल, १९६३
२३ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नो के मौखिक उत्तर

खरादों का निर्यात

+
†*८३९. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर विदेशों को खरादों का निर्यात कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन देशों को, और

(ग) अभी तक कितनी मशीनें निर्यात की गई हैं और इसके प्रारम्भ होने से अब तक अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि क्या है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) पश्चिम जर्मनी, स्विट्जरलैंड और नेपाल ।

(ग) अभी तक ३ खरादों और २२ मिलिंग मशीनों का निर्यात किया गया है जिससे कुल ८८५,१८० रुपये की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है । इसके अतिरिक्त ९ खरादों और एक मिलिंग मशीन के निर्यात के लिये क्रयादेश बुक किये गये हैं ।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूँ कि इस समय उत्पादन की मात्रा क्या है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : इस समय उत्पादन १६५ मशीनें प्रति महीना है अर्थात् लगभग २००० प्रति वर्ष ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या उच्च सूक्ष्म और सामान्य प्रयोजन दोनों प्रकार की मशीनों का निर्माण तथा निर्यात किया जा रहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** निर्यात अभी खरादों और मिलिंग मशीनों तक ही सीमित है तथा जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है विभिन्न प्रकार की मशीनें बनाई जा रही हैं।

†**श्री महेश्वर नायक:** क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या पश्चिम यूरोपीय देशों के यूरोपीय साझा बाजार में मिल जाने के कारण उन देशों को हमारा निर्यात कम नहीं हो गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्:** जी नहीं। यूरोपीय साझा बाजार के बावजूद हम इन चीजों का निर्यात कर रहे हैं तथा पश्चिम जर्मनी और स्विट्जरलैंड में इन मशीनों के लिये कुछ मांग है।

श्री यशपाल सिंह : क्या इन मशीनों का निर्यात बार्टर बेसिस पर हो रहा है या उस से फ़ारेन एक्सचेंज हासिल हो रहा है ? यदि फ़ारेन एक्सचेंज हासिल हो रहा है, तो कितना ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस से फ़ारेन एक्सचेंज मिला है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या पंजाब में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के दूसरे यूनिट में इसी प्रकार के खराद बनाने का विचार है अथवा वहां किसी और किस्म की मशीनें बनाई जायेंगी तथा यदि हां, तो क्या वे मुख्यतः निर्यात के लिये होंगी या घरेलू उद्योग के लिए ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** आन्तरिक मांग तो अब भी हम पूरी नहीं कर रहे हैं। अब हम पर्याप्त संख्या में मशीनी औजारों का आयात कर रहे हैं। इसलिये हमारा पहला प्रयत्न आन्तरिक मांग को पूरा करना होना चाहिये परन्तु साथ ही साथ हम एक निर्यात मंडी बनाने की भी चेष्टा कर रहे हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मेरा प्रश्न यह था कि पंजाब का दूसरा यूनिट उसी प्रकार के खराद तैयार करेगा अथवा किसी नई प्रकार के।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** अलग किस्मों के।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं जानना चाहता हुँ कि हमारी मिलिंग मशीनों की कीमत क्या है और विदेशों में प्रचलित कीमतों की तुलना में यह कैसी है तथा क्या यह सच है कि अग्रेतर उत्पादन के फलस्वरूप कीमतें कम हो जायेंगी और यदि हां, तो कहां तक ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** विदेशी मंडियों में भी हम होड़ ले सकते हैं और यही कारण है कि हम निर्यात कर पाते हैं। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं यहां देश के अन्दर इसे ऐसी ही मशीन की सम्पूर्ण कीमत से १० प्रतिशत कम पर बेचा जा रहा है।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार :** जो यूनिट केरल में स्थापित किया जाने वाला है उस में किन वस्तुओं के निर्माण किये जाने की संभावना है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** उसका हिसाब लगाया जा रहा है। हमारा विचार न केवल इन्हीं तीन यूनिटों में अपितु बाद में स्थापित किये जाने वाले यूनिटों में भी उत्पादन को युक्तिसंगत बनाने का है ताकि प्रत्येक यूनिट मशीनों की कुछ एक किस्मों में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरा राज्य व्यापार निगम

+

†*८४०. { श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) केवल खनिज व्यापार से ही सम्बन्ध रखने वाले दूसरे राज्य व्यापार निगम के कब तक स्थापित किये जाने की सँभावना है; और

(ख) इस निगम के बनाये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) यह सक्रिय रूप से विचाराधीन रहा है।

(ख) इस प्रकार के प्रस्ताव पर निर्णय लेने में थोड़ा समय और लग जायेगा क्योंकि आवश्यक औपचारिकतायें पूरी की जा रही हैं।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यह सच है कि हमारे देश से खनिज निर्यात कम हो गया है और यदि हां, तो खनिज निर्यात के लिए राज्य व्यापार निगम बनाने के अतिरिक्त हमारे खनिज निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा किन विशेष उपायों के किये जाने की सँभावना है ?

†श्री मनुभाई शाह : प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में मैं कह दूं कि वह काफी बढ़ गया है—लौह अयस्क, बाक्साइट, क्रोमाइड । जिस में जरा सी कमी हुई है वह मैंगनीज अयस्क है। अब खनिजों का बहुविध विस्तार करने का प्रस्ताव है अतः विशेषीकृत निगम के बारे में सोच लिया गया है जो शीघ्र ही बन जायेगा।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या मैं जान सकता हूँ कि खनिज राज्य व्यापार निगम के कृत्य ठीक ठीक क्या होंगे और इसके काम का क्षेत्र क्या होगा ?

†श्री मनुभाई शाह : जैसा कि नाम से सँकेत मिलता है, खनिज तथा धातु राज्य व्यापार निगम खनिजों और धातुओं में आयात-निर्यात के विदेशी व्यापार का काम करेगा। जैसा कि सदन को ज्ञात है हमें लौह अयस्क कार्यक्रम का २ करोड़ ५० लाख टन या ३ करोड़ टन तक विस्तार करना है। इसी तरह हम ने मैंगनीज, इलमेनाइट और विभिन अन्य अयस्कों में ऐसा ही करना है। धातु आयातों के बारे में, इस समय हम अलौह धातुओं का ५० या ६० करोड़ रुपये से अधिक का आयात कर रहे हैं। समय पा कर यह १०० करोड़ तक पहुँच सकता है। नये निगम को प्रति वर्ष २५० करोड़ रुपये के विदेशी व्यापार का काम करना होगा। जो शेष काम इस समय है वह राज्य व्यापार निगम के हाथ में रहेगा।

†श्री पें० वेंकटा सुब्बया : क्या मैं जान सकता हूं कि जब तक खनिजों के लिये अलग से नया निगम स्थापित नहीं किया जाता है, क्या अतिरिक्त कर्मचारी और वित्त लगा कर वर्तमान ढांचे को सुदृढ़ किया जाने वाला है क्योंकि काम काफी बढ़ गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : वस्तुतः काम इसलिये बढ़ रहा है क्योंकि जहां तक समीकरण भंडार[1] कार्यों का संबंध है हम पटसन को पहले ही ले चुके हैं और लाख चूर्ण का समीकरण भंडार चल रहा

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Buffer Stock.

है। उस प्रयोजन के लिये भी राज्य व्यापार निगम के विशेषीकृत विभागों में परिवर्तन होते रहे हैं। इस समय राज्य व्यापार निगम के पांच विशेषीकृत विभाग हैं। खनिज विभाग के निकल जाने पर यह अपना सारा ध्यान खनिजों और धातुओं पर केन्द्रित कर देगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न। श्री बारूपाल। श्री बनर्जी।

†**कुछ माननीय सदस्य** : श्री बारूपाल यहां हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने प्रश्न नहीं किया है।

श्री बारूपाल : ८४१।

खादी संस्थायें

+

*८४१. { **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री वाल्मीकी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित कुछ खादी संस्थायें जाली उत्पादन तथा बिक्री पत्रों के आधार पर सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) ऐसे कुछ मामलों की सूचना मिली है।

(ख) खादी आयोग ने भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये पर्याप्त कदम उठाये हैं। खादी संस्थाओं द्वारा अनियमित रूप से मांगी गई सम्पूर्ण राशि को वसूल करने के लिये आयोग ने कार्रवाई की है।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार से खादी कमीशन को जो सहायता मिल रही है, क्या उसको बन्द करने पर कोई विचार किया जा रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : या सब कमीशन के जूरिस्डिक्शन के नीचे की बातें हैं। ७,२८ हजार रुपये का क्लेम था, जिस में से ५,७० हजार रुपये रीकवर हो चुके हैं।

श्री प० ला० बारूपाल : सरकार के पास इस बारे में कितनी शिकायतें आई हैं कि कितनी खादी संस्थाओं में गबन के मामले हुय हैं ?

श्री मनुभाई शाह : हजारों संस्थाओं में सिर्फ चौरास्सी केस।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या मंत्री महोदय का ध्यान लोक लेखा समिति के सातवें प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है जिसमें कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के बारे में बड़ी संगीन बातें कही गई हैं तथा यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में कोई कार्य-वाही करने जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : यही तो मैंने उत्तर दिया है। जहां कहीं भी सदन की प्रतिष्ठित समितियों तथा मंत्रालय के स्वतंत्र अवलोकनों द्वारा खादी आयोग की अनियमितता हमारे ध्यान में लाई जाती है, तो उनके लिये दंड दिया जाता है, । मैं यह कह दूं कि अनियमितताओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो कुछ औपचारिकतायें पूरी न करने की परिभाषिक अनियमिततायें तथा दूसरी नियमित गबन और कुरीतियां। इन दूसरी श्रणी की अनियमितताओं से हम बहुत कड़ी तरह से निपटते हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : खादी कमीशन की देख रेख में विभिन्न राज्यों में जो सघन क्षेत्रों की योजना है, क्या उस में कुछ अर्थ संबंधी भारी अनियमितताओं की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री मनुभाई शाह : एसी कोई खास बात नहीं है। इन थोड़ से केसिज के सिवा सघन क्षत्रों में ज्यादा इर्रेगुलेरिटीज हों, एसी बात नहीं है। थोड़ी बहुत अनियमितता तो सब जगह होती है। उस को हम ठीक कर रहे हैं।

श्री कछवाय : क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि पिछले तीन सालों में खादी की खपत में वृद्धि हुई है या कमी ?

श्री मनुभाई शाह : मैंने थोड़े दिन पहले बताया था कि उत्पादन और बिक्री २० करोड़ रुपये तक चली गई है, जब कि दस बारह साल पहले वह सिर्फ डढ़े करोड़ ही थी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय मंत्री कहते हैं कि थोड़ी बहुत अनियमितता सब जगह होती है। परन्तु इस प्रतिवेदन से तो बड़े व्यग्र बना देने वाले और आतंककारी हालात प्रकट होते हैं। उन्होंने आधी दर्जन से अधिक बार कटु भाषा का प्रयोग किया है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रतिवेदन के दिये जाने से पहले ही सरकार को इसका पता है तथा क्या इस सिलसिले में कोई कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तव में जिन अनियमितताओं का लेखापरीक्षा ने पता लगाया और जिनकी ओर समिति ने हमारा ध्यान दिलाया है हमारे ध्यान में बहुत पहले ही आ चुकी थीं। यदि माननीय सदस्य देखेंगे तो वे १९५८–५९ से ही हैं। उन सब पर ध्यान दिया गया है। इन विशेष ८४ मामलों में, जिनका मैंने उल्लेख किया है, ७,२८,००० में से ५,७०,००० रुपयों की प्राप्ति हो चुकी है। इसी से उठाये गये कदमों की प्रभावशालिता का बोध हो जाता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय इसके कुछ एजेंटों की वर्तमान सम्पत्ति और एजेंट बनने से पहले की उनकी सम्पत्ति की तुलना कराने की स्थिति में हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यदि किसी सदस्य को किसी एजेंट की सत्यनिष्ठा पर कोई सन्देह है तो पूछताछ करने में हमें खुशी ही होगी परन्तु मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि सदन थोड़ी बहुत अनियमितताओं को उस काम की मात्रा और स्वरूप की दृष्टि से देखे जो कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग करता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मेरा प्रश्न और था। क्या मंत्री महोदय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कुछ एजेंटों की वर्तमान सम्पत्ति अथवा धन की तथा इन नौकरियों पर आने से पहले उनके पास क्या था इसकी जांच करवायेंगे ?

---

†मूल अँग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : विशिष्ट मामलों में मैं जांच करवाने के लिये तैयार हूं। मैं कोई चलती फिरती जांच नहीं करवा सकता, परन्तु यदि कोई विशिष्ट मामले हमारे ध्यान में लाये जायें तो उनकी जांच करवाने में हमें खुशी होगी।

†**श्री हेडा** : यह देखते हुये कि कुछ क्षेत्रों में उदाहरणार्थ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जहां कि न्यूनतम मजूरी एक रुपये से अधिक है, खादी योजनाओं का चलाया जाना जहां कि मजूरी आठ आने से अधिक नहीं हो सकती प्रत्यक्षतः असंगत लगता है, क्या सरकार एसे क्षेत्रों में इन सभी योजनाओं की जांच करवाने का विचार रखती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं प्रश्न का आशय समझ नहीं पाया हूं।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई एसी संस्थायें हैं जो खादी आयोग के क्षेत्र में नहीं हैं जैसे कि पंजीकृत संस्थायें तथा यदि हां, तो क्या उन सभी संस्थाओं को खादी आयोग के क्षेत्र में लाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : एसी कोई संस्थायें मान्यता-प्रदान नहीं हैं और न ही वे किसी अनुदान के लिये पात्र हैं।

गोआ में उद्योग

+

†*८४२. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री दाजी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में कुछ नये उद्योगों के स्थापित किये जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के क्या नाम हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

गोआ में नये उद्योगों की स्थापना के लिये निम्नलिखित योजनायें विचार किये जाने के विभिन्न प्रक्रमों में हैं :—

बड़े पैमाने के उद्योग

(सरकारी क्षेत्र)

(१) ३ से ५ लाख टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली लोहा तथा इस्पात परियोजना अथवा १० लाख टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाला एक इस्पात संयंत्र।

(गैर सरकारी क्षेत्र)

(१) दो कपड़ा मिलें जिनमें से प्रत्येक में २५,००० तकलियां होंगी और एक में ५०० स्वचालित करघे होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) साफ लोह अयस्क के छर्रे बनाने के लिये दो परियोजनायें जिनमें से प्रत्येक की १,००० टन प्रति दिन की क्षमता होगी।

(३) साफ लोहे अयस्क के उपयोग के लिये १,००० टन प्रति दिन की क्षमता वाला एक सिन्टरिंग (Sintering) संयंत्र।

(४) लगभग ३ करोड़ रुपये के विनियोजन वाला स्टेनलेस स्टील बनाने वाला संयंत्र।

(५) ४ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर १,००,००० टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला कच्चे लोहे का संयंत्र।

(६) ३० लाख रुपये प्रत्येक के विनियोजन वाली दो सुराकर्मशालायें।

छोटे पैमाने के उद्योग

लघु तथा कुटीर उद्योगों के लिये लगभग २५० योजनायें स्वीकृत की गई हैं। स्वीकृत की गई योजनाओं में से कुछ महत्वपूर्ण योजनायें निम्नलिखित हैं :—

बेकरियां, चावल और आटे की चक्कियां, गत्ता, प्लाई, लकड़ी, रंग-रोगन, बेंत, सुराकर्मशालायें, मुद्रण की सियाही, स्टोरेज, बैटरियां, चावल के चोकर का तेल, जिप फासनर, आम की पपड़ियां, मरम्मत करने वाली तथा अन्य वर्कशापें, ढलाईघर, बिस्कुट, सोडा वाटर, फ्लोटिंग होटल, नारियल, चावल का छिलका उतारना, पेच और काबले, साबुन, टायरों का पुनर्निर्माण, ईंटें, सूती कपड़े की कढ़ाई, आरा मिलें, मछली पकड़ने के जाल, मुद्रणयंत्र, मोजे और बनियान आदि, फ्लोरेसेंट ट्यूबें, नमक के कारखाने, भेषज, कीटनाशक औषधियां, ईंधन देना, मशीनी खिलौने, रसायन, मकासू तेल, रबड़ उत्पाद तथा गर्भ-निरोधक वस्तुयें, मोटे बेयरिंग, इंजन वाल्व, टफ्टेड कालीन, घमेले, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फोर्जिंग संयंत्र, सोडियम सिलिकेट, पालीयुरथेन, बालों के तेल, अन्गराग।

दो औद्योगिक बस्ती सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं और उन्हें १,५०,००० रुपये तक अंश पूंजी दी गई है और इतना ही रुपया वे स्वयं देंगी।

दिव में नमक उत्पादन की एक समिति पंजीकृत की गई है और १०,००० रुपये का एक ऋण इसे दिया गया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण से ज्ञात होता है कि बड़े पैमाने के उद्योगों में सरकारी क्षेत्र में केवल एक और गैर सरकारी क्षेत्र में छः होंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि गोआ में आयोजित परियोजनाओं की स्थापना के लिये किन उद्योगों को लाइसेंस दिए गए हैं अथवा दिये जा रहे हैं?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रश्न के पहले भाग के बारे में जिसका सम्बन्ध सरकारी क्षेत्र की परियोजना से है यह अभी विचाराधीन है तथा माननीय इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री इसके बारे में कई बार बता चुके हैं। जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र की छः परियोजनाओं का प्रश्न है जैसे जैसे और जब वे आती हैं उन्हें तैयार किया जा रहा है। प्रशासन का एक प्रस्ताव है कि गोआ की अर्थव्यवस्था की सहायता के लिये हमें ये यूनिट स्थापित करने चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मैं जान सकता हूं कि तीसरी योजना में कितने गैर-सरकारी क्षेत्र के यूनिटों के स्थापित किये जाने की सम्भावना है और क्या सरकारी क्षेत्र की परियोजना को भी तीसरी योजना में ही स्थापित करने की आशा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सरकारी क्षेत्र से सम्बन्धित प्रश्न के प्रथम भाग के बारे में उत्तर स्पष्ट है। दूसरे भाग के बारे में जैसे जैसे प्रस्ताव आयेंगे गोआ में उद्योग स्थापित करने वाले किसी भी व्यक्ति के विषय में हम लक्ष्यों के अन्दर अन्दर अत्यधिक सहानुभूतिपूर्वक और अनुकूल विचार करेंगे।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : बम्बई से गोआ के सामीप्य को देखते हुए क्या यह सच है कि अधिकतर लाइसेंस बम्बई के उद्योगपतियों के समूहों को दिये जा रहे हैं तथा यदि हां तो क्या इससे गोआ में बम्बई के व्यापारियों का जमाव हो जाने की सम्भावना नहीं है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हुआ यह है कि अब तक जो तीन प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं वे सभी बम्बई से बाहर के लोगों से आये हैं परन्तु यह एक संयोग है। यदि बम्बई के लोग भी वहां उद्योग चलाना चाहें तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार रत्नगिरी जैसे जो कि गोआ के उत्तर में ही हैं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये अन्य क्षेत्रों को औद्योगिक विकास की ऐसी सुविधायें देने का विचार रखती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम केवल गोआ के बारे में ही प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं।

†**डा० गायतोंडे** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जो लोग गोआनी नहीं हैं उन पर गोआ में कोई उद्योग स्थापित करने के लिये कोई प्रतिबन्ध है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : बिल्कुल भी नहीं। अब तो सभी भारतीय हैं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गोआ में स्थापित किए जाने वाले नये उद्योगों के लिये सरकार कर से मुक्ति जैसी कुछ रियायतें देने का विचार रखती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जरूरी नहीं है हम ऐसी किन्हीं रियायतों को बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मैं जान सकती हूं कि उन उद्योगपतियों की सहायता के लिये जो कि वहां नये उद्योग चलाने में रुचि रखते हैं कोई वित्त निगम अथवा औद्योगिक निगम स्थापित करने का सरकार का इरादा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : गोआ में या कहीं और ?

†**श्रीमती सावित्री निगम** : गोआ में।

†**श्री मनुभाई शाह** : गोआ के लिये ? ऐसी किसी संस्था की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : गोआ की स्वतन्त्रता के बाद गोआनी लोगों से कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं और कितने स्वीकार किये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं तो केवल इस बात पर जोर दे रहा हूं कि मैं गोआनी लोगों तथा उन लोगों में जो गोआनी नहीं हैं भेदभाव करना नहीं चाहूंगा। हमें ३ से अधिक प्रार्थना-पत्र मिले हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या मन्त्री महोदय का ध्यान इस सूचना की ओर दिलाया गया है कि गोआ के औद्योगिक विकास के बारे में वहां के प्रशासन तथा योजना परामर्शदात्री समिति में उचित समन्वय नहीं रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कई परामर्श हुये हैं । विभिन्न कारणों से हम में से कई गोआ गये भी और उनमें एक कारण औद्योगिक विकास तथा खानों का विकास था । मेरे विचार में गोआ के आर्थिक विकास का कार्यक्रम कुल मिला कर तेजी से आगे बढ़ रहा है । हाल ही में १९ प्रमुख गोआनी उद्योग-पतियों का एक प्रतिनिधिमण्डल मुझे मिला था और हमने गोआ के आर्थिक विकास के अनेक पहलुओं पर चर्चा की ।

दुकानों में खुदरा मूल्यों की सूची का लगाया जाना

†*८४३. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री श्याम लाल सर्राफ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुदरा सामान बेचने वाली दुकानों द्वारा अत्यावश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों की सूची लगाये जाने की व्यवस्था के लागू करने के लिये प्रबन्ध पूरे हो चुके हैं ;

(ख) यदि हां तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) उसको क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें खुदरा सामान बेचने वाली दुकानों द्वारा अत्यावश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों की सूची लगवाने के लिये कदम उठा रही है और इसके अतिरिक्त उद्योग तथा व्यापार में स्वेच्छापूर्वक कार्यवाही की गई है । एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें उपलब्ध ब्यौरे दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १११९/६३]**

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मूल्यों की यह पर्चियां दिल्ली की सभी दुकानों पर लिखकर लगाई गई हैं ? क्या माननीय मन्त्री को ऐसी कोई जानकारी है कि इन में से कुछ दुकानों ने मूल्यों की कोई पर्चियां लिख कर नहीं लगाई हैं ? यदि हां तो ऐसा कराने के लिये माननीय मन्त्री क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह बात सच है । जबकि आदेश लागू कर दिये गये हैं तब भी बहुत से क्षेत्रों में विशेषरूप से दिल्ली में सभी दुकानों पर मूल्यों की पर्चियां लिख कर नहीं लगाई गई हैं । परन्तु भारतवर्ष के इतिहास में यह पहला अवसर है जबकि यह नया अनुशासन प्रारम्भ किया गया हैं । हमें प्रशासन व्यापारियों सरकार तथा अन्य संस्थाओं को कुछ समय देना चाहिये ताकि शनैः शनैः हम

†मूल अंग्रेजी में

इसे अन्य बहुत अधिक सभ्य देशों के स्तर तक ला सकें जहां कि लगभग सभी वस्तुओं पर मूल्य की पर्ची लगी रहती है तथा प्रत्येक दुकान पर मूल्यों की एक सूची होती है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : कितने समय तक माननीय मन्त्री दिल्ली में तथा भारत के अन्य शहरों में मूल्यों को व्यापारियों की इच्छा के अनुसार ऊंचा रखना चाहते हैं और कितने काम तक वह व्यापारियों को अपना सहनशील व्यवहार दिखाये रखना चाहते हैं ? उन्होंने एक नये अनुशासन का उल्लेख किया है । माननीय मन्त्री के अनुमानानुसार इस नये अनुशासन को सीखने में उन्हें कितना समय लगेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस विषय पर विशेष रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । बहुत सी भिन्न भिन्न वस्तुयें हैं । उदाहरणार्थ कपड़ा उद्योग में अनुशासन पूरी तरह से लागू कर दिया गया है । परन्तु वनस्पति तेलों के सम्बन्ध में जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उसी प्रकार का अनुशासन रखना बहुत कठिन है । मैं सदन को यह आश्वासन दिला सकता हूं कि हम इस मामले में जागरूक हैं; व्यापार बोर्ड अनेक राज्य सरकारों केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग ने सभी उपाय करने प्रारम्भ कर दिये हैं । परन्तु आखिरकार यह एक बहुत महान् परिवर्तन है और इसे भारत जैसे बड़े देश में फैलाने में कुछ समय लगेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह बस एक कागज़ी पूर्ण परिवर्तन है । परन्तु यह नया अनुशासन किस दिन से लागू होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई तिथि बताना सम्भव नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : अनुमानित तिथि ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : इस मामले में बहुत सी वस्तुयें सम्मिलित हैं । उन सभी के खुदरे मूल्यों को सरकार किस प्रकार निर्धारित करेगी ? क्या कोई एक समिति नियुक्त की जायेगी अथवा भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिये भिन्न भिन्न समितियां होंगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस समय हमने २५ अत्यावश्यक वस्तुओं को लिया है । उसके लिये भिन्न भिन्न प्रशासन हैं उदाहरणार्थ मुख्य आयुक्त को मन्त्रणा देने के लिये देहली में एक अनाज सलाहकार समिति नियुक्त की गई है । मुझे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ समय से कुछ नगरों में समाहर्ताओं[1] तथा आयुक्तों[2] ने अपनी अपनी सलाहकार समितियां नियुक्त की हैं विभिन्न प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं और इन प्रयोगात्मक कार्यों को सहानुभूति, सावधानी तथा पूर्व समर्थन की दृष्टि से निरीक्षण में रखना है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या में मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि यह खुदरा दामों और थोक दामों को परिभाषा क्या है और कितने मूल्य के बाद वह थोक बन जाते हैं ? मेरा कहने का तात्पर्य है कि यह खुदरा वस्तु को परिभाषा क्या है और कौन कौन चीज़ें इस खुदरा बिक्री में आ जाती हैं कितने तक की लिमिट होती है ? जैसे कि १०,००० तक का माल लिया तो वह खुदरा हो गया और उससे ज्यादा का थोक होगा, उसकी लिमिट क्या है ? कौन से खुदरा हैं और कौन सा थोक है ?

अध्यक्ष महोदय : रिटेलर्स कौन से हैं और होलसेलर्स किसे कहते हैं और थोक किस लिमिट के बाद बन जाते हैं । थोक के लफ्ज़ से माननीय सदस्य रिटेलर्स से उसकी डिस्टिंक्शन कर रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Collectors.

[2] Commissioners

श्री मनुभाई शाह : होलसेलर और रिटेलर की जो डैफ़नीशन है वह तो जग जाहिर है। जो भी सामान इंडिविजुअल आदमी को अथवा ग्राहक को बेचा जाता है वह रिटेलर है और उस में लिमिट का कोई सवाल नहीं है। इस के विपरीत जब कोई इंस्टीट्यूशन या दुकानदार को माल बेचा जाता है तो वह होलसेलर है। होलसेलर सीधे ग्राहक को एंटरटेन नहीं करती है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : कितने रुपये के मूल्य तक ? चाहे दस हजार रुपये मूल्य का सौदा उनका लेना हो ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि उत्तर प्रदेश में खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिये वह कुछ प्रभावी उपाय करे और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां । उत्तर प्रदेश सरकार से प्रार्थना प्राप्त हुई है । यह एक सामान्य ढंग है कि आपातकाल के पश्चात तथा इसके पूर्व भी हम यह चाहते थे कि समस्त देश में आन्तरिक मण्डियों तथा निर्यात मण्डियों दोनों ही में, मूल्य स्थिर हो जायें । इस प्रकार, यह सामान्य कार्यक्षेत्र का एक भाग है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या माननीय मंत्री को यह बात ज्ञात है कि बहुत सी खुदरा माल बेचने वाली दुकानों में मूल्यों की जो सूचियां लटकायी गई हैं उनमें मूल्य उन मूल्यों से १० से लेकर २५ प्रतिशत तक अधिक दिखाये गये हैं जो कि इन सूचियों के लटकाये जाने से पहले चल रहे थे और क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठा रही है कि यह मूल्य उचित ही होंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सभी वस्तुओं के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता सिवाय मिट्टी के तेल तथा साबुन के, जिनके मूल्यों के मामले हमारे ध्यान में आये थे और हमने उनसे खुदरा मूल्यों को पुनः निश्चित करने के लिये कहा था और उन्होंने वह कम कर दिये हैं । उत्पादन शुल्क की घोषणा किये जाने के पश्चात उन्होंने मूल्य इस ढंग से निश्चित किये कि उसके लिये सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लिया जा सकता था ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जब कि खुदरा कीमतों की सूचियां टांगी गई हैं, तब क्या उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो सूची में चीजें दर्ज हैं, वे अच्छी क्वालिटी की लोगों को मिलें और क्या इसके लिए भी कोई कदम उठाये गये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : क्वालिटी कंट्रोल मैशर्ज का मैं ने इस सदन में बार बार उल्लेख किया है । फिलहाल हम क्वालिटी कंट्रोल को फारेन ट्रेड मार्किट पर ज्यादा स्पेशलाइज कर रहे हैं । लेकिन हमारा इरादा यह है कि एक दफा वह हो जाए तो लोकल क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी कोशिश करें ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : जिन वस्तुओं के मूल्य लिख कर टांगे जाने चाहियें उनके मूल्यों के लिख कर न टांगे जाने पर यदि किन्हीं दण्डों को देने की व्यवस्था की गई है तो वे दण्ड क्या हैं ? मूल्यों को लिखकर न टांगने के कारण क्या किसी को दण्ड दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : यह किया जा सकता है परन्तु मैं इस मामले में कुछ धैर्य तथा प्रगतिशीलता से काम लेना चाहूंगा क्योंकि पहली बार यह अनुशासन लाया जा रहा है और प्राधिकारियों के लिये भी फुटकर मूल्यों का निकालना अत्यन्त सरल नहीं है । जब यह अनुशासन चारों ओर फैल जायेगा तो हम उचित उपाय करेंगे ।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : क्या विभिन्न राज्यों में स्थापित विभिन्न समितियां खुदरे मूल्यों में वृद्धि के सम्बन्ध में लोगों की शिकायतों पर विचार करेंगी अथवा वे इस मामले में स्वयं ही कुछ ठोस कदम उठाने के लिये कार्यवाही करेंगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह दूसरी ओर से प्रत्येक नगर की उपभोक्ता संस्थाओं द्वारा किया जाना है । उपभोक्ताओं की एक अखिल-भारतीय संस्था भी है । हम यह चाहते हैं कि अधिकाधिक उपभोक्ता संस्थायें प्रारम्भ की जायें जिससे कि वे उपभोक्ताओं के किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध जागरूक तथा सतर्क रह सकें ।

†**डा० मा० श्री० अणे** : किन किन भाषाओं में यह मूल्य दुकानों पर लिखकर लटकाये जाते है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : स्थानीय भाषा में । दिल्ली में यह उर्दू में होंगे, महाराष्ट्र में मराठी में ।

†**डा० मा० श्री० अणे** : उर्दू में और हिन्दी में नहीं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हिन्दी में भी होंगे ।

श्री यशपाल सिंह : जिन दूकानों पर इस तरह की लिस्टें लगी हुई हैं, वहां पर भी क्या यह सही नहीं है कि ग्राहक ज्यादा दाम देता है ? दूकानदार यह कहता है कि यह घटिया क्वालिटी के लिए लिस्ट है, मैं आपको बढ़िया चीज़ दे रहा हूं और इस तरह से वह ड्योढ़े दाम वसूल करता है, क्या यह सही नहीं है ?

श्री मनुभाई शाह : पहले कुछ नहीं था लोग बेचते थे और खरीदते थे। सदन को इस चीज़ को जरूर एप्रिशिएट करना चाहिये कि जहां बिल्कुल अपने आप सौदागर और ग्राहक के बीच काम चलता था, वहां उस में एक नई चीज़ आई है, एक नया मैशर हम लाये हैं जिस में यह है कि प्राइस किसी चीज़ की क्या होगा, उसको अच्छी तरह से लिस्ट किया जाए । यह भी देखा जाना चाहिये कि वह कैसे काम कर रहा है ।

श्री क० ना० तिवारी : वह जब प्राइसिस डिसप्ले करेगा तो इसका क्या यह मतलब है कि गवर्नमेंट हर चीज़ की प्राइस फिक्स करेगी ?

श्री मनुभाई शाह : गवर्नमेंट फिक्स नहीं करेगी, उसका बेसिस दिया जाएगा । लोकल कमेटीज़ उसको वाच करेंगी । उन प्राइसिस को रिटेलर्ज़ एसोसिएशंज़ एक्सेप्ट करेंगी और उनको वहां प्रिंट किया जाएगा । उससे ज्यादा चार्ज करना गुनाह बन जाएगा ।

'इलैक्ट्रिक शीट रोलिंग मिल'

†*८४४. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला में एक इलैक्ट्रिक शीट रोलिंग मिल का सम्भरण करने के लिये

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा 'डेमाग' को ठेका दे दिया गया है ;

(ख) इस मिल द्वारा किस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) ठेके की मुख्य बातें क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) यह निश्चय किया है कि रूरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तार में सम्मिलित इलैक्ट्रिकल शीट मिल के सम्भरण के लिये मैसर्स डेमाग का टेन्डर स्वीकृत किया जाय ।

(ख) मिल प्रतिवर्ष लगभग ५० हजार टन हाट रौलड् इलेक्ट्रिकल स्टील शीटों का उत्पादन कर सकेंगी ।

(ग) रूरकेला संयंत्र के विस्थार के लिये ऋण के सम्बन्ध में जरमनी की संघनीय गणतंत्र सरकार के साथ समझौते को अंतिम रूप दिये जाने तथा अन्य कुछ अनुषंगी मामलों को तय किये जाने के पश्चात् ही ठेका पूरा किया जायेगा ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या यह सच है कि जरमनी, प्रविधिज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले भारतीयों को ,अथवा प्रविधिक ज्ञान देने के लिये बहुत इच्छेक नहीं थे और यदि हां, तो क्या प्रस्तावित ठेके में ऐसा कोई उपबन्ध किया गया है जिससे कि यह दोष दूर किया जा सके ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य की परिकल्पना सही नहीं है । हम विशेष प्रविधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये ठेके दे रहे है और वह जानकारी हमैं उपलब्ध की जा रही है ।

†**श्री महेश्वर नायक** : मुझे उत्तर नहीं मिला है ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : माननीय सदस्य की परिकल्पना गलत है ।

†**श्री महेश्वर नायक** : ठेके के कब पूरा किये जाने की सम्भावना है और जब मिल स्थापित हो जायेगी तो उसकी अधिष्ठापित क्षमता क्या होगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : में ने यह पहले ही बता दिया है कि यह प्रतिवर्ष ५० हजार टन हाटरौलड् इलैक्ट्रिकल स्टील शीटस का उत्पादन करने की होगी ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या यह इलेक्ट्रिक शीट रोलिंग मिल उस नये विस्तार कार्यक्रम में सम्मिलित है जो कि प्रारम्भ किया जायेगा अथवा यह नई है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यह विस्तार कार्यक्रम का ही एक भाग है ।

बची हुई रद्दी चाय से कैफीन का निर्माण

+

†*८४६. **श्री अ० व० राघवन्** :
श्री प० कुन्हन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इण्डियन ड्रग्स एण्ड फारमेस्युटिकल्स लिमिटेड' ने बची हुई रद्दी चाय से कैफीन

---

†मूल अंग्रेजी में

के निर्माण के लिये रूसी अधिकारियों द्वारा मांगे गये आंकड़े इकट्ठे कर लिये हैं ; और

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री अ० व० राघवन** : जब ७१.४ टन फाइटो केमिकल का उत्पादन करने की १० करोड़ रुपये की एक योजना पर १९५९ में रूसी सरकार के साथ हस्ताक्षर किये गये थे तो उस समय परियोजना के आर्थिक पहलुओं पर क्यों नहीं विचार किया गया था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : संश्लिष्ट कैफीन १९५९ में नहीं था यह एक नया उत्पाद है जो कि हाल ही में बाजार में आया है और इसलिये इस चीज पर एक स्पष्ट दृष्टि डालने की आवश्यकता है ।

†**श्री अ० व० राघवन** : क्या फाइटो-केमीकल सन्यन्त्र तभी स्थापित किया जायेगा जब कि मालूम हो जायेगा कि रद्दी चाय से कैफीन का निर्माण करने की विधि आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : आधार तो यही है परन्तु हम नवीन प्रगतियों को ध्यान में रखते हुए इस पर टिक सकेंगे अथवा नहीं यह बात इस जांच के समाप्त होने के पश्चात् ही ज्ञात होगी ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : केरल में कितनी मात्रा में रद्दी चाय उपलब्ध है और ६० टन का निर्माण करने के लिये उसकी कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी ।

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी हमने यह अनुमान नहीं लगाया है कि कितनी रद्दी चाय उपलब्ध है । बहुत सारी रद्दी चाय उपलब्ध है । इस सन्यन्त्र के लिये १२५० टन रद्दी चाय की आवश्यकता होगी ।

श्री कुन्हन : रद्दी चाय से कैफीन बनाने के लिये निर्णय करने में तथा सन्यन्त्र को स्थापित करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सापेक्ष अणु-दोषों के आधार पर अग्रेतर परीक्षण करने में लगभग एक वर्ष का समय लगेगा ।

†**श्री रा० बरुआ** : भारत में कितनी मात्रा में कैफीन की आवश्यकता है और हमारा सम्भाव्य निर्यात कितना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमारी आवश्यकता लगभग ५० टन की है । कैफीन के निर्यात में हमारा स्थान इतना अच्छा है कि यदि वास्तव में यह कार्य भली भांति चल जाता है तो आगे और विस्तार करके हम १०० से २०० टन तक इसका निर्यात कर सकेंगे ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : हमारे देश में इतनी रद्दी चाय होते हुए भी क्या हमें अन्य देशों से कैफीन का आयात करना पड़ता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं । कैफीन एक ऐसी अपरिहार्य वस्तु नहीं है इसके स्थान पर अन्य वस्तुएं भी हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : अब तक कितने लाइसेंस दे दिय गये हैं और उनकी क्या प्रगति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : लगभग ३-४ छोटे पैमाने के सन्यन्त्रों को । यह पहला ही एक बड़ा सन्यन्त्र होगा ।

कपड़ा मशीन निर्माण उद्योग

+

†*८४७. श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कपूर सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री कछवाय :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मशीन निर्माण उद्योग के विकास के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिये एक उच्चाधिकार युक्त तालिका (पैनल) बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां तो इसके गठन का व्यौरा क्या है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). "कपड़ा मशीन उद्योग" के सम्बन्ध में एक सलाहकार समिति स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री यशपाल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि इंडिपेंडेंस के बाद हमें कितनी फारेन एक्सचेंज इस मामले में लगानी पड़ी है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : यह बताना कठिन है कि कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है ।

श्री यशपाल सिंह : इस के गठन में कुछ पार्लिमेंट के मैम्बर्ज़ का भी सहयोग रहेगा क्या ?

अध्यक्ष महोदय : मैनुफैक्चर करने में ?

श्री यशपाल सिंह : कमेटी जो बनाई जाएगी, उसमें ।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : समिति का गठन क्या होना चाहिये यह बात अभी विचाराधीन है परन्तु मेरा विचार यह है कि संसद सदस्यों को इसमें स्थान नहीं मिलेगा ।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि कितनी कपड़ा मिलों में आधुनिक मशीनें लगी हैं और इसके कारण कितने कर्मचारी बेकार हुए हैं और उनको काम दिलाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत वाइड क्वैश्चन है। आप मूल सवाल मे बहुत दूर चले जाते हैं ।

†**डा० क० ल० राव** : भारत की कपड़ा मिलों की कुल आवश्यकतायें कितनी हैं तथा भारत में इस समय उसके कितने प्रतिशत भाग का निर्माण किया जा रहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह अनुमान लगाया गया है कि तृतीय योजना काल में हमारी आवश्यकतायें प्रतिवर्ष २२ करोड़ रुपये के मूल्य की होंगा । हमारा निर्धारित लक्ष्य वह है । हमारी आवश्यकता इससे कुछ अधिक है । १९६१-६२ में १२ करोड़ ६७ लाख रुपये का उत्पादन हुआ था; १९६२–६३ में १४ करोड़ ७६ लाख रुपये के मूल्य की मशीनरी का निर्माण किया गया था ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान में कपड़े के उत्पादन की दर भारत से चार गुनी है और यदि हां . . . .

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हम इससे अवगत नहीं हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : श्रीमन् मैंने अभी प्रश्न समाप्त नहीं किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो कुछ भी उन्होंने कहा है, उसका उत्तर उपलब्ध नहीं है ।

†**श्री क० ना० तिवारी** : क्या यह केवल बड़े बड़े सन्यन्त्रों तथा मशीन के निर्माण के लिये ही है अथवा हथकरघों तथा शक्तिचालित करघों के लिये भी है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : इसमें केवल शक्तिचालित करघे ही सम्मिलित होंगे ।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : मुझे ज्ञात हुआ है कि इस उद्योग में पुर्जों का संभरण कम है और इसलिये मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या सरकार का इस उद्योग का आयोजित विकास करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कपड़ा मशीन निर्माण का विकास करने के लिये हमारा एक आयोजित कार्यक्रम है और पुर्जों का भी ध्यान रखा जायेगा ।

निम्न कूप भट्टी[1]

†८४८. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स उड़ीसा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन को कलिंग इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड की निम्न कूप भट्टी बेचने के बारे में केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई थी ; और

(ख) इसका क्रय मूल्य किसने निश्चित किया था तथा अन्ततः कितनी रकम निश्चित और स्वीकृत की गई ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) उद्योग (विकास तथा विनियोजन) अधिनियम के अधीन दिये गये औद्योगिक लाइसेंस के हस्तांतरण के लिये ही सरकार की अनुमति मांगी गई थी । प्रार्थना पर इस दृष्टिकोण से विचार किया गया था कि जिस संस्था को लाइसेंस हस्तांतरित किया जा रहा है क्या वह लाइसेंस के अधीन आई हुई वस्तु का निर्माण करने के लिये उपयुक्त है । क्योंकि उड़ीसा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड सरकारी क्षेत्र की एक संस्था है अतः यह निश्चय किया गया था कि लाइसेंस के हस्तांतरण में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

(ख) मूल्य सम्बन्धी प्रश्न सम्बन्धित दलों के बीच तय किया जाना है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार का भी मार्ग-प्रदर्शन करने के लिये राज्य निगमों द्वारा गैर-सरकारी उद्योगों के अपने हाथ में लिये जाने के सम्बन्ध में योजना आयोग ने कोई नीति निर्धारित की है और जब कभी भी यह हस्तांतरण किये जाते हैं तो क्या इन मामलों में केन्द्रीय सरकार से परामर्श नहीं लिया जाता है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : वास्तव में हस्तांतरण के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है । यही कारण है कि यह मामला सरकार के सामने

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Low Shaft Furnace.

आया और यह निर्णय किया गया है कि हस्तांतरण किया जा रहा सकता है ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : आपने जो कुछ भी कहा है वह केवल लाइसेंसों के सम्बन्ध में है ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी हां यह केवल लाइसेंसों के सम्बन्ध में ही है । ऐसी सम्पत्ति के हस्तांतरण का ममला सम्बन्धित दलों के बीच का एक मामला है । परन्तु लाइसेंस के बिना कोई भी मशीनरी आदि उपयोग नहीं कर सकता है । इसलिए लाइसेंस को भी हस्तांतरित के नाम हस्तांतरण करना पड़ेगा । ऐसे मामले केवल इस प्रयोजन के लिये ही सरकार के पास आते हैं और इस मामले में हमने यह निर्णय किया है कि लाइसेंस का हस्तांतरिती के नाम हस्तांतरण किया जा सकता है ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : इस सत्र में एक अन्य प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री ने यह बताया था कि जहां तक कलिंग इण्डस्ट्रीज़ की धमन भट्टियों' का सम्बन्ध है उनके विस्तार का कोई प्रस्ताव है और योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है; वे एक जरमन फर्म कलिंग इण्डस्ट्रीज़ के बीच एक समझौते की प्रतीक्षा कर रहे हैं । परन्तु इस संस्था तथा उड़ीसा सरकार के बीच किये गये एक ठेके के शर्तों में से एक में लिखी गई बातों से ऐसा मालूम होता है कि जरमनी धन में से २ करोड़ १८ लाख रुपये कम्पनी को उपलब्ध होंगे जिसके लिये भारत सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। कौन सा कथन ठीक है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : अभी अभी योजना का विस्तार करने के हेतु मशीनरी का आयात करने के लिये २ करोड़ १८ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा उपलब्ध की गई है और इस हस्तांतरण के कारण यह विदेशी मुद्रा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन को मशीनों का आयात करने के लिये उपलब्ध हो जायेगी ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या यह सच नहीं है कि सरकार इस बात को भी विचार में रखती है कि ऐसे हस्तांतरणों में जो कि एक लाइसेंसधारी से दूसरे लाइसेंसधारी को किये जाते हैं कोई लाभ नहीं कमाया जाना चाहिये ? क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया था बेचने वाले दल ने अपने पास से लाइसेंस को सरकारी निगम को हस्तांतरण करने में कोई अनुचित लाभ नहीं कमाया था ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हस्तांतरण की शर्तें मेरे पास हैं । मेरा विचार है कि शर्तें निगम के लिये पूरी तरह से हितकर हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि इस संस्था की विशेष की पूंजी केवल २ लाख रुपये थी और अब यह उड़ीसा सरकार द्वारा ३२ लाख रुपये में खरीदी जा रही है और इसके एक निदेशक तथा उड़ीसा सरकार के उद्योग मंत्रालय के एक अधिकारी ने ही इसका मूल्य निर्धारित किया है ? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मूल्य बढ़ाया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्**: मेरे पास समझौते की शर्तों का प्रारूप है । ३१ मार्च, १९६३ के अन्त में भूमि, भवन, संयंत्र और उपकरण, तथा मशीनों आदि जैसी स्थायी अस्तियों का जो ह्रसित बही-मूल्य होगा वह सरकार तथा निगम दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त किये गये लेखापरीक्षकों द्वारा आंका तथा प्रमाणित किया जाना है । इस आधार पर मूल्य निर्धारित किया जाना है । प्रदत्त पूंजी' के अतिरिक्त, इस संस्था में उपलब्ध आस्तियों को भी हस्तांतरण के समय ध्यान में रखना होगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

'Blast Furnaces

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि कलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती पटनायक तथा सरकारी स्वामित्व के अधीन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के प्रतिनिधियों के रूप में सरकारी अधिकारियों द्वारा इस हस्तांतरण विलेख पर उड़ीसा के मुख्य मंत्री के निवास स्थान पर उनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये थे ? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि यह मूल्य श्री पटनायक तथा श्रीमती पटनायक द्वारा, इस निम्न कूप भट्टी के मालिक के रूप में निर्धारित किया गया था और श्री पटनायक उद्योग मंत्री भी हैं ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य को मेरी तुलना में अधिक ब्यौरे ज्ञात हैं । जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, इन दलों के बीच हस्तांतरण की शर्तें तय करना उनका अपना कार्य है......

†श्री हेम बरुआ : ये दल कौन कौन से हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

†श्री हेम बरुआ : पति और पत्नी ही कारखाने का हस्तांतरण कर देते हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : फिर मंत्री महोदय को क्या करना चाहिये ?

†श्री हेम बरुआ : इसी प्रकार तो देश का विनाश हो रहा है ।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या सरकार हमें यह आंकड़े बतायेगी कि विक्रेता ने इस संयंत्र को उन लोगों से जिन्होंने प्रारम्भ में इसका निर्माण किया था अथवा इसे स्थापित किया था कितने मूल्य पर लिया था और अब यह कलिंग इंडस्ट्रीज द्वारा उड़ीसा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन को किस मूल्य पर बेचा जा रहा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं । परन्तु मैंने सोचा था कि इसके लिये ध्यान में रखने वाली जो सुसंगत बात है वह आस्तियों का वर्तमान मूल्य है, भूतकाल में उनका मूल्य चाहे कुछ भी रहा हो । अतएव, इस आधार पर मूल्य निर्धारित किया जा रहा है ।

मेत्तूर बांध पर अल्युमिनियम संयंत्र

†*८४९. श्री कडप्पन : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेत्तूर बांध पर अल्युमिनियम संयंत्र के कब तक चालू हो जाने की संभावना है ;

(ख) संयंत्र की इस समय निर्धारित कम उत्पादन क्षमता के क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त संयंत्र को सरकार द्वारा कुल कितना वित्तीय आवंटन किया गया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) मेत्तूर अल्युमिनियम संयंत्र में १९६४ के अन्त तक अल्युमिनियम पिंड का उत्पादन आरम्भ होने की आशा है ।

(ख) और (ग). गैर-सरकारी पार्टी ने अपने विदेशी सहयोगी के परामर्श से लाइसेंस के लिये जो प्रार्थना पत्र दिया था वह १०,००० मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता के लिये था और इस क्षमता के लिये लाइसेंस दे दिया गया है । इस उपक्रम में केन्द्रीय सरकार का कोई भाग नहीं

†मूल अंग्रेजी में

है। परियोजना की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता आंशिक रूप में विदेशी सहयोगी समान सहयोग के आधार पर पूरा कर रहा है और शेष उस दीर्घकालीन ऋण से पूरी होगी जिसके बारे में पार्टी ने इटली के साथ वार्ता की है।

†**श्री कंडप्पन** : अल्युमिनियम की बढ़ती हुई मांग का ध्यान रखते हुये क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में कोई और संयंत्र स्थापित करने का है ?

†**श्रीमनुभाई शाह** : जी हां। इस प्रश्न पर बाद में विचार किया जायेगा। मध्य प्रदेश में हंगरी के सहयोग से बनने वाला संयंत्र विचाराधीन है।

†**श्री कंडप्पन** : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि इस उपक्रम में केन्द्रीय सरकार का कोई हाथ नहीं है। क्या इसमें राज्य सरकार का कोई अंश है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं।

डा० गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने यह कहा कि इस संबंध में मध्य प्रदेश के विषय में विचार किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को कुछ लिखा है ? यदि लिखा है तो क्या उत्तर गया और इस बात का कितने दिनों में निर्णय हो जायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : जब प्रश्न सं० ८५७ आयेगा तब मैं माननीय सदस्य को इस के विषय में बतलाऊंगा।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का निदेशालय बोर्ड

+

†*८५०. { **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री गुलशन :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री राम हरख यादव :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के निदेशालय बोर्ड का हाल में ही पुनर्गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य परिवर्तन किये गये हैं ; और

(ग) क्या महाप्रबन्धक (जनरल मेनेजर्स) अभी भी बोर्ड में हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी हां।

(ख) पूर्णकालिक डाइरेक्टरों के पद समाप्त किये जा रहे हैं और अधिक गैर-सरकारी डाइरेक्टर बोर्ड पर रखे गये हैं। इससे आगे सभापति हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के मुख्य अधिकारी होंगे और डाइरेक्टरों के बोर्ड के निदेशों के अन्तर्गत कार्य करेंगे।

(ग) जी हां।

---

† मूल अंग्रेजी में

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या यह सच नहीं है कि कई बार माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस आशय के विचार व्यक्त किये थे कि जेनरल मैनेजर को बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में नहीं रक्खा जायेगा ? यदि हां, तो फिर इस बात के बावजूद जेनरल मैनेजर को बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में क्यों रक्खा गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : जी हां। निश्चय यह है हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में महा प्रबन्धकों को डाइरेक्टर नहीं होना चाहिये। परन्तु क्योंकि विद्यमान महा-प्रबन्धक बोर्ड में हैं, इसलिये हम अभी कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते। परन्तु इसके बाद, जब भी नये महा प्रबन्धक नियुक्त किये जायेंगे, वे बोर्ड में नहीं रखे जायेंगे।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : अभी इस कारखाने में जितने मनेजर हैं उन में से कितने टेकनिकल नालेज वाले हैं और कितने नान-टेकनिकल नालेज वाले हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जहां तक दुर्गापुर का संबंध है, एक इंजिनियर महा प्रबन्धक है। रूरकेला में औद्योगिक प्रबन्ध के एक जानकार बोर्ड में हैं। भिलाई में हमने अभी एक नये महा प्रबन्धक नियुक्त किये हैं। वह हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में वित्तीय डाइरेक्टर थे।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : नई व्यवस्था पुरानी व्यवस्था से किस प्रकार अच्छी है और इससे मजदूरों के लिये वाणिज्यिक दृष्टि तथा पहिल का होना कैसे सुनिश्चित होता है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : पहिले, जबकि पूर्णकालिक कार्यकारी डाइरेक्टर थे, तब एक प्रबन्ध समिति थी जो अनेक मामलों पर निश्चय किया करती थी और क्योंकि उन्हें सर्वसम्मति से निश्चय करना होता था उससे निश्चय करने में काफी देर हो जाती थी। इसी कारण अब वह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। सभापति को दैनिक प्रशासन के मामलों पर निश्चय करने का अधिकार दे दिया गया है। हां वह डाइरेक्टरों के बोर्ड के नियंत्रण में होगा और आशा है कि सभी विलम्ब समाप्त हो जायेंगे।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : माननीय मंत्री ने कहा था कि विद्यमान महा-प्रबन्धकों को जो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के डाइरेक्टरों के बोर्ड के सदस्य हैं, नहीं हटाया जा रहा है। सरकार इन व्यक्तियों को डाइरेक्टरों के बोर्ड से क्यों नहीं हटाना चाहती ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : वे अभी बोर्ड में डाइरेक्टर हैं और यह निवेदन किया गया था कि यह महसूस किया जा सकता है कि इन व्यक्तियों की पदावनति हो गई है। फिर यह महसूस किया गया था कि शायद इसके कार्य के आरम्भ में महा-प्रबन्धकों को मिलाना लाभदायिक रहेगा क्योंकि प्रत्येक संयंत्र की समस्यायें बोर्ड को मालूम हो सकेंगी। हमने उन्हें इसी प्रसंग में बनाये रखा है।

†**श्री मुरारका** : यह ध्यान रखते हुए कि हाल में महा-प्रबन्धकों के अधिकार काफी बढ़ा दिये गये हैं और यह लोग बोर्ड पर भी हैं, यह देखने के लिए महा-प्रबन्धकों के कार्य की देखभाल कौन करेगा कि उन अधिकारों का उचित प्रयोग किया गया है या नहीं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : चेयरमैन देखभाल करेंगे।

†**श्री जोकीम आल्वा** : वे एक आई० सी० एस० अधिकारी के प्रति क्यों आकर्षित हुए हैं जो विमान से तेल और तेल से अब इस्पात में आये हैं और शायद उन्होंने पहिले उपक्रम को अदक्ष प्रबन्ध की स्थिति में छोड़ा है, और वे ऐसे योग्य युवकों को क्यों नहीं रखते हैं

†मूल अंग्रेजी में

जो बड़ी बड़ी भारतीय फर्मों के डाइरेक्टर रहे हैं, जो बड़े व्यापार से बहुत अधिक संबंधित नहीं हैं और फिर भी जो सरकार की सेवा करने के इच्छुक हैं? आप ऐसे युवक डाइरेक्टर क्यों नहीं रखते ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह सभी तर्क दे रहे हैं परन्तु कोई जानकारी नहीं मांग रहे। हमें अगला प्रश्न लेना चाहिये ।

लौह अयस्क खानों में काम का बन्द होना

†*८५१. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेलदुर्थी, जिला करनूल, आंध्र प्रदेश के लौह अयस्क क्षेत्र में खनन कार्य बन्द हो जाने के कारण लगभग २,००० मजदूर बेरोजगार हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो काम आरम्भ कराने के लिए सरकार का क्या प्रबन्ध करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) कुछ अभ्यावेदन हाल में प्राप्त हुए हैं जिनमें उल्लेख था कि वेलदुर्थी के लौह अयस्क क्षेत्र में खनन कार्य को उस स्थान से बन्दरगाहों को लौह अयस्क जाना बन्द होने से धक्का पहुँचा है ।

(ख) राज्य व्यापार निगम वेलदुर्थी के खान-मालिक संघ से वार्ता कर रहा है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भी इस मामले की जांच करने के लिए अपने खान तथा भूतत्व के डाइरेक्टर को प्रतिनियुक्त किया है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या यह सच है कि उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा है कि संचालन के व्यय में चारों ओर वृद्धि होने तथा बढ़े हुए करों तथा शुल्कों के होते हुए भी इस क्षेत्र विशेष को निगम द्वारा राज्य व्यापार दरों में कोई प्रत्यात्मक वृद्धि नहीं दी गई हालांकि ये सुविधायें अन्य क्षेत्रों को दी गई थीं, यदि हां, दो क्या इस पर पुनःविचार किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक लौह अयस्क का संबंध है, यह क्षेत्र न तो बड़ा है और न ही छोटा है। मसूलीपटम के बन्दरगाह के लिए, जो बारहमासी न हो कर बेबरसाती बन्दरगाह है, इस संघ को लोह अयस्क को खनन का कुछ विकास करने की अनुमति दी गई थी, जब कि हमारे पास ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जहां लौह अयस्क अधिक है और अच्छा है। वे भी विशेष विवरण पर नहीं जो रहे। विदेशी खरीदारों की तसल्ली बड़ी मुश्किल से होती हैं। उनके तथा विदेशी खरीदारों के बीच अनेक ठेके संबंधी झगड़े हुए। इस सब के होते हुए भी, हम उन्हें सहायता देने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कर सकता हूँ कि राज्य व्यापार निगम ने जोर दिया है कि संघ के नये सदस्य संघ की पुरानी देय

†मूल अंग्रेजी में

राशि, ६०,००० रु० का भुगतान करें और यह भी इन कठिनाइयों और अड़चनों का एक मुख्य कारण है; और यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है?

†श्री मनुभाई शाह : हम संघ के व्यक्तिगत सदस्यों को मान्यता नहीं देते । संघ को भुगतान करना है । संघ का प्रबन्ध पुराने सदस्य करें या नये सदस्य करें । परन्तु संघ के रूप में उन्हें बकाया राशि का भुगतान करना है ।

खेती के औजार

+

†*८५३. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रामेश्वर टांटिया : }

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी सार्थ के सहयोग से उड़ीसा में खेती के औजार बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के खती के औजार बनाने का विचार है; और

(ग) क्या जापानी सार्थ से बातचीत पूरी हो चुकी है?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) पावर टेलर्स तथा उसका साज व सामान ।

(ग) अभी नहीं, श्रीमान् ।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या कारखाने का स्थान चुन लिया गया है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्): इसके उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थापित होने की संभावना है ।

†श्री स० चं० सामन्त : हमें इस कारखाने के लिए क्या सामग्री आयात करनी होगी ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : वह ब्यौर उपलब्ध नहीं है परन्तु नया लाइसेन्स देने में हम इस बात पर जोर देते हैं कि आरम्भ में भी वह ८० प्रतिशत स्वदेशी सामग्री लें ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सरकार राजस्थान में वैसा ही कारखाना बनाने पर विचार करेगी जहां कृषि के लिए बड़ी गुंजाइश है और सरकारी क्षेत्र में बहुत ही कम उद्योग हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही करने के लिए सुझाव है ।

†श्री पु० र० पटेल : इस कारखाने में कौन कौन औजार बनाये जायेंगे ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : उन्हें ६ लाख शक्ति वाले डीजल शक्ति चालित हलों, कदाचित कुबोटो प्रकार के हलों, तथा उनके साज व सामान के निर्माण के लिए लाइसेन्स मांगा है ।

†श्री का० ना० तिवारी : विभिन्न राज्यों में इस तरह के कितने कारखाने हैं ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : दो को पहिले ही लाइसेन्स दिया जा चुका है, जिनमें से एक बम्बई में है और दूसरी कलकत्ता में है । जहां तक कलकत्ता की फर्म का संबंध है, इसने सक्रिय कार्यवाही नहीं की है । दूसरी फर्म के बारे में शीघ्र 'क्लियरेन्स' होने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूँ कि ट्रेक्टर निर्माण के काम में हम लोग कब तक सैल्फ सफीशेंट हो जायेंगे ?

†**श्री चि०. सुब्रह्मण्यम् :** मेरा ख्याल है कि जब तक हमारा उत्पादन काफी अधिक नहीं होता स्वावलम्बी नहीं बन सकेंगे । अभी तो हम वर्तमान मांग पूरी कर सकेंगे, अन्तिम मांग पूरी नहीं ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या कारखाना सरकारी होगा या किसी गैर-सरकारी काम के सहयोग में बनेगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** उड़ीसा के औद्योगिक विकास निगम से एक प्रार्थना पत्र आया है । अत : वह इसे आरम्भ करेंगे ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या यह दिखाने के लिए सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में एक उत्पादन यंत्र कारखाना खोलने का है कि इन यन्त्रों का उचित मूल्य पर संभरण हो सके ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** सरकारी क्षेत्र में खेती के औजारों का उत्पादन आरम्भ करने का कोई विचार नहीं है ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी :** इन औजारों का आयातीत मूल्य कितना होगा । उनका मूल्य आयातीत औजारों के मूल्य की अपेक्षा कैसा होगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । लाइसेन्स देने के बाद और जब उनके उत्पादन प्रोग्राम आरम्भ हो जायेंगे तो वे तैयार करने होंगे ।

†**डा० सरोजिनी महिषी :** इस कारखाने के उत्पादन से कृषि के उत्तम औजारों की कितनी प्रतिशत आवश्यकता पूर्ति होगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** केवल साधारण अनुमान लगाया जा सकता है । इन्होंने तीन हजार शक्तिचालित हल बनाने के लिए लाइसेन्स मांगा है । कदाचित इससे २५ प्रतिशत मांग पूरी हो जायेगी ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

†*८५४. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने कई करोड़ रुपये के उपयोग प्रमाणपत्र ठीक प्रकार से नहीं रखे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस के संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) फिर भी राज्य सरकारों, विहित राज्य बोर्डों, आदि से उपयोग प्रमाणपत्र लेने में

†मूल अंग्रेजी में

विलम्ब हो गया है । १९५३-५४ से १९६०-६१ तक दिये गये धन के बारे में लगभग २९ करोड़ के प्रमाणपत्र लेने हैं ।

(ख) उपयोग प्रमाण-पत्र देने के कार्य में शीघ्रता करने के ये उपाय किये गये हैं :-(१) आयोग के लेखापरीक्षादल को बढ़ा दिया गया है, (२) पंजीबद्ध संस्थाओं के लेखा का लेखापरीक्षण करने का उत्तरदायित्व चारटर्ड लेखापालों को दिया गया है, (३) वित्तीय सलाहकार नियुक्त करने के लिए अनेक राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों को वित्तीय सहायता देना ।

†**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : विवरण देखने से मालूम पड़ता है कि अभी तक करीब २९ करोड़ रुपए के सरटिफिकेट नहीं दिए गए । इसकी क्या वजह है, और ये सरटिफिकेट जल्दी से जल्दी हासिल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्री मनुभाई शाह : सात आठ साल में १४० करोड़ तक का काम हुआ है । और उसमें जब तक एक एक एकाउंट का सरटिफिकेट स्टेट खादी बोर्ड के पास नहीं आता है तब तक पूरा सरटिफिकेट हर साल का नहीं बनता । इसलिए इसमें देरी हुई है । लेकिन अब एक स्पेशल आफिसर नियुक्त कर दिया गया है और वह और आडिटर जनरल हर एक एकाउंट में जाकर सरटिफिकेट को पूरा करेंगे ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद: विवरण में यह भी लिखा है कि सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से हिसाब किताब की पूरी जांच हो सकेगी । क्या इतने लोग इसमें बहाल किए जायेंगे कि पूरे देश में खादी का जितना काम चलता है उस सब की निश्चित रूप से जांच हो सके, या इसमें कोई कमी रह जाएगी ? यदि हां, तो उसके लिए क्या किया जाएगा ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक सेंट्रल एकाउंट का ताल्लुक है वहां तक तो कमी पूरी कर दी जाएगी सरटिफिकेट आने से । लेकिन जो हजारों छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन्स हैं उनका एकाउंट तो वहां के खादी बोर्ड को ही संभालना होगा ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार ने पता लगाया है कि जब तक यह उद्योग एक ही संस्था की मानापली रहेगा तब तक करप्शन दूर नहीं हो सकता ।

श्री मनुभाई शाह : मोनीपली जैसी चीज़ का तो कोई सवाल ही नहीं है । यह बहुत कठिन काम है जो कि खादी कमिशन कर रहा है । वह आम तौर पर खादी का ही संकलन करता है । डाइरेक्ट परचेज़ का काम वह नहीं करता है । खादी का काम इसी तरह आगे बढ़ सकता है।

रूरकेला इस्पात कारखाना

†*८५५. **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री राम हरख यादव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री कछवाय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० चं० देवभंज :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए बोन से ४५ करोड़ जर्मन मार्क

†मूल अंग्रेजी में

के ऋण का करार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इसका किस प्रकार उपयोग करने का विचार है?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) से (ग). जी हां। ऋण की वास्तविक राशि ४० करोड़ जर्मन मार्क है जिसके लिए शीघ्र ही एक समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। यह राशि ५ करोड़ जर्मन मार्क के पहिले से उपलब्ध ऋण के अतिरिक्त है। आशा है कि रूरकेला की विद्यमान क्षमता को १० लाख से बढ़ा कर १८ लाख पिण्ड टन करने के विस्तार कार्यक्रम की पूर्ण विदेशी मुद्रा लागत इससे पूरी हो जायेगी। ऋण की मुख्य शर्त यह है कि यह ऋण २० वर्ष की अवधि के लिए है, इस पर ५ ³/₄ प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा और इस अवधि के समाप्त होने पर भुगतान के लिए पांच वर्ष और दिये जायेंगे। ऋण का उपयोग विस्तार के सम्बन्ध में पश्चिमी जर्मनी तथा आस्ट्रिया के संयंत्र और उपकरण के संभरणकर्ताओं को भुगतान करने के लिए किया जायेगा और निर्माण काल के दौरान यदि किन्हीं प्रविधिक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ी तो उन पर होने वाला खर्च भी इसी में से दिया जायेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस विस्तार कार्यक्रम के लागू होने में कितना समय लगेगा?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्):** आशा है कि १९६५-६६ तक संयंत्र निर्माण समाप्त हो जायेगा और कुछ उत्पादन भी हो सकता है; परन्तु अधिकतर उत्पादन चौथी योजना के प्रथम वर्ष में होगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या पश्चिम जर्मन सरकार ब्याज उसी दर से ले रही है जिस पर अन्य पश्चिम योरोपीय ले रहे हैं या यह कम या अधिक है?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** मुझे खेद है कि मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं कि अन्य देश किस दर पर ब्याज ले रहे हैं।

†**श्री महेश्वर नायक :** इस का ध्यान रखते हुए कि राउरकेला की इस परियोजना को एल०डी० प्रक्रिया के अन्तर्गत विशेष प्रविधि होने का लाभ है, इसका क्या कारण है कि विस्तृत क्षमता १८ लाख टन ही निर्धारित की गई है, अर्थात् उन आंकड़ों पर निर्धारित की गई है जो सरकारी क्षेत्र के अन्य दो इस्पात कारखानों से कम हैं?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : वास्तव में, दुर्गापुर को केवल १६ लाख टन तक बढ़ाया जा रहा है। यह विद्यमान उपलब्ध सुविधाओं तथा विस्तार की मितव्ययता के प्रसंग में है कि इसे १८ लाख टन निर्धारित किया गया है। मुझे विश्वास है, चौथी योजना काल में इसे और बढ़ाया जायेगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** पश्चिम जर्मन विशेषज्ञों की सेवाओं तथा मशीनों के लिए अलग अलग कितना ऋण होगा?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** यह पूर्णतया मशीनों के लिए है। सेवाओं के लिए १५० लाख जर्मन मार्क का एक दूसरा ऋण है।

श्री कछवाय : इस कारखाने के विस्तार के लिए जो नया यंत्र और सामान मंगाया जा रहा है वह कहां से मंगाया जा रहा है?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्र० चं० सेठी : वैस्ट जर्मनी और आस्ट्रिया से मंगाया जा रहा है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : जो रुपया लिया गया है उस के एवज़ में हम सामान देंगे या रुपया ही देंगे ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** यह धन के रूप में हो कर मशीनों के रूप में है ।

†**डा० रानेन सेन :** इस दृष्टि से कि पहिले राउरकेला कारखाना ठीक से नहीं चला है, क्या सरकार ने यह करार करते समय यह सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था की है कि मशीनें देने वाली फर्म वही गलतियां न करें ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** हम ने जो गलतियां की हैं, उन से सीखा है और मुझे विश्वास है कि हम ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही की है कि विस्तार कार्यक्रम ठीक रहे ।

इस्पात उत्पादन का लक्ष्य

†*८५६. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए इस्पात उत्पादन लक्ष्य के प्रश्न पर हाल ही में अस्थाई तौर पर कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य क्या है; और

(ग) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में पूरे किये जाने वाले इस्पात उत्पादन के लक्ष्य के अलग अलग आंकड़े क्या हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) से (ग). जी नहीं, अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया । लोहा और इस्पात की चौथी पंचवर्षीय योजना बनाने के लिये जो कर्णधार दल बनाया गया है, वह १८० से १९० लाख टन इस्पात टुकड़े बनाने के अन्तिम लक्ष्य के आधार पर काम कर रहा है । लक्ष्य तथा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के बीच पृथक पृथक लक्ष्यों सम्बन्धी निर्णय, इस कर्णधार दल की सिफ़ारिशें प्राप्त होने के पश्चात् किया जायेगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** यह निर्णय कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** इस वर्ष के अन्त तक ।

†**श्री प्र० चं० सेठी :** चौथी योजना अवधि में इस्पात के उत्पादन के बढ़े हुए लक्ष्य में कितना वर्तमान इस्पात संयंत्रों को आवंटित किया जायेगा तथा कितना बोकारो संयंत्र के लिये ? क्या चौथी योजना में पांचवां संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** कर्णधार दल की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद इन सब बातों का फैसला किया जायेगा ।

†**श्री मुरारका :** क्या यह सच है कि यह दल तीसरी योजना के लक्ष्य के आधार पर अर्थात् इस्पात टुकड़ों का १०० लाख टन लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर विचार कर रहा है ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : वे इस बात को ध्यान में रख रहे हैं कि यह १०० लाख टन के स्थान पर ९० लाख टन इस्पात टुकड़ों का लक्ष्य पूरा करेगा ।

†श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या सरकार अपरीक्षित इस्पात की वर्तमान समस्या से परिचित है और यदि हां, तो उसे हल करने के लिये क्या कार्रवाई करने का इरादा करती है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैं नहीं समझता कि यह इस प्रश्न में आता है । किन्तु हम समस्या को जानते हैं और कार्रवाई कर रहे हैं ।

†श्रीमती सावित्री निगम : इस दल के निर्देश निबंधन क्या हैं और क्या इस समिति को इस्पात की कीमत में कमी करने की सिफारिश करने के लिये कहा गया है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जी नहीं । यह दल चौथी योजना में उत्पादन लक्ष्य निश्चित करने तथा उत्पादन के क्षेत्र नियत करने के लिये विचार करने के हेतु स्थापित किया गया है ।

†श्री हरि विष्णु कामत : तीसरी योजना का लक्ष्य पूरा करने में सहायता करने की दृष्टि से, क्या सरकार ने समुद्र तटीय इस्पात संयंत्र तथा देश भर में छोटे और मध्यम आधार के संयंत्र स्थापित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : समुद्रतटीय इस्पात संयंत्र चौथी योजना की परियोजनायें होंगी । मध्यम आकार के संयंत्रों के बारे में हम निवेली परियोजना के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं । इस के अतिरिक्त, ८ या ९ लोगों को गैर सरकारी क्षेत्र में कच्चा लोहा बनाने के लाइसेंस दिये गये हैं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि थर्ड फाइव इयर प्लान के पहले साल में हम ने ४०,००० टन कम पैदावार की है, यदि हां, तो इस कमी को दूर करने का उपाय क्या है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह ४०,००० टन से कुछ अधिक है ।

अध्यक्ष महोदय : इस डैफ़ीशिएंसी को दूर करने का क्या उपाय किया है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : हम ने उपाय किये हैं और पिछले तीन महीनों में प्रायः पूर्ण क्षमता प्राप्त कर ली है, अर्थात् प्रति वर्ष ६० लाख टन टुकड़ों की ।

†श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार ने मद्रास में चौथा इस्पात संयंत्र आरम्भ करने का निर्णय कर लिया है, जैसा कि कुछ समय पूर्व उद्योग मंत्री ने कहा था ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : चौथा इस्पात संयंत्र बोकारो में होगा । निर्णय अभी नहीं हुआ ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री का ध्यान प्रेस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी नेताओं ने बोकारो संयंत्र के लिये सहायता देने के बारे में मतभेद है और यदि हां, तो इस में क्या सचाई है और क्या हमें बोकारो संयंत्र के लिये अमरीका से पूरी सहायता मिल रही है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : माननीय सदस्य प्रतीक्षा करें । अभी रिपोर्ट आई है और विशेषकर अमरीका जैसे देश में मतभेद होने संभव हैं । किन्तु अन्तिम निर्णय का महत्व होता है । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसे नष्ट करने का प्रयत्न करने के स्थान पर अच्छा निर्णय होने के पक्ष में काम करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में अल्युमिनियम कारखाना

+

†*८५७. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० बरुआ : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में अल्युमिनियम कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी स्थापना के लिये स्थान चुन लिया गया है ; और

(ग) कारखाने की कुल अनुमानित लागत क्या होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). जी नहीं। मध्य प्रदेश में अल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना संबंधी अन्वेष जारी है।

स्थान का चुनाव तथा संयंत्र की लागत का अनुमान अन्वेशन कार्य पूरा होने के पश्चात् ही निर्धारित किये जायेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** कौन से अभिकरण यह अन्वेशन कर रहे हैं ? क्या यह हमारे भारतीय लोगों द्वारा किया जाता है या किसी विदेशी के सहयोग के साथ ?

†**श्री मनुभाई शाह :** दो अभिकरण, जो अन्वेशन कर रहे हैं, वे हैं मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड, बिजली शक्ति के बारे में और कच्चे माल के मामले में भारतीय खान ब्यूरो। उन में अधिकांश भारतीय लोग है, केवल एक स्तर पर हमने एक या दो हंगरी वाले भूतत्वज्ञों को बुलाया था।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** अल्युमिनियम फैक्टरी मध्य प्रदेश में स्थापित करने के कारण क्या हैं और क्या अन्य राज्यों में भी अलमोनियम फैक्टरियां स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** भूतत्वीय सर्वेक्षणों के मोटे संकेतों के आधार पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक केन्द्रीभूत निक्षेप है और कोयला भी है। अतः मध्य प्रदेश चुना गया है।

डा० गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने यह कहा कि यह मामला अभी भी विचाराधीन है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह मामला कितने दिनों से विचाराधीन है और कब तक उस पर कोई न कोई निर्णय हो जाने की आशा की जाती है ?

श्री मनुभाई शाह : यह हिन्दुस्तान का सब से बड़ा एलुमिनियम प्राजेक्ट होने वाला है, इसलिये उस में सारी तहकीकात करनी पड़ती है। पिछले दो साल से सारी इन्वेस्टीगेशन्ज चालू है और हम आशा करते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में उसको लागू कर दिया जायगा।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** यह संयंत्र स्थापित करने के बारे में अन्वेशन इस समय किस स्तर पर है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** अनुमान लगाये जा चुके है। जब मैं मई के महीने में बुडापेस्ट जाऊंगा, तो ३ दिन के लिये हंगरी जाने का विचार करता हूं और मैं वहां व्यापार करार के साथ इस परियोजना के बारे में भी बातचीत करूंगा।

---

†मूल अंग्रजी में

श्री शिव नारायण : इस प्राजेक्ट को बनाने में सरकार ने कितना रुपया अदा किया है ?

श्री मनुभाई शाह : अभी पैसे की बात ही कहां आती है ? जब प्राजेक्ट पूरा हो जायगा, फिर पैसा दिया जायगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

'फिएट' कारों का संभरण

†*५४६. **श्री राम रतन गुप्त :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 'फिएट' कारों का मासिक कोटा २८ फरवरी, १९६३ से पहले, 'प्राथमिकता' वाले लोगों को बिना नम्बर आये दे दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो अन्य लोगों के लिये कितनी कारें बची थीं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) और (ख). दिल्ली में, देश के अन्य केन्द्रों के समान, बिक्री के लिये कारों के वितरण का विनियमन मोटर कारें (वितरण तथा बिक्री) नियंत्रण आदेश, १९५९ के द्वारा होता है। उक्त आदेश के खंड ३ (क) के अधीन मोटर कारों के नियंत्रक को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों अथवा किसी सरकारी प्राधिकार अथवा किसी श्रेणी के लोगों को उनके नाम या कर्त्तव्य का ध्यान रखते हुये या विशिष्ट प्रदेशों में, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आदेश निर्धारित करने की शक्तियां दी गई हैं। तदनुसार केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, निर्माताओं जीवन बीमा निगम और टैक्सी व्यापार के लिये पृथक अभ्यंश नियत किये गये हैं। चालू उत्पादन से उन अभ्यंशों को निकालने के पश्चात्, शेष उत्पादन का वितरण निर्माताओं द्वारा उनके व्यापारियों को देश भर में एक निश्चित ढंग से, नियमित बुकिंग के अनुसार सामान्य जनता में बिक्री के लिये दिया जाता है। अग्रता धारीयों को बिक्री उपरोक्त ढंग से नियंत्रक द्वारा नियत विविध अभ्यंशों के अन्तर्गत आरक्षित कारों में से की जाती है। फरवरी १९६३ के महीने में इस तरीके का उल्लंघन नहीं हुआ। अग्रताधमीयों और आम जनता को बिक्री विविध नियमों से की जाती है, अतः आम जनता को बेचने के लिये नियत संभरण को अग्रेतर धारीयों को देने अथवा उनका अभ्यंश आम जनता को किसी महीने देने का प्रश्न नहीं उठता।

'आन्ध्र शुगर्स लिमिटेड'

†*८४५. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'आंध्र शुगर्स लिमिटेड' को कोठागुडम (आंध्र प्रदेश) की उर्वरक परियोजना में १५ लाख रुपया लगाने की अनुमति दे दी गई है ;

(ख) यह रकम किस प्रकार के कामों पर खर्च की गई है अथवा की जाने की संभावना है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या निदेशकों ने परियोजना में २५ लाख रुपये की अतिरिक्त रकम लगाने की अनुमति मांगी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह धन विनियोजन उर्वरक संयंत्र को चलाने के लिये नवीन समवाय द्वारा जुटाई जाने वाली अंश पूंजी का अंश होगा ।

(ग) जी नहीं ।

सूत की कीमतें

†१७९४. **श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूत की कीमतें, विशेषतया उस सूत की जो अधिकांशतः हथकरघों में इस्तेमाल होता है बढ़ गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक तथा क्यों ; और

(ग) क्या दरों को कम करने का सरकार का विचार है जिससे देश के गरीब हथकरघेसे कपड़ा बुनने वालों की सहायता हो सके ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) कारखाने के मूल्यों में वृद्धि ४ प्रतिशत से १५ प्रतिशत हुई है। यह वृद्धि इसी लिये की गयी है कि हथकरघा उद्योग द्वारा काम में लाये गये अधिकांश सूत का उत्पादन बढ़ाया जाये क्योंकि पुनरीक्षण से पहले के मूल्य ऐसे नहीं थे जिनसे अधिक आय हो सके !

(ग) जी नहीं। यह वृद्धि हथकरघा उद्योग के हित के लिये की गई है।

उत्तर प्रदेश में रेशम कीट पालन उद्योग

†१७९५. { **श्री सरजू पाण्डेय** :
श्री अ० ब० सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को शहतूत के पेड़ों के बाग लगाने **तथा** (रेशमकीट उद्योग का विकास करने के लिये १९६२-६३ में अलग अलग कितना अनुदान तथा ऋण दिया गया था ; और

(ख) राज्य ने कितनी रकम का उपयोग किया था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). शहतूत के पेड़ों के बाग लगाने समेत रेशमकीट पालन उद्योग के विकास के लिये १९६२-६३ में राज्य सरकार द्वारा किये गये ६.६५ लाख रुपये की अनुमानित व्यय के आधार पर १९६२-६३

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को निम्नलिखित सहायता दी गई थी :—

	लाख रुपये
ऋण	३.२८
अनुदान	१.६६

इस रकम को व्यय करने के बारे में अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

गाजीपुर में कागज का कारखाना

१७६६. { **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री ज० ब० सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में कागज का एक कारखाना स्थापित होने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कारखाने की स्थापना के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ;

(ग) यदि हां, तो कितनी ; और

(घ) इस कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) गाजीपुर में कागज का एक कारखाना खोलने के लिये लाइसेंस दिया जा चुका है।

(ख) और (ग). इसके लिये मशीनें देशी साधनों से ही ली जायेंगी।

(घ) १,५०० टन प्रति वर्ष।

उत्तर प्रदेश में उद्योग

१७६७. { **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री ज० ब० सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कौन कौन से उद्योग प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंच वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विदेशी सहायता से स्थापित किये गये हैं ;

(ख) प्रत्येक उद्योग में कौन कौन सी वस्तुयें बनाई जाती हैं और प्रत्येक की उत्पादन-क्षमता क्या है ; और

(ग) इनमें से कितने सरकारी क्षेत्र में और कितने गैर सरकारी क्षेत्र में हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). जहां तक सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का सम्बन्ध है, मांगी गयी जानकारी देने वाला एक विवरण साथ में नत्थी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-११२०/६३]**

उत्तर प्रदेश के गैर-सरकारी क्षेत्र के उन उद्योगों के बारे में, जिन्हें पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने के उद्देश्य से विदेशी ऋण का इस्तेमाल करने के लिए विदेशी सहायता अथवा टेक्निकल या वित्तीय विदेशी सहयोग मिला है, पूरी जानकारी इकट्ठी करने में जितना श्रम लगेगा वह उक्त जानकारी की उपयोगिता को देखते हुए बहुत अधिक होगा ।

विदेशी फिल्मों का आयात

†१७९८. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० में अब तक हमारे देश में कितनी विदेशी फिल्मों का आयात हुआ था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: फिल्मों के आयात के आंकड़े मीटरों की लम्बाई पर उपलब्ध हैं उनकी संख्या पर नहीं । सिनेमा की उतरी हुई फिल्मों, (मीटरों की लम्बाई) साफ की हुई अथवा नहीं—की मात्रा १९६०, ६१, ६२ तथा ६३ (जनवरी १९६३ तक) नीचे दी जाती है :—

वर्ष	मात्रा ('००० मीटरों की लम्बाई में)
१९६०	५०९४
१९६१	५१४९
१९६२	५५९५

भारतीय फिल्मों का निर्यात

†१७९९. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९६२ से आज तक कितनी भारतीय फिल्मों का विदेशों को निर्यात किया गया ; और

(ख) उनसे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) भारत से निर्यात की गई फिल्मों की सांख्यकी नहीं रखी जाती है । परन्तु निर्यात की गई फिल्मों की लम्बाई तथा मूल्य के आंकड़े वाणिज्यिक गोपनीयता तथा सांख्यकी विभाग, कलकत्ता करता है तथा उनका प्रकाशन "दि मन्थली स्टेटिसक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इंडिया" पत्रिका में होता है ।

(ख) १२१.९० लाख रुपये ।

सीमेंट के कारखाने

†१८००. **श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गैर सरकारी उद्योगपतियों ने जिन्हें पिछले पांच वर्षों में सीमेंट फैक्टरियां चालू करने के लिए लाइसेंस मिले थे, अभी तक फैक्टरियां स्थापित नहीं की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) लाइसेंस कितने समय से सम्बन्धित है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : १ ज १६५८ से आज तक गैर सरकारी उद्योगपतियों को सीमेंट बनाने के लिए २१ लाइसेंस दिए गये थे। इसमें से ६ नये कारखाने स्थापित करने के लिए थे तथा बारह वर्तमान कारखानों के विस्तार के लिए थे। इन में से एक नया कारखाना स्थापित कर दिया गया है तथा एक का विस्तार पूरा हो गया है। पांच लाइसेंस—चार विस्तार के तथा एक नया एकक स्थापित करने का—रद्द कर दिए गए हैं। दस लाइसेंसों—छः नये कारखानों के तथा चार विस्तार के—की तिथियां अभी समाप्त नहीं हुई हैं। एक नये कारखाने तथा तीन विस्तार कारखाने के चार लाइसेंसों का लाइसेंस में बताई गई अवधि अर्थात् २६ नवम्बर, १६६०, ५ नवम्बर, १६६२, ३१ मार्च, १६६३ तथा २४ मार्च, १६६३ समाप्त हो गई है तथा लाइसेंस में उचित संशोधन अथवा उसके रद्द करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

आसाम में रेशम उद्योग

†१८०१. **श्री रा० बरुआ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में रेशम उद्योग विशेषतः उत्पादन, विपणन, तथा निर्यात के सम्बन्ध में विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ख) 'अन्डी', 'मूगा' तथा 'पट' रेशम के उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े गत चार वर्ष के क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में आसाम में रेशम उद्योग के विकास के लिए ७५ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है। राज्य में क्रियान्विति में योजना की सूची सम्बद्ध है।

सूची

१. 'एरी' उद्योग की विकास योजना
२. 'मलबी' उद्योग की विकास योजना
३. 'मूगा' उद्योग की विकास योजना
४. 'टीटाबारक' रेशम कीट पालना उद्योग प्रशिक्षण संस्था का विस्तार
५. टीटाबार रेशम कीट पालन अनुसन्धान केन्द्र का विस्तार
६. प्रचार का प्रसार
७. ककून विपणन तथा रेशम सहकारी समितियों की स्थापना।

(ख) १६५६ में आसाम में कच्चे रेशम के उत्पादनों की सूची नीचे दी जाती है :—

(किलोग्राम में आंकड़े)

वर्ष	उत्पादन				
	एरी	मूगा	टसर	मलबरी	जोड़
१६५६	११२,०८४	८४,७२५	—	१४,०००	२१०,८०६
१६६०	१०१,१५३	५४,०००	—	११,२५०	१६६,४०३
१६६१	१२०,०००	५६,२५५	—	१२,७७३	१८६,०२८
१६६२	२३०,४००	५०,५००	—	६,६६०	२६०,८६०

†मूल अंग्रेजी में

आसाम में हस्तशिल्प

†१८०२. **श्री रा० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आसाम में महत्वपूर्ण हस्तशिल्पों को तकनीकी मार्ग दर्शन तथा वित्तीय सहायता देने के लिये आसाम सरकार से कोई प्रार्थना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या हस्तशिल्प बोर्ड ने आसाम की हस्तशिल्प संभावनाओं का सर्वेक्षण किया है तथा क्रियान्विति के लिए उपयुक्त योजना का सुझाव दिया है ; और

(घ) मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा प्रति वर्ष वार्षिक योजनाओं के प्रस्तुत करने के आधार पर हस्तशिल्प समेत विभिन्न उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारों को धन दिया जाता है । इस धन में से राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय के आधार पर वर्ष के अन्त तक के लिए योजना की क्रियान्विति करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है । तदनुसार आसाम सरकार को १९६२–६३ के लिए ५१,००० रुपये का अनुदान तथा ६८,००० रुपये का ऋण तथा १९६३–६४ वर्ष के लिए २.४८ लाख रुपये स्वीकार किये गये हैं ।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड हस्तशिल्प के विकास के लिए योजनाओं की क्रियान्विति तथा बनाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता दी । आसाम सरकार की स्वीकृति से बोर्ड पाइन एप्पल रेशा निष्कासन तथा कताई केन्द्र स्थापित करने की योजना तैयार कर रहा है ।

(ग) और (घ). अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड गोहाटी में पीतल तथा बैल मैटल (तांबा तथा टीन की मिश्रित धातु) के बर्तनों का सर्वेक्षण किया गया है । बोर्ड ने आसाम सरकार को सर्वेक्षण प्रतिवेदन भेजा है । तथा उनको सलाह दी गई है कि पीतल तथा बैल मैटल को अत्यधिक विकास की योजनायें चालू करें ।

उड़ीसा के लिए नालीदार लोहे की चादरें

†१८०३. **श्री उलाका :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में उड़ीसा के लिए लोहे की नालीदार चादरों की कुल आवश्यकता कितनी है ;

(ख) इसी अवधि में उड़ीसा को केन्द्र द्वारा कितनी मात्रा का आवंटन किया गया था ; और

(ग) इसी अवधि में उड़ीसा को कितनी नालीदार लोहे की चादरों का संभरण किया गया था ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** संभवतया माननीय सदस्य गैलवैनाइज्ड नालीदार चादरों के बारे में पूछ रहे हैं । जानकारी नीचे दी जाती है :

	(मीट्रिक टनों में)
(क) मांग/आवश्यकता, (१९६२–६३)	१०,४१२

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आवंटन	उत्पादकों के पास बहुत से आर्डर होने के कारण १९६२–६३ में गैलवेनाइज्ड नालीदार चादरों का आवंटन नहीं किया गया था। ऐसा सभी राज्यों के मामलों में किया था तथा केवल उड़ीसा के लिए ही नहीं।
(ग) लदान/संभरण	३५१३ (अप्रैल, १९६२ से जनवरी, १९६३ तक) इसमें केन्द्र (राज्य छोटे के अधीन बकाया) आर्डर तथा चालू लदान तथा राज्यों के स्टाकिस्टों का कोटा भी शामिल हैं।

उड़ीसा के लिए स्टेनलेस स्टील

†१८०४. **श्री उलाका** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में उड़ीसा को बर्तनों का निर्माण करने के लिए स्टेनलेस स्टील का क्या कोटा है ; और

(ख) इसी अवधि में उड़ीसा को कितना स्टेनलेस स्टील दिया गया था ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) १९६२–६३ में उड़ीसा को बर्तन बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का कोई कोटा नहीं है।

(ख) इसी अवधि में वास्तविक संभरण की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां

†१८०५. **श्री उलाका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में उड़ीसा में कितनी औद्योगिक बस्तियां बनाई गई हैं और किन ज़िलों में बनाई गई हैं ; और

(ख) इसी अवधि में अब तक उड़ीसा को केन्द्र द्वारा कितना धन दिया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) १९६२–६३ में औद्योगिक बस्तियों के लिए उड़ीसा सरकार को ३.६९ लाख रुपये की राशि दी गई है।

उड़ीसा में हस्तशिल्प उद्योग

†१८०६. **श्री उलाका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२–६३ में हस्तशिल्प उद्योग के विकास के लिए उड़ीसा को केन्द्र द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा प्रति वर्ष वार्षिक योजनाओं के प्रस्तुत करने के आधार पर हस्तशिल्प समेत विभिन्न उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारों को धन दिया जाता है। इस धन में से राज्य सरकारों द्वारा किए गए वार्षिक व्यय के आधार पर वर्ष के अन्त तक वित्तीय सहायता दी जाती है। तदनुसार १९६२–६३ वर्ष के लिए हस्तशिल्प के लिए उड़ीसा सरकार को ४·१४ लाख रुपये का आवंटन किया गया था। उनके द्वारा किए गए वार्षिक व्यय के आधार पर ०.८० लाख रुपये का अनुदान तथा १.१४ लाख रुपये का ऋण की केन्द्रीय सहायता उस वर्ष के लिए दी गई है।

उड़ीसा में हस्तशिल्प उद्योग

†**१८०७. श्री उलाका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में उड़ीसा में हथकरघा उत्पादों का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उक्त अवधि में सूत की कुल कितनी खपत हुई ; और

(ग) १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में अब तक राज्य में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए उड़ीसा के लिए कितनी रकम स्वीकार की गई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग)

वर्ष	स्वीकृत रक़म
१९६१–६२	रुपये १४.४७ लाख (ऋण के रूप में ९.०७ लाख रुपये तथा अनुदान के रूप में ५.४० लाख रुपये।)
१९६२–६३	रुपये १०.९६ लाख (ऋण के रूप में ६.६३ लाख रुपये तथा अनुदान के रूप में ४.३३ लाख रुपये।)

पूर्व यूरोपीय देशों के साथ व्यापार

†१८०८. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन से पूर्व योरोपीय देश रुपया भुगतान आधार पर भारत से अपनी वस्तुओं का आयात कर रहे हैं ; और

(ख) इस आधार पर किन वस्तुओं का आयात किया गया था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) रूस, चैकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, पोलैंड, पूर्व जर्मनी, हंगरी, रूमानिया, तथा बलगारिया।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भारत से पूर्वी योरोपीय देशों को निर्यात होने वाली वस्तुओं को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी--११२१/६३]

इंडियन ड्रग्स एण्ड फारमास्यूटिकल्स लिमिटेड

†१८०९. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फारमास्यूटिकल्स लिमिटेड औषधि के पौदों का बिना बाधा के संभरण करने के लिए अपने औषधि बागान स्थापित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने फार्म हैं तथा ये किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). इंडियन ड्रग्स एण्ड फारमास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित पादप (फाइटो) रसायन एकक को देने के लिए राज्य सरकारों से औषधि के पौदों का निर्बाध संभरण करने के लिए पूछा गया है। यह प्रबन्ध किए गए हैं कि सर्पगन्धा, डिजिटेलिस परप्यूरिया आदि विभिन्न पौदों को मद्रास, केरल तथा मैसूर राज्य सरकारों द्वारा उगाया जायेगा। यह भी प्रस्ताव किया गया था कि यदि इनका संभरण पर्याप्त नहीं हो सकेगा तो इंडियन ड्रग्स एण्ड फारमास्यूटिकल्स लिमिटेड पर्याप्त सम्भरण के लिए स्वयं औषधि-फार्म बनाने के औचित्य पर विचार करेगी। क्योंकि पादप रसायन इस पौदे के उत्पादन के लिए स्वीकृत टैकनोलाजिकल प्रक्रिया को अन्तिम रूप देने में विलम्ब होगा इसलिए ड्रग फार्मों की स्थापना के प्रश्न पर तब अग्रेतर विचार किया जायेगा जब परियोजना की स्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा।

'मोपेड्स' का उत्पादन

†१८१०. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री २३ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 'मोपेड्स' को कुल कितनी आवश्यकता है ; और

(ख) 'मोपेड्स' का उत्पादन करने वाली इकाइयों की कुल उत्पादन क्षमता क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) और (ख). केवल 'मोपेड्स' की मांग का निर्धारण नहीं किया गया है। परन्तु इसको स्कूटरों, तीन पहियों वाली गाड़ियों की मांग में रखा गया है जिनका अनुमान, १९६५-६६ तक प्रत्येक वर्ष ६०,००० है।

इस समय केवल एक फर्म 'मोपेड' बना रही है। इसकी स्कूटरों, तीन पहियों वाली गाड़ियों तथा 'मोपेड्स' की निर्माण क्षमता प्रति वर्ष १२,००० है।

विदेशी क्रय संगठन

†१८११. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी योजना अवधि

---

†मूल अंग्रेजी में

में किन देशों में विदेशी श्रम संगठन स्थाथित की जा रही है अथवा की गई है ?

†आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): तीसरी योजना अवधि में अब तक कोई विदेशी श्रम संगठन स्थापित नहीं किया गया है तथा अभी इसकी स्थापना करने का भी विचार नहीं है ।

काजू

†१८१२. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काजू मण्डी में मंदी आने के क्या कारण हैं ; और

(ख) जनवरी, १९६०, १९६१ और १९६२ में काजू की थोक कीमतें क्या थीं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) काजू उद्योग में मंदी आने की भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं आई है ।

(ख) जनवरी, १९६०, १९६१ और १९६२ के सप्ताहान्तों में भारत में काजू की कीमतें निम्नलिखित हैं :—

किस्म	जनवरी में सप्ताहान्तों में प्रति मीटरिक टन मूल्य (रुपयों में)		
	१९६०	१९६१	१९६२
मध्यम	४,८५०	५,२२५	३,९६८
टुकड़े	३,१७४	३,१७४	२,६४५

'प

†१८१३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पावर टिलर्स' के निर्माता का एक कारखाना स्थापित करने के लिए जापान की बोटा लोहा और मशीनरी कम्पनी के पांच विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कारखाना खोलने की कोई योजना बन गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) और (ख). बिहार सरकार के निमंत्रण पर एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया था और उसने भारत में कूबोटा 'पावर टिलर्स' के आयात निर्माण के बारे में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तथा अन्य सरकारों से बातचीत की थी प्रतिनिधिमंडल के आने से पहले ही एक गैर-सरकारी फर्म ने इस प्रकार के दल के निर्माण के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ के अधीन एक प्रार्थना पत्र भेजा था । ऐसे ही अन्य प्रार्थना-पत्रों के साथ वह प्रार्थना-पत्र भी विचाराधीन है ।

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में ऊन उद्योग

†१८१४. { **श्री बिशनचन्द्र सेठ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने राजस्थान सरकार को राज्य में ऊन उद्योग की स्थापना में सहायता करने के लिये विशेषज्ञों की सेवायें देने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीयों को ऊन उद्योग में प्रशिक्षण देने के लिये आस्ट्रेलिया के कुछ विशेषज्ञों के राज्य का दौरा करने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके कब आने की सम्भावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) से (ग). आस्ट्रेलिया सरकार से ४ महीनों की अवधि के लिये एक परियोजना पर्यवेक्षक तथा ४ ऊन श्रेणीकरण शिक्षकों की सेवाओं के लिये प्रार्थना की गई है। प्रार्थना आस्ट्रेलिया सरकार के विचाराधीन है। इन विशेषज्ञों की सेवायें राजस्थान सरकार को अर्पित कर दी जायेंगी तथा राज्य सरकार को ऊन श्रेणीकरण तथा श्रेणीकरण के प्रोरम्भिक कार्य के पर्यवेक्षण में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में सहायता मिले।

सीमेंट उत्पादन

†१८१५. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा : }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उत्पादन की विभिन्न रीतियों का अध्ययन करने के लिये कोई सीमेंट उत्पादिता दल अमरीका, इंग्लैण्ड जर्मनी तथा अन्य देशों को गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है ;

(ग) क्या इसने देश में सीमेंट के उत्पादन के लिये किसी नई रीति का सुझाव दिया है; और

(घ) क्या इसके सुझाव के अनुरूप कोई कारखाना खोला गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):** (क) जी हां। सीमेंट उद्योग पर एक उत्पादिता अध्ययन दल का राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिये अमरीकी अभिकरण की सहायता से पुरोविधान किया गया था। १९६१ में इस दल ने अमरीका, इंग्लैण्ड और फ्रांस का दौरा किया था। जर्मनी इस दल के कार्यक्रम में नहीं था।

(ख) दल ने अगस्त, १९६२ में राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् को अपना प्रतिवेदन दिया जो कि छप रहा है।

(ग) और (घ). दल ने सीमेंट उद्योग की उत्पादिता को बढ़ाने के लिये अनेक सिफारिशें की हैं। तथापि इसने सीमेंट के उत्पादन की किसी नई रीति के बारे में सुझाव नहीं दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत के साथ अमरीकी व्यापार

†१८१६. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीकी वाणिज्य विभाग के प्रतिवेदन का अध्ययन किया है जिसमें १९५१ से १९६१ तक की अवधि में भारत के साथ अमरीकी व्यापार का पुनर्विलोकन किया गया है;

(ख) क्या इस बात का संकेत किया गया है कि संभाव्य अमरीकी विनियोजकों में 'ठहरो और देखो' की मनोवृत्ति स्पष्ट हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार के क्या विचार हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां ।

(ख) प्रतिवेदन में आपात स्थिति के भारत में विनियोजन वातावरण पर होने वाले प्रभाव की चर्चा की गई थी, विभिन्न संभाव्य प्रभाव गिनाये गये थे तथा और बातों के साथ साथ इस बात का उल्लेख था कि कुछ संभाव्य अमरीकी विनियोजकों ने 'ठहरो और देखो' की मनोवृत्ति अपना ली थी ।

(ग) सरकार का विचार है कि भारतीय औद्योगिक विकास में गैर-सरकारी विदेशी विनियोजन बढ़ता ही जायेगा ।

व्यापार चिन्हों का उपयोग

†१८१७ **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने अधिक प्रगतिशील देशों द्वारा व्यापार चिह्नों के उपयोग की प्रणाली को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रार्थना की है ताकि कम विकसित देशों में आन्तरिक व्यावहारिक अनुसन्धान निराशापूर्ण और निष्फल न हो जाये ; और

(ख) यदि हां तो इस सुझाव के प्रति उस विश्व संगठन की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) माननीय सदस्य कदाचित उस दृष्टिकोण के बारे में सोच रहे हैं जो कि फरवरी १९६३ में जिनेवा में हुई संयुक्त राष्ट्र वैमानिक और प्रौद्योगिक सम्मेलन की चर्चाओं में भाग लेते समय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान के महा-निदेशक डा० एस० हुसैन जहहीर द्वारा व्यक्त किया गया था । तथापि औपचारिक ढंग से भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ से ऐसी कोई बात नहीं कही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ईरान से मेवों का आयात

†१८१८. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य व्यापार निगम को २२½ लाख रुपये तक ईरान से मेवों के आयात लाइसेंस दिये थे ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य व्यापार निगम ने निजी बातचीत द्वारा १२½ लाख रुपये का एक लाइसेंस देहली की एक फर्म के नाम हस्तांतरित करना मान लिया था ; और

(ग) यदि हां तो उसके क्या कारण थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ईरान मे मेवों के आयात के लिये राज्य व्यापार निगम को केवल १२.५० लाख रुपये का लाइसेंस दिया गया था।

(ख) और (ग). ईरान में कारोबार की अपनी कोई व्यवस्था न होने के कारण राज्य व्यापार निगम ने उस देश से मेवों के आयात के प्रयोजनों के लिए एक फर्म को अपने व्यापार-सहायक के रूप में नियुक्त किया। कई एक फर्मों द्वारा दी गई शर्तों पर विचार करने के बाद यह नियुक्ति गुण दोषों के आधार पर की गई थी।

उत्पादन तथा निर्यात के लक्ष्य

†१८१६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की उन वित्तीय तथा आर्थिक कठिनाइयों का जिनके कारण १९६१ और १९६२ के दौरान उत्पादन तथा निर्यात के तीसरी योजना के लक्ष्यों की पूर्ति में रुकावट पड़ गई थी मार्च १९६३ के आरम्भ में हुये रशिया तथा सुदूर-पूर्व के लिये आर्थिक आयोग के १९वें अधिवेशन में विश्लेषण और अध्ययन किया गया था;

(ख) यदि हां तो आयोग के अधिवेशन में कौनसी कठिनाइयां बताई गई थीं; और

(ग) इन चर्चाओं के प्रकाश में सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं। तथापि अधिवेशन में एशिया की आर्थिक स्थिति और एशिया तथा सुदूर-पूर्व के लिये आर्थिक आयोग के क्षेत्र में आने वाले देशों के विदेशी व्यापार के बाद में स्थिति पर विचार किया गया था तथा बातचीत के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने अन्य देशों के साथ साथ भारत को पेश आने वाली मुख्य कठिनाइयों का उल्लेख किया था।

(ख) भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने जो मुख्य कठिनाइयां बताईं, उनका विकसित देशों में प्रशुल्कीय तथा अप्रशुल्कीय निर्बन्धनों के रूप में निर्यात व्यापार में आने वाली बाधाओं से था।

(ग) भारत के निर्यात व्यापार की वृद्धि में आने वाली उपर्युक्त तथा अन्य कठिनाइयों का विस्तारपूर्वक और लगातार अध्ययन किया जा रहा है तथा गहन निर्यात संवर्द्धन उपाय किये जा रहे हैं; इस मामले को १९६४ के आरम्भ में होने वाले विश्व व्यापार सम्मेलन तथा अन्य उचित गोष्ठियों में भी अग्रेतर चर्चा के लिये उठाये जाने की सम्भावना रखी जाती है।

†मूल अंग्रेजी में

ओखला में आद्यरूप (प्रोटोटाइप) उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र

†१८२०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओखला के आद्यरूप (प्रोटोटाइप) उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र में पतले इस्पात की कुछ गरारियां बनाई गई थीं;

(ख) क्या ये कुछ घंटों के लिये भी धक्के को सहन न कर पाई थीं ;

(ग) यदि हां तो अनुमानतः कहां तक हानि हुई ;

(घ) इस हानि का हिसाब कैसे किया गया था ; और

(ङ) इसके लिये कौनसा व्यक्ति या कौन से व्यक्ति उत्तरदायी ठहराये गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). ओखला के आद्यरूप (प्रोटोटाइप) उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र में अब तक बनाई गई तथा परीक्षा की गई ९३२ गरारियों में से १७ पतले इस्पात की थीं । इन त्रुटियों का पता तब चला जब वेलर खराद के आद्यरूपों की जिनमें कि ये गरारियां लगाई गई थीं भार के नीचे गहन परीक्षा की गई और टूट-फूट देखने के लिये पुर्जों की जांच की गई जैसा कि मशीनी औजार विकास कार्यक्रम के लिये अपनाई जाने वाली सामान्य प्रणाली है ।

(ग) १७ त्रुटिपूर्ण गरारियों में से १२ को उचित सतह सुधार द्वारा ठीक किया जा रहा है। शेष ५ गरारियों पर होने वाली अनुमानित हानि का २४.०० रुपये है।

(घ) इस हानि को विकास व्यय के अधीन दिखाया गया है क्योंकि जिन मशीनों के लिये गरारियां बनाई गई थीं वे आद्यरूप श्रंखला के अन्तर्गत थीं । किसी भी नई मलशीनरी के विकास में ऐसी हानियां होती ही हैं ।

(ङ) इसके लिये किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था ।

परियोजनाओं को चालू करना

†१८२१. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं परियोजनाओं को जिन्हें उनके मन्त्रालय के तत्वावधान में दूसरी योजना अवधि के अन्त तक पूरा किया जाना था तीसरी योजना अवधि में डाल दिया गया है ;

(ख) इन परियोजनाओं में कितना व्यय सन्निहित है ;

(ग) क्या आगे ले जाई गई परियोजनायें पूरी और चालू कर दी गई हैं ; और

(घ) जो परियोजनायें अभी चालू होने वाली हैं उनके पूरा न होने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी हां ।

(ख) परियजनाओं पर कुल व्यय ३८८.१० करोड़ रुपये ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पथरेडिट के कोयल। धोने के कारखाने, मैसूर लोहा और इस्पात लिमिटेड के विस्तार तथा रूरकेला इस्पात संयंत्र के एक छोटे से यूनिट के सिवाय शेष सभी पूरी कर ली गई हैं और चल पड़ी हैं ।

(घ) पूरी न होने के कारण ये हैं :——

मैसूर लोहा औह इस्पात लिनिटेड——प्रारम्भिक प्रबन्धों को अन्तिम रूप दिये जाने में विलम्ब क कारण सरमार द्वारा केवल १९६० में ही स्वीकृति दी गई थी ।

पथेरडीह कोयला धोवन कारखाना——निर्माण के लिये ठेकों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब ।

रूरकेला इस्पात संयंत्र:——हाटडिप टिनिंग लाइनों का एक भाग अभी चालू होने वाला है । विलम्ब इन चीजों के लिये देर से क्रयादेश देने के कारण हुआ था ।

इन सब के १९६३ में पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

सूक्ष्म औजारों का कारखाना

१८२२. { **श्री कछवाय :**
श्री बड़े :
श्री कोया : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा और पालघाट में पुदासेरी में स्थापित किये जाने वाले सूक्ष्म औजारों के कारखानों के लिये कोई मशीनें आयात की गयी है, और यदि हां, तो उन पर कितना व्यय हुआ है ; और

(ख) इन परियोजनाओं पर कुल कितना व्यय होगा और उनके कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो : (क) जी, नहीं ।

(ख) इन परियोजनाओं पर किये जाने वाले कुल खर्च के बारे में ठीक-ठीक अनुमान विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के प्राप्त हो जाने और उनकी सरकार द्वारा जांच कर लेने क बाद ही लगाया जा सकेगा । विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के मिलने की तारीख से तीन वर्षों के अन्दर इन परियोजनाओं के पूरे हो जाने की संभावना है ।

भारतीय कपड़ा मिलों के लिये मिस्री कपास

†१८२३. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब गणतंत्र ने भारतीय कपड़ा मिलों को रुपयों के भुगतान में बड़ी मात्रा में मिस्री कपास बेचने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त अरब गणतंत्र द्वारा पेश की गई किन शर्तों की जांच की गई है ; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). सूचना थी कि कलकत्ता स्थित संयुक्त अरब गणराज्य व्यापार केन्द्र ने भारतीय कपड़ा मिल मंडल को भारतीय रुपये के भुगतान में मिस्री कपास की लगभग ३०,००० गांठें देने का एक प्रस्ताव किया था। समय समय पर मिलों को आयात के जो कोटे आवंटित किये जाते है उनके अनुसार वे इस मात्रा का आयात करने के लिये स्वतंत्र हैं।

निर्यात वस्तुओं का बाजार भाव

†१८२४. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्यात वस्तुओं के बढ़ते हुये आंतरिक बाजार भाव तथा अन्तरर्ष्ट्रीय बाजार के भाव में अन्तर को कम करने के लिये सरकार क्या उपाय करना चाहती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : भारतीय उत्पादों को अन्तरर्ष्ट्रीय मंडी में प्रतियोगात्मक बनाने की दृष्टि से निर्यात भावों को कम करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(क) जिन उत्पादों पर उत्पादन शुल्क दी जानी होती है उन के निर्यात पर उत्पादन शुल्क मैं छूट दी जाती है।

(ख) निर्यात किये जाने वाले उत्पादों के निर्माण में प्रयोग होने वाली साग्री पर जो सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क दिये जाते हैं उनकी पूरी वापसी की अनुमति दी जाती है।

(ग) कुछेक मामलों में निर्यात के लिये पत्तन तक वस्तुयें भेजने पर रियायती रेल भाड़ा लिया जाता है। कुछ मामलों में यह रियायत ऐसे कच्चे माल के भेजने पर भी दी जाती है जो निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में काम आता है।

(घ) विविध निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के अधीन दिये जाने वाले आयात लाइसेंस विभिन्न उत्पादों के निर्यात मूल्यों की कुछ प्रतिशतता तक कच्चा माल, पुर्जों, उपभोक्ता स्टोर्ज, प्रतिस्थापन के लिये मशीनरी तथा उपकरण के आयात की अनुमति देते हैं, ये आयात निर्यात के लिये उत्पादन को आयात निर्बन्धनों आदि के कारण घरेलू मंडी में प्रचलित कच्चे माल के अधिक ऊंचे मूल्य के अलाभ से अलग रखते हैं।

(ङ) निर्यातकों को देशी लोहा और इस्पात रियायती कीमतों पर दिया जाता हैं। पूर्णनिर्मित प्लास्टिक वस्तुओं के निर्यातकों को रियायती कीमतों पर प्लास्टिक के कच्चे माल के संभरण की भी व्यवस्था की गई है।

(च) निर्यातकों को सरल तथा दीर्घकालीन ऋण की सुविधायें भी दी जाती हैं।

(छ) जहां आवश्यक होता है वैयक्तिक वस्तुओं के संबंध में विशिष्ट सहायता के दिये जाने के अन्य ढंगों पर भी विचार किया जाता है।

(ज) निर्यात में आय-कर में भी सुविधा दी जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(झ) निर्यात किये जाने वाले उत्पादों की लागत के प्रश्न की जांच करने तथा उसमें कमी के लिये किये जान वाले उपायों की सिफारिशें करने के लिये एक लागत कम करने वाली समिति बनाई गई है ।

इमारती लकड़ी के ठेकेदार से बकाया रकम की वसूली

†१८२५. **श्री नम्बियार** : क्या **आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३३.५४ लाख रुपये की वह राशि जो इमारती लकड़ी के एक ठेकेदार पर १९५१ और १९५८ के बीच ५१ ठेकों के सिलसिले में वसूली अथवा अन्यथा १९६२ में बकाया थी वसूल कर ली गई है ;

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं : और

(ग) उसकी वसूली के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) जी नहीं अभी तक फर्म से केवल २०,००० रुपये वसूल किये गये हैं ।

(ख) फर्म ने क्योंकि हमारे दावे पर आपत्ति उठाई है इसलिये मामला मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंप दिया गया है और कार्यवाही अभी होने वाली है ।

(ग) अन्य सरकारी विभागों को कहा गया है कि जो रुपया उन्होंने देना था उसे वे रोक लें ।

रूस को चाय का निर्यात

†१८२६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में रूस को कितनी चाय का निर्यात किया गया है ; और

(ख) १९६१–६२ के आंकड़े से इसकी क्या तुलना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). केवल फरवरी १९६३ तक के निर्यात आंकड़े उपलब्ध है । अप्रैल, १९६२–फरवरी १९६३ की अवधि में रूस को १ करोड़ २६ लाख किलोग्राम चाय का निर्यात किया गया था जबकि १९६१–६२ की इसी अवधि में १ करोड़ १३ लाख किलोग्राम का निर्यात किया गया था ।

एयर राइफल्स

†१८२७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एयर राइफल्स की वर्तमान राज्यवार आवश्यकतायें क्या हैं ; और

(ख) इस आवश्यकता का कितना भाग विदेशों से किये गये आयात से पूरा किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) यह हमें ज्ञात नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा इस वस्तु की आवश्यकताओं का कभी कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

(ख) अक्तुबर, १९५७—मार्च १९५८ से लेकर इस वस्तु के आयात पर प्रतिबध लगा दिया गया है।

छोटे पैमाने के उद्योगों के कर्मचारियों का प्रशिक्षण

†**१८२८. श्री राम हरख यादव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे पैमाने के उद्योगों में लगे हुए दस्तकारों के लिये निःशुल्क प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे तथा उसके लिये पात्रता की शर्तें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन अनेकों लघु उद्योग सेवा संस्थाओं तथा विस्तार केन्द्रों के द्वारा नीली छाप पढ़ने[1] ऊष्मा उपचार[2], मशीन शाप प्रैक्टिस, लोहागिरी, बढ़ईगिरी, विद्युत्-लेपन करना[3] आदि जैसे अनेक प्रविधिक व्यवसायों तथा प्रणालियों में, छोटे पैमाने के उद्योगों में लगे हुए तथा उनके द्वारा पुरोनिधान किये गये दस्तकारों के लाभ के लिए, प्रशिक्षण दे रहा है। ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक दस्तकारों को जिस व्यवसाय में वह प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उस में पर्याप्ति अनुभव होना चाहिये जिससे कि लघु उद्योग सेवा संस्थाओं में उपलब्ध उच्च तथा गहन प्रशिक्षण को भली भांति समझ सकें । प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है और कुछ मामलों में जहां कि दस्तकारों को पूरे समय अर्थात् ९ बजे प्रातः से ५ बजे सायंकाल तक प्रशिक्षण लेना पड़ता है तो वहां उन्हें वृत्तिकायें भी दी जाती हैं । प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की अवधि भिन्न भिन्न पाठ्यक्रमों तथा व्यवसायों के लिये अलग अलग है । एक विस्तृत टिप्पण संलग्न है । जिस में केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के छोटे छोटे उद्योगपतियों के लिये उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का वर्णन किया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ११२२/६३]**

नेपा मिल्स

१८२९. श्री कछवाय : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स के विस्तार कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(ग) इससे कितना अधिक उत्पादन हो सकेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग तीन वर्षों में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Blue Print reading. [2]Heat treatment. [3]Electroplating.

(ग) वर्तमान उत्पादन क्षमता जो ३०,००० मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, बढ़ कर ६०,००० मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो जाने की सम्भावना है ।

मद्रास के लिए सीमेंट का कोटा

†१८३०. **श्री धर्मलिंगम्:** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी-मार्च, १९६३ की तिमाही के लिये मद्रास राज्य सरकार ने सीमेन्ट के कितने कोटे की मांग की है;

(ख) कितनी मात्रा में सीमेन्ट दिया गया है;

(ग) अपेक्षित मात्रा में सीमेन्ट न देने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) ३ लाख ४५ हज़ार २६७ मीट्रिक टन ।

(ख) ९५ हज़ार ८५० मीट्रिक टन ।

(ग) देश में सीमेन्ट की जो मांग की गई है वह बहुत अधिक है, परन्तु समर्थ मांग[1] भी वास्तविक उत्पादन से कहीं अधिक है और वर्तमान राष्ट्रीय आपात के कारण उत्पन्न हुई भारी प्रतिरक्षा आवश्यकताओं को भी पूर्ववर्तिता के आधार पर पूरा करना पड़ता है । इसलिये, राज्य सरकार की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया जा सकता ।

दिल्ली में बिजली के सामान की चोर बाजारी

१८३१. { **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री गोकरण प्रसाद :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बजट आने के बाद से बिजली की चीजों अर्थात् बल्ब वगैरह में खुले आम चोरबाज़ारी हो रही है; और

(ख) इसको रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) हमें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) बिजली के सामान जैसे बल्बों आदि के मूल्यों पर कोई कंट्रोल नहीं है । फिर भी हाल ही में दिल्ली प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं, जिस में बिजली के बल्ब तथा बिजली का सामान भी शामिल है, की मूल्य सूचियां लगाने के बारे में एक आदेश जारी कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Effective demand.

हिमाचल प्रदेश तथा कांगड़ा-कुल्लू का औद्योगिक सर्वेक्षण

†१८३२. { **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश तथा कांगड़ा-कुल्लू के पर्वतीय क्षेत्रों का सरकार ने कोई औद्योगिक सर्वेक्षण किया है; और

(ख) क्या इन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिये कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

†१८३३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्राम्बे स्थित बर्मा-शैल शोधनशाला में निर्माण किये गये पैट्रोलियम उत्पादों में से जितने भारत की आवश्यकताओं से अधिक हैं क्या उन के निर्यात के लिये कोई व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्योरे हैं;

(ग) कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया जाना है; और

(घ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा के कमाये जाने की आशा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). जी, हां । बर्मा-शैल विदेशों में स्थित अपनी मुख्य शाखाओं सम्बद्ध शाखाओं के द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों, मुख्य रूप से मोटर स्प्रिट का उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मात्रा में निर्यात कर रही है ।

(ग) और (घ). १९६२ में १ करोड़ ११ लाख रुपये के मूल्य की ७८ हजार टन स्प्रिट निर्यात की गई थी । १९६३ में निर्यात दुगना हो सकता है परन्तु यह देश की आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात् जो ठीक ठीक फालतू मात्रा बचेगी उस पर निर्भर करेगा ।

आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा बुनकरों के आवास के लिये बस्तियां

†१८३४. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वित्तीय वर्ष में आंध्र प्रदेश के अनेकों बुनाई केन्द्रों में हथकरघा बुनकरों के आवास के लिये कालोनियों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी धन राशि की मंजूरी दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे एकत्रित किये जा रहे हैं तथा सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में जिन कालोनियों का निर्माण-कार्य चल रहा है तथा जिनका निर्माण प्रारम्भ करने का विचार है उनको पूरा करने के लिये क्रमशः ६ लाख ६६ हज़ार २०६ रुपयों और ३ लाख २६ हज़ार रुपयों का उपबन्ध किया गया है।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

१८३५. श्री कछवाय : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को सरकार ने जब से अपने हाथ में लिया है तब से उस पर कितना वार्षिक खर्च उठाना पड़ता है;

(ख) विभिन्न राज्यों में इस के कुल कितने केन्द्र हैं; और

(ग) इन केन्द्रों में कुल कितने कर्मचारी हैं?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सदन की मेज़ पर रख दी जायेगी।

आंध्र प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम

†**१८३६. श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के औद्योगिक विकास निगम ने एक समेकित कांच परियोजना तथा एक कच्चा लोहा परियोजना की अनुमति लेने के लिये प्रार्थना की थी;

(ख) यदि हां, तो प्रार्थनापत्र केन्द्रीय सरकार को कब भेजे गये थे; और

(ग) प्रार्थनापत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हां।

(ख) समेकित कांच परियोजना के लिये प्रार्थनापत्र नवम्बर, १९६१ में प्राप्त हुआ था तथा कच्चा लोहा परियोजना के लिये जून, १९६२ में।

(ग) क्योंकि इन दो परियोजनाओं के लिये पूर्वकल्पित कुल पूंजी व्यय राज्य सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना में आंध्र प्रदेश के औद्योगिक विकास निगम के लिये नियत की गई कुल राशि से कहीं अधिक है, अतः राज्य सरकार से यह ब्यौरे भेजने के लिये कहा गया है कि परियोजनाओं को किस प्रकार वित्तपोषित करने का विचार है। कच्चे लोहे के निर्माण के लिये प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध में अनुमानित विद्युत् आवश्यकताओं, स्थल की स्थिति, कच्चे माल के उपभोग के विषय में परियोजना प्रतिवेदन तथा लागत व उत्पादन के प्राक्कलनों के बारे में जानकारी मंगाई गई है। राज्य सरकार का उत्तर प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुनूर में चाय नीलामी केन्द्र

†१८३७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का तीसरा चाय नीलामी केन्द्र हाल ही में कुनूर में खोला गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन बातों को ध्यान में रख कर चाय की इस नई मण्डी को खोलने का निश्चय किया गया था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख) नीलामकर्ताओं की एक ग़ैर-सरकारी फर्म ने कुनूर में चाय की नीलामियां करना प्रारम्भ कर दिया है। उन के कथनानुसार, नीलामियों का मुख्य उद्देश्य यह है कि नीलगिरी के छोटे छोटे चाय उगाने वालों तथा चाय की पत्तियां मंगा कर काम करने वाले कारखानों को उन के द्वारा उगाई गई / निर्माण की गई चाय के अच्छे मूल्य मिल सकें। २३ मार्च, १९६३ को की गई पहली नीलामी में जो उच्च मल्य प्राप्त हुए थे वह इस बात के साक्षी हैं कि इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है ।

हंगरी के साथ व्यापार करार

†१८३८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी के साथ १९६० के व्यापार करार की कार्यान्विति का पुनरीक्षण हाल में हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) हंगरी के साथ व्यापार करार की कार्यान्विति का अक्टूबर-नवम्बर, १९६२ में पुनरीक्षण किया गया था ।

(ख) १९६२ में व्यापार की प्रगति तथा १९६३ में वस्तुओं का अदल बदल कर पुनरीक्षण हुआ था । इस के परिणामस्वरूप, आशा है कि १९६३ में व्यापार में पर्याप्त वृद्धि होगी ।

लन्दन में राष्ट्रमण्डलीय व्यापार मंत्रियों का सम्मेलन

†१८३९. { **श्रीमती विमला देवी :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री महेश्वर नायक : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में लन्दन में राष्ट्रमण्डल के व्यापार मंत्रियों का सम्मेलन होगा ;

(ख) क्या यह सच है कि वहां योरोप साझा बाजार में ब्रिटेन के शामिल होने की असलस-वार्ता के समाप्त होने के बारे में भी विचार विमर्श होगा ; और

---

†मल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ।?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). राष्ट्रमंडल के देशों के पारस्परिक हितों की समस्याओं पर विचारविमर्श करने के लिए प्रति वर्ष लन्दन राष्ट्रमण्डल आर्थिक परामर्शदाता परिषद् की बैठक होती है । इस वर्ष, उन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्मेलनों की दृष्टि से, जो शीघ्र ही होने वाली हैं, ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव किया है कि बैठक व्यापार मंत्रियों के स्तर पर हो । बैठकों में योरोपीय साझा बाजार के साथ व्यापार-सम्बन्ध का प्रश्न भी अन्य मामलों के साथ विचारविमर्श के लिए आ सकता है ।

निर्वाचन याचिकायें

१८४०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग के सामान्य निर्देश इस प्रकार के हैं कि ६ महीनों में निर्वाचन याचिकाओं का निर्णय हो जाना चाहिये : और

(ख) यदि हां, तो तृतीय सामान्य निर्वाचन के पश्चात् जो चुनाव याचिकाएं दायर की गयी थीं, उन में से अब तक कितनी का निर्णय हो चुका है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिबुधेन्द्र मिश्र) : (क) निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक निर्वाचन न्यायाधिकरण से विशिष्ट रूप से यह मांग की हुई है कि जैसाकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ९० (६) द्वारा अपेक्षित है वह किसी निर्वाचन याचिका का परीक्षण ६ मास के अन्दर समाप्त करने का हर तरह से प्रयास करे ।

(ख) तीसरे साधारण निर्वाचनों के पश्चात् जो कुल ३६७ निर्वाचन याचिकाएं दायर की गयी थीं, उन में से २०६ याचिकाओं का ४ अप्रैल, १९६३ तक निबटारा हो गया था ।

केरल में टी टिन की चादरों का उत्पादन

†१८४१. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री प० कुन्हन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में टिन की चादरें के उत्पादन के लिए केरल में एक संयंत्र स्थापित करने का विचार है ;

(ख) योजना का क्या ब्योरा है और वह कहां स्थापित होगा ; और

(ग) संयंत्र के कब चालू होने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी हां।

(ख) संयंत्र की क्षमता १०,००० मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होगी और वह कोचीन में होगा।

(ग) आशा है कि कारखाने में १९६३ के अन्त तक उत्पादन आरम्भ होगा।

आन्ध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग

†**१८४२. श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ और १९६२ में आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक विस्तार सेवा से कितने छोटे पैमाने के उद्योगों को लाभ पहुंचा है ;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योगों को १९६१-६२ में कुल कितना ऋण दिया गया ; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में कैसे छोटे पैमाने के उद्योग हैं और उन के विकास की क्या क्या गुंजाइश है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) १९६१ और १९६२ में आन्ध्र प्रदेश में निम्न छोटे पैमाने के उद्योगों को लाभ हुआ :—

	१९६१	१९६२
(१) टेक्निकल सलाह जिन उद्योगों को दी गई उन की संख्या .	८२७	१,१११
(२) उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें नये उद्योग खोलने की सूचना दी गई .	५११	२९२
(३) कार्य स्थल पर सलाह देने के लिए छोटे कारखानों के किये गये दौरों की संख्या	१,१९९	१,०८४
(४) जिन उद्योगों को अन्य सहायता दी गई, उन की संख्या . . .	१,४८२	१,७३४

(ख) १९६१-६२ में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकार को कुल २३.२९ लाख रु० का ऋण दिया गया।

(ग) राज्य में छोटे पैमाने के लगभग ७,६०० कारखाने हैं जिन में से लगभग ५,००० कृषि उद्योग हैं। राज्य के आकार तथा जनसंख्या की दृष्टि से छोटे पैमाने के उद्योगों को विकास की, विशेष कर रसायन निर्माण, छोटी इंजिनियरी, मिट्टी के वर्तन तथा विद्युत् उद्योगों आदि के विकास की पर्याप्त गुंजाइश है।

†मूल अंग्रेजी में

बस्तर जिले मे लोहे का कारखाना

१८४३. **श्री लखमू भवानी : क्या इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बस्तर जिले की दन्तेवाडा तहसील में चितालेका ग्राम में लोहे का कारखाना स्थापित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित किया जा रहा है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख). चौथी पंच-वर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में एक नया इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में भैंलाडिला—विशाखापटनम क्षेत्र की शक्यता जानने के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं । कारखाना स्थापित करने तथा उस के स्थान-निर्धारण के बारे में फैसले अध्ययन पूरा होने पर किए जा सकेंगे ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नवजान स्टेशन के निकट ११ अप्रैल, १९६३ को एक विशेष सैनिक रेल गाड़ी पर नागा विद्रोहियों द्वारा गोली चलाया जाना

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर): मैं रेलवे मंत्री का निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाता हूँ और उन से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस विषय में वक्तव्य दें:——

> "पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के नवजान स्टेशन के निकट ११ अप्रैल, १९६३ को एक विशेष सैनिक रेल गाड़ी पर नागा विद्रोहियों द्वारा तथा कथित गोली चलाया जाना ।"

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : उपलब्ध जानकारी के अनुसार मैं सम्बन्धित जानकारी सभा को देता हूँ। जिस सैक्शन पर दुर्घटना हुई है उस पर सामान्यतया ६२ डाउन गाड़ी दिन को चलती है। १५.१८ गाड़ी के छुटने का समय है और १५.३० गाड़ी के पहुँचाने का समय है। ९ अप्रैल, १९६३ को ६२ डाउन गाड़ी ३ घण्टे और ५ मिनट लेट चल रही थी और २०.५५ पर रँगापहाड़ पहुँची। इस सैक्शन पर घूमती हुई मिलिट्री सर्च लाइट स्पैशल घनसिरि से ७.४५ मध्याह्न पश्चात् चल कर ७.५७ म० प० बजे रँगा पहाड़ पहुँची। इस के बाद ६२ डाउन गाड़ी लुमँडिंग--रँगपहाड़ सैक्शन पर २०.२५ पर पहुँची। लुमंडिंग--मरिपानी सैक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए सैनिकों और रेलवे संरक्षण दल की व्यवस्था की गई थी। ११–४–६३ को ०२.१० बजे सर्च लाइट स्पैशल पर गोली चली। सौभाग्यवश किसी को चोट नहीं आई। मैं कल गौहाटी था और मैंने जनरल मैनेजर और मुख्यमंत्री से चर्चा की। यह सैक्शन विशेष रूप से खराब सैक्शन है। इसके १५ मील और २० मील के दो भाग हैं। दोनों तरफ घना जँगल है। वहां विद्रोही अपनी कार्यवाई

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री स्वर्ण सिंह]

करते हैं। हाल में वे अधिकतर सक्रिय हो गए हैं। सुरक्षा कार्यवाई को तेज करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से कदम उठाए जा रहे हैं। रेल कर्मचारियों का नैतिक साहस ऊँचा है। आशा है कि आवश्यक सँचार कायम रखे जाएँगे।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : यह तो बहुत चिन्ताजनक मामला है। माननीय गृहकार्य मंत्री और प्रधान मंत्री बताएँ कि गशत लगाने, मार्ग संरक्षा पुलिस और जासूसी के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ताकि ऐसी दुर्घटनाएँ फिर न हों।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : यदि वे किसी अन्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहें तो कर सकते हैं? परन्तु मैं वहां से आया हूँ और हम सभी मिलकर काम करते हैं?

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : माननीय मंत्री ही बता दें कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : मैंने मुख्य मंत्री और मुख्य अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की। यह सच है कि नागा विद्रोही इस भाग में सक्रिय हो गए हैं।

अभी हाल में वहां यात्रियों के लिए गाड़ियों का चलना बन्द कर दिया जाएगा। वहां दिन में ही गाड़ियां चलाई जाएँगी।

गश्त के बारे में हम यह प्रबन्ध कर रहे हैं कि सबसे पहले सर्चलाइट स्पेशल चलेगी। उसके पीछे सामान्य गाड़ी और गाड़ी के साथ संरक्षक रहेंगे। ऐसे कदम उठाने चाहिएँ, परन्तु आधी गाड़ी पुलिस या सैना से भरी नहीं चलाई जा सकती। स्थिति हमारे काबू में है। इसी कारण यद्यपि ११-४-६३ को गोली चली तथापि किसी के चोट नहीं आई।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या किसी नागा विद्रोही के चोट आई या वह मारा गया या आपने उसे पकड़ा ?

†**श्री सवर्ण सिंह** : मुझ इसकी जानकारी नहीं है।

श्री यशपाल सिंह (कैराना): श्री आओ ने बयान दिया है कि नागा हास्टाइल्ज को बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान से हथियार मिले हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस बारे में सरकार क्या कर रही है कि आईन्दा फायरिंग न हो और इस तरह रेलों को बर्बाद न किया जाये ?

श्री स्वर्ण सिंह : दोनों बातों में कोई सम्बन्ध तो नहीं है। उनको हथियार पाकिस्तान से मिले हों या वे और किसी जगह से ले आए हों, लेकिन यह जाहिर है कि हमें कोशिश करनी चाहिए और कर रहे हैं कि वे फायरिंग न करें और अगर करें, तो बचाव किया जाये, जैसा कि यहां किया गया है। पहले दिन भी जो वाकया हुआ, तो हमारी तरफ से फायरिंग हुई और उसकी वजह से वे भाग गए। दूसरी दफा जब फिर वाकया हुआ, तो खुशकिस्मती से किसी आदमी को कोई चोट या जरब नहीं लगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): क्या रेलवे मंत्री, गृह-मंत्री या प्रधान मंत्री को पता है कि नागा विद्रोहियों ने पास्कितानी हथिय.रों का प्रयोग किया है? क्या यह सच है? क्या कुछ हथियार पकड़े गए हैं?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** हथियारों के अतिरिक्त इस स्थान से बिजली की अधिक "टैनशन" वाली तार भी मिली है जो कि लगभग ५० फुट है। कहां से उन्हें मिली, हम इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकते। हम अपना अनुमान लगा सकते हैं।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी): श्री शिलुआओ ने दिल्ली में स्पष्ट रूप से कहा कि ये शस्त्र पाकिस्तान से लिए गए थे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्री शिलू आओ का वक्तव्य उनकी जानकारी और अनुमान पर आधारित है। ऐसा हो सकता है। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि हाल ही में वे विदेश से प्राप्त किए गए हैं। माननीय सदस्य अपना अनुमान लगा सकते हैं। यह नई तार महत्वपूर्ण है।

पिछली दुर्घटना जिसमें रेलगाड़ी पटड़ी से उतर गई उनके बारे में मैंने कहा था कि नागा विद्रोहियों ने सारी गाड़ी की छानबीन की और उन्होंने गाड़ी को लूट लिया। कुछ हद तक मैं गलत था। असलीयत यह है कि गाड़ी के आगे चार व्यक्ति रक्षा के लिए थे। पांच व्यक्ति दूसरे भाग में थे। जब विस्फोट हुआ तो अगले भाग में गड़बड़ हुई। उसी समय गोली भी चली। एक फौजी सिपाही पर गोली चलाई गई और अन्य को गाड़ी के पटड़ी से उतरने से चोट आई। विद्रोहियों ने गाड़ी के अगले भाग को लूटा।

इतने में दूसरे संरक्षक (गार्ड) ने बाहर निकल कर इन लोगों पर गोली चलाई और उन्हें गाड़ी के दूसरे भाग को आने से रोक दिया। बाद में नागा विद्रोही पीछे चले गए।

मैंने सभा को और जानकारी देने का आश्वासन दिया था। इस समय तक केवल यही जानकारी हमारे पास आई। यदि और जानकारी भी आएगी मैं सभा को दे दूंगा।

†**श्री हेम बरुआ** : ८ अप्रैल को प्रधान मंत्री जी ने बताया कि परिस्थिति हमारे काबू में है, परन्तु बाद के हालात से ऐसा पता चलता है कि स्थिति ऐसी भी नहीं है। सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठाए हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जो मैंने ८ अप्रैल को कहा था वह उस समय तक की जानकारी पर आधारित था। श्री शिलू आओ भी उस समय यहां थे, उन्होंने भी बताया। इस प्रकार की दुर्घटनाओं का सामान्य परिस्थिति पर प्रभाव पड़ना आवश्यक था।

†**श्री हेम बरुआ** : ऐसी घटनाएँ बढ़ रही हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ये दुर्घटनाएँ नागालैण्ड से बाहर हुई।

†**श्री हेम बरुआ** : उन्होंने अपनी कार्यवाही का क्षेत्र बढ़ा दिया है, यही तो कठिनाई है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इसे बहाने के तौर नहीं कह रहा हूँ। मैं तो तथ्य कह रहा हूँ। यह दुर्घटना दीमापुर की ओर सीमा के पार हुई। ऐसी कार्यवाइयां पुनः आरम्भ हो गई हैं। इनके कारणों के बारे में विभिन्न विचार हैं। इन की रोकथाम के लिए हर कोशिश की जाएगी।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिवसागर): चूंकि रँगापहाड़—नवगांव क्षेत्र में नागा विद्रोहियों की कार्यवाई अधिक थी क्या सरकार नवगांव और जोरहट आदि को मिलाने वाली रेलवे लाइन को दूसरे रास्ते पर ले जाने के प्रस्ताव पर विचार करती है?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि उसी रास्ते पर गाड़ियां चलाएँ और पर्याप्त सुरक्षा का प्रवन्ध करें। यह महत्वपूर्ण सँक्शन है। सुरक्षा कार्यवाई को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। श्री हेम बरूआ के जँगल साफ करने के सुझाव पर भी तेजी से विचार हो रहा है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : मैं यह नहीं चाहता कि लाइन छोड़ दी जाए। मैंने तो दूसरे रास्ते का सुझाव दिया।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : (बिजनौर) : प्रतीत ऐसा होता है कि नागा विद्रोहियों की तमाम कारवाइयां जो एक बार पीछे धीमी पड़ चुकी थी अब फिर दोबारा उठ रही हैं। अभी नागालैंड के मुख्य मंत्री श्री शीलु आओ ने कांस्टीट्यूशन क्लब में भाषण देते हुए यह बताया था कि मुश्किल से दो हज़ार विद्रोही इस प्रकार के हैं जो नागा लैंड में इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं। और मैं प्रधान मंत्री जी को कुछ इस प्रकार के सुझाव देने जा रहा हूं कि ये बन्द हो सकें और अगर गवर्नमेंट की पूरी सहायता उनको मिल गई तो इन दो हज़ार विद्रोहियों पर हम अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी मुलाकात में इस प्रकार के कुछ सुझाव क्या आपको दिये हैं, यदि हां, तो उनको कार्यान्वित करने के लिये आपकी ओर से क्या आश्वासन उनको दिया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां, आशीलु आओ जी से मेरी मुलाकात दो तीन मर्तबा हुई थी और पूरे तौर से बातचीत हुई उन्होंने कुछ सुझाव दिये थे। हमें कमोवेश में सुझाव मंजूर हैं और उन पर हम अमल करेंगे। लेकिन अमल करने में कुछ वक्त लगता है। इन लोगों को तैयार करना है. नागाओं को खुद। उनको तैयार करने में, कुछ ट्रेनिंग वगैरह देने में कुछ समय लगता है। लेकिन सुझाव मंजूर हैं हमें।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

सूती वस्त्र (नियंत्रण) (द्वितीय संशोधन) आदेश

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत, दिनांक ३० मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस०आर० ५३६ में प्रकाशित सूती वस्त्र (नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १११४/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में।

भारत उत्पादकता दल के प्रतिवेदन इत्यादि

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं श्री कानूनगो की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) रूस और चैकोस्लोवाकिया में लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में भारतीय उत्पादक ता दल का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १११५।६३]

(दो) रूस और चेकोस्लोवाकिया में वस्त्र उद्योग के बारे में भारतीय उत्पादकता-दल की रिपोर्ट ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १११६/६३]

(तीन) वर्ष १९६१–६२ के लिए नमक विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १११७/६३]

(चार) (क) कम्पनीज एक्ट, १९५६ की धारा ६१९–क की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६१–६२ के लिए नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड , यादवपुर , कलकत्ता की वार्षिक रिपोर्ट उसके लेखापरीक्षक लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त कम्पनी के कार्य-संचालन के बारे में सरकार की समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १११८/६३]

प्राक्कलन समिति

छब्बीसवां और सत्ताईसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन पेश करता हूं । :

(१) श्रम और रोजगार मंत्रालय के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) की निम्नलिखित प्रतिवेदनों में की गई शिफारिशों पर सरकार द्वार की गई कार्यवाही संबंधी छब्बीसवां प्रतिवेदन :

(एक) सामान्य संगठन मुख्य श्रम आयुक्त; मुख्य खान निरीक्षक ; मुख्य कारखाना सलाहकार के बारे में चौरासीवां प्रतिवेदन ।

(दो) सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और विविध के बारे में नब्बेवां प्रतिवेदन ।

(२) वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सत्ताईसवीं प्रतिवेदन ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री दासप्पा]

(एक) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के बारे में छियत्तरवां प्रतिवेदन।

(दो) सचिवालय (वैज्ञानिक अनुसंधान शाखा); सहायतार्थ अनुदान ; भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ; प्रविधिक संस्थाओं के बारे में अठत्तरवां प्रतिवेदन ।

(तीन) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा विविध के बारे में तिरास्सीवां प्रतिवेदन ।

सभा का कार्य

†संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : १५ अप्रैल, १९६३ से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

(१) इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा और मदतान ।

(२) निम्नलिखित मंत्रालयों सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान—

(एक) आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय ;

(दो) संसद्-कार्य विभाग ; और

(तीन) वित्त मंत्रालय ।

(३) बुधवार, १७ अप्रैल, १९६३ को ५ म० प० बजे अनुदानों की शेष मांगों का सभा के मतदान के लिए रखा जाना ।

(४) वित्त बिल, १९६३ (विचार तथा पारित करना)

(५) अधि-लाभ-कर विधेयक १९६३ (विचार तथा पारित करना) ।

(६) अनिवार्य बचत विधेयक योजना, १९६३ (विचार तथा पारित करना) ।

मैं आप से यह भी प्रार्थना करता हूं कि वित्तीय कार्यवाही को समय पर समाप्त करने के लिए सभा शनिवार, २० अप्रैल, १९६३ को भी बैठे ।

†कुछ माननीय सदस्य : नहीं; नहीं ।

†श्री हरि विष्णु कामत : (होशंगाबाद) : राष्ट्रपति अभिभाषण में कई विधेयकों का जिक्र है। परन्तु वे विधेयक सभा के सामने नहीं हैं। यदि ये विधेयक सभा के सामने नहीं आते हैं, जो संविधान खतरे में है और इसका मतलब राष्ट्रपति के अभिभाषण का अपमान होगा। अतः माननीय संसद् कार्य मंत्री को इस प्रकार से चीजों का प्रबन्ध करना चाहिए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिए गए विधेयक सभा के सामने आएं ।

†अध्यक्ष महोदय : यह बड़ा प्रश्न उठता है। मैं उन्हें इसका जवाब दूंगा ।

†श्री प्रभात कार :(हुगली) : अनुदानों की मांगों की चर्चा के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण मंत्रालयों को पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। इस मामले का ध्यान रखा जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** (केन्द्रपाड़ा) : क्या मंत्रालय वित और योजना आयोग की मांगों पर अलग से चर्चा होगी।

†**श्री सत्य नारायण सिंह :** कार्य मंत्रणा समिति में समय के आवंटन के बारे में चर्चा हुई थाॅ दलों के नेताओं के साथ भी अनौपचारिक रूप से चर्चा की गई थी। फिर सारे मामले को सभा के सामने रखा गया था। कुछ मांगों पर सदस्यों के अनुरोध पर चर्चा का समय बढ़ा दिया गया था। हम पहले ही काम के लिए निर्धारित समय से तीन चार घण्टे पीछे हैं : और यदि उस दिन सभी मांगों पर मुखबन्ध का प्रयोग करना पड़ा, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। सभा ने उस को मंजूर किया और समय को बढ़ाया भी।

श्री कामत द्वारा उठाई गई आपत्ति कि जांच करूंगा। उन्होंने कहा कि जिन विधेयकों का ज़िक्र राष्ट्रपति जी ने किया वे एक ही सत्र में लाने चाहिएं।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** सरकार ने उन्हें ऐसा कहने के लिए कहा।

†**श्री सत्य नारायण सिंह :** यह एक बड़ा प्रश्न है। अभी तक हम इस बारे में किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते रहे हैं। मैं इस की जांच करूंगा। मेरे विचार में आप ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि जिन विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति जी ने कहा वे उसी सत्र में लिए जाएं।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यह संविधान में है। (अन्तर्बाधाएं)

†**श्री सत्य नारायण सिंह :** अतः सारे मामले पर विचार किया जाना चाहिए।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) :** सभी विधेयक उसी सत्र में नहीं लिए जाने चाहिए। संविधान में यह व्यवस्था है :—

> "प्रत्येक सदन की प्रक्रिया के विनियामक नियमों से ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के हेतु समय रखने के लिए .....
>
> उपबन्ध किया जाएगा"

इस तरह नियम बनाए जाते हैं और उन का पालन किया जाता है। कार्य के बारे कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश सभा द्वारा मंजूर की जाती है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यह गलत निर्वचन है।

†**अध्यक्ष महोदय :** कार्य के बारे में पहले तो संसद् आर्य मंत्री ने दलों के नेताओं से सलाह की। फिर सभा ने इसे स्वीकार किया। सभा ने समय को भी बढ़ा दिया। इस बात पर बल नहीं दिया जाना चाहिए। योजना आयोग और वित्त मंत्रालय पर अलग से चर्चा होने की बात है।

†**श्री सत्य नारायण सिंह :** मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** और आरोप यह है कि ५ बजे मुखबन्ध लगा दिया जाएगा।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** कार्य इतना है कि योजना और वित्त मंत्रालय के लिए १० घण्टे नहीं मिल सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा के निर्णयों का पालन करने के लिए हम सहमत हैं । इस विषय की जांच की जाएगी । जो कुछ निर्धारित समय हो सकेगा किया जाएगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** कितने दिन सत्र चलेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरे विचार से सत्र निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खत्म होगा ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह :** मेरी प्रार्थना है कि सभा ४ मई, को भी बैठे । मैं श्री कामत को बताना चाहता हूं कि अगले महीने की तीन तारीख को ढेबर आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा होगी ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** सभा ने ५ बजे के बाद बैठने और शनिवार के बारे में अपने विचार प्रकट कर दिए हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** चूंकि समय की कमी है अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इस बार माननीय सदस्य शनिवार के बारे में मान जायें । शनिवार को ५ बजे के बाद न बैठने के बारे में सभा के निर्णय का पालन किया जाएगा ।

वित्त विधेयक के लिए कुछ समय निकालना है । हम उस शनिवार के समय का प्रयोग कर सकते हैं ।

जहां तक श्री कामत की बात का सम्बन्ध है यदि उन्हें यह आपत्ति है कि कार्यक्रम अच्छी प्रकार से नहीं बनाया गया है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है । जहां तक राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेखित विधेयकों का सम्बन्ध है, उन सब के लिए समय निर्धारित करने का उस, अनुच्छेद की आशय नहीं है जिस का उल्लेख श्री कामत ने किया है । जो विधेयक यहां लाए जाएं उन के लिए समय निर्धारित करने का मतलब है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** अनुच्छेद ८७ के अनुसार सरकार के लिए वे विधेयक सभा में लाना आवश्यक है जिन का उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में होता है । सरकार को इस सम्बन्ध में बताना चाहिए कि वे सभी विधेयक क्यों नहीं ला सके हैं । माननीय संसद् कार्य मंत्री को यह बात बताने के लिए कहा जाए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय सदस्य के निर्वाचन से सहमत नहीं हूं । राष्ट्रपति के अभिभाषण में सारे वर्ष के कार्यक्रम का उल्लेख होता है । अतः जो विधेयक इस सत्र में नहीं लाए गए हैं यह आवश्यक नहीं कि जो अगले सत्रों में नहीं लाये जायेंगे । अतः उन की बात उचित नहीं है ।

मेरे विचार में सभा शनिवार को बैठने के लिए सहमत है । इससे वित्त विधेयक पर चर्चा के लिए अधिक समय मिल सकेगा ।

राज भाषा विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री लाल बहादुर शास्त्री ।

श्री बागड़ी : (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है ।

अध्यक्ष महोदय : अभी यह सवाल नहीं उठ सकता जब तक कि कोई चीज हाउस के सामने न हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बागड़ी : यह विधेयक जो श्री लाल बहादुर शास्त्री . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप जरा बैठ जाएं, मेरी बात सुन लीजिए।

श्री रामेश्वरानन्द : (करनाल) : हमारी प्रार्थना तो सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी सुन लीजिए, जरा बैठ जाइए। मुझे कह लेने दीजिए।

श्री ब्रजराज सिंह : (बरेली) : मैं एक इनफारमेशन देना चाहता हूं।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि जब तक कोई चीज हाउस के सामने न हो उस वक्त तक व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता। मैंने अभी श्री लाल बहादुर शास्त्री का नाम लिया है, तो इस नाम पर तो व्यवस्था का सवाल नहीं उठ सकता। अभी कोई चीज हाउस के सामने नहीं आयी है। जब वह कोई चीज सामने रखें और आप को उस पर कोई ऐतराज हो तो दूसरा सवाल है। जब वह कोई चीज पेश करेंगे तो मैं आपको इजाजत दूंगा कि आप व्यवस्था का सवाल उठा सकें।

श्री ब्रजराज सिंह : करीब दो ढाई हजार आदमी बाहर खड़े हैं। बिल को लाने से पहले आप मंत्री महोदय को उनकी राय जानने के लिए भेजें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानते हैं कि उन्होंने मुझे जो काम इस हाउस के अन्दर होता है उसको रेग्युलेट करने का अधिकार दिया है। इसके बाहर का अधिकार मुझे नहीं दिया है।

श्री बागड़ी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है . . . .

अध्यक्ष महोदय : आपसे मैंने कहा कि जब तक कोई सवाल हाउस के सामने न हो उस वक्त तक यह सवाल नहीं उठ सकता। कोई चीज सामने आने दीजिए, मैं आपको वक्त दूंगा कि आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकें।

श्री रामेश्वरानन्द : हमने जो कागजों में पढ़ा है उसी के आधार पर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी यह विधेयक लाने जा रहे हैं। उनके कहने को सुनने की क्या बात है। जब तक संविधान में संशोधन न किया जाए आप इस विधेयक को नहीं ला सकते। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसको लाने से पहले विधान में संशोधन लायें।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बड़ी मुश्किल है। मैं स्वामी जी को कैसे बार बार एक ही बात कहता रहूं। अभी कोई चीज हाउस के सामने नहीं है वह किस चीज के बारे में कह रहे हैं। एजेंडा में चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन जब तक कोई चीज हाउस के सामने नहीं आती तब तक उसके बारे में सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसी लिए मैं कहता हूं कि अभी कोई व्यवस्था का सवाल नहीं उठ सकता। अभी कोई सवाल हाउस के सामने नहीं है पर मेम्बर साहिबान बार बार उठते हैं और काम में रुकावट डालते हैं।

श्री बागड़ी : मैं निवेदन करूंगा कि भाषा का विधेयक वह हाउस में आपकी इजाजत से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : आर्डर। आर्डर। आप मेरी तरफ मुखातिब हों।

श्री बागड़ी : जनता के सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं यहां आवाजें मारते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर।

श्री बागड़ी : मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जो यह भाषा का विधेयक इंट्रोड्यूस किया जा रहा है यह संविधान की खिलाफत हो रही है। इसलिए मैंने आपके सामने व्यवस्था का प्रश्न रखा है कि यह इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। इसको हाउस के सामने रखा ही नहीं जा सकता। १५ वर्ष तक भाषा....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। आपने व्यवस्था का सवाल उठा दिया और मैंने सुन लिया। आप कहते हैं कि उनको इंट्रोड्यूस करने का हक हासिल नहीं है। मैं कहता हूं कि उनको यह कहने का हक है कि—"मैं इस विधेयक को इंट्रोड्यूस करने की इजाजत चाहता हूं..। इस पर व्यवस्था का सवाल नहीं उठता। वह हाउस से इस बात की इजाजत मांगने हैं कि उनको यह बिल इंट्रोड्यूस करने की इजाजत दी जाए। अब यह हाउस की मर्जी है कि उनको इजाजत दें या न दें। उनको इजाजत मिलने के बाद यह व्यवस्था का सवाल उठ सकता है।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय यह जो विधेयक है यह संविधान के खिलाफ है। मैंने संविधान की वफादारी की शपथ ली है। मैं यहां मौजूद हूं। मेरी मौजीदगी में यह पेश नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय : मैं मेम्बर साहब से कई बार कह चुका कि वह बैठ जाएं। व्यवस्था का सवाल नहीं उठता। लेकिन वह रुकावट डाल रहे हैं और कार्रवाई नहीं चलने देते। मेरे तीन बार कहने के बावजूद भी वह नहीं बैठते।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस वक्त व्यवस्था का सवाल पेश करने की इजाजत नहीं दे सकता। जब वह पेश करेंगे तो तब सवाल उठेगा।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह विधान के खिलाफ है। हमने विधान की बफादारी की शपथ ली है। यहां संविधान की खिलाफवर्जी नहीं होनी चाहिए :

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मेम्बर साहब को नामजद करता हूं क्योंकि श्रीमान बागड़ी जी बिल्कुल इरादतन काम नहीं चलने देते और बाधा डाल रहे हैं। अब उनको बन्द करना चाहिए।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय यह करोड़ों इन्सानों की भाषा का सवाल है . . . .

अध्यक्ष महादय : अब मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अगर आप इसको बन्द करने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप हाउस से बाहर चले जाइए।

श्री बागड़ी : यह तो मेरे साथ बड़ी ज्यादती होगी।

अगर इस तरीके से पार्लियामेंट में . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं अब कहूंगा कि माननीय सदस्य श्री बागड़ी मेरे मना करने और रोकने के बावजूद बैठ नहीं रहे हैं और बोलते चले जा रहे हैं और इस तरह से वे जान

बूझकर (परसिस्टंटली) लगातार मुसलसल कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं और मैंने उनका नाम भी ले लिया है लेकिन अगर अब भी वे नहीं रुकते हैं तो मुझे मजबूर होकर कुछ और ज्यादा ऐक्शन लेना पड़ेगा ।

श्री बागड़ी : अब मैं निवेदन करूंगा . . .

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त आप निवेदन नही कर सकते ।

श्री बागड़ी : निवेदन करने का तो हर वक्त अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : हर वक्त अधिकार नहीं है । मैं आपको बन्द करने के लिये कह रहा हूं ।

श्री बागड़ी : स्पीकर के सामने तो निवेदन करने का हर वक्त अधिकार है और मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का काला विधेयक लाना देश के भविष्य के लिये हितकर नहीं होगा और देश का भविष्य इससे खत्म होगा . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बावजूद मेरे उनका नाम लेने पर भी बाधा डालते चले आ रहे हैं और इस हाउस का काम नहीं चलने दे रहे हैं । वह बोलने का इसरार और जिद किये जा रहे हैं ऐसी हालत में मेरे लिए और कोई चारा नहीं रह जाता कि मैं उनको बाहर निकालने के लिये हाउस के सामने एक मोशन रक्खूं ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय आपको पूरा अधिकार है और हाउस की मरजी है कि जो भी मोशन चाहे वह पास करे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य श्री बागड़ी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह अब भी हाउस से बाहर जाने के लिये तैयार नहीं हैं ?

श्री बागड़ी : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय, आज इस तरह का विधेयक ला कर पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान की मर्यदा की उल्लंघन कर रहे हैं जिसमें साफ़ लिखा हुआ है कि १५ साल के बाद अर्थात् सन् १९६५ से इस देश का सारा कामकाज हिन्दी में चलेगा . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब क्या हाउस यह बर्दाश्त करेगा कि कोई काम न चले और माननीय सदस्य द्वारा इस तरह लगातार रुकावट डाली जाती रहे ?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इतनी दफ़े उनको बैठ जाने और बोलना बंद करने के लिए कहा लेकिन मेरे बावजूद इतना कहने के और सब्र से काम लेने पर भी यह मेम्बर साहब रुकने के लिये तैयार नहीं है तो इस के लिए कोई न कोई मोशन मंजूर करना पड़ेगा । मैंने उनको चेतावनी भी दी मगर वह उसको अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं हैं । मैंने उन से कहा कि वे बाहर चले जांय . . . **(अन्तर्बाधायें)** ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** (महासमन्द) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि माननीय सदस्य श्री बागड़ी को सभा की सेवा से ७ दिन के लिए निलम्बित किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अंतार हरवानी** (बिसोली) : मैं इसका समर्थन करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है

"कि माननीय सदस्य श्री बागड़ी को सभा की सेवा से ७ दिन के लिए निलम्बित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बागड़ी : पंडित जवाहरलाल नेहरू और यह सराकार बापू का दम भरती है लेकिन उनको मालूम होना, चाहिए... (अन्तर्बाधायें)

अध्यक्ष महोदय : कुल १७ आदमी इस मोशन के खिलाफ हैं बाकी साहब सब इसके हक़ में खड़े हैं। इसलिए यह मोशन एडाप्ट होता है और मेम्बर साहब को हाउस के इस फैसले के मुताबिक कहा जाता है कि उनको हाउस से सात दिन के लिए मुअत्तिल कर दिया गया है और वे बाहर चले जायें।

श्री बागड़ी : अपने राष्ट्रपिता बापू जी ने अंग्रेजों के काल में भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी और अंग्रेजों के ज़माने में हिन्दी के लिए आन्दोलन चलाया था आज उन्हीं के उत्तराधिकारी इस तरह से काम कर रहे हैं। हिन्दी की बात कहने के लिए अगर मुझे सज़ा दी जाती है तो उसे भोगूंगा लेकिन यह अन्याय .....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। अब मैं मार्शल से कहता हूं कि वे इन माननीय सदस्य को बाहर निकाल दें।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे बाहर निकालना है तो श्री लाल बहादुर शास्त्री को मेरे पास भेजिये कि वह मुझे निकालें।

श्री भू० ना० मंडल (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, यह हाउस में सरासर अन्याय हो रहा है.....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर। अगर अकेले मार्शल इस काम को नहीं कर पा रहे हैं तो वाच ऐंड वार्ड के लोग उनकी उस में मदद करें और माननीय सदस्य को आराम से हाउस से बाहर ले जायें।

श्री बागड़ी : इस के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री को भेजिये। बेचारे मार्शल और वाच ऐंड वार्ड के लोगों को क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं?

[मार्शल ने रक्षा तथा प्रहरी (वाच एंड वार्ड) कर्मचारियों की सहायता से श्री बागड़ी को सदन से बाहर निकाल दिया]

श्री रामेश्वरानन्द : यह अन्याय हो रहा है। ऐसा अन्याय नहीं हो सकेगा। हाउस में जो चाहें कर सकते हैं बाहर ऐसी बात नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर।

श्री रामेश्वरानन्द : आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय मैं सब कुछ सुन चुका और बहुत सब्र किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रारेश्वरानन्द : मेरी प्रार्थना सुनने को तैयार ही नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं सब सुन चुका। अब स्वामी जी बैठ जायें। इस तरह से कार्यवाही में रुकावट डालना मुनासिब नहीं है। जब वह बिल इंट्रोड्यूस किया जायगा तो उस वक्त में आपका उस पर ऐतराज सुन लूंगा :

श्री भू० ना० मंडल : यह सरासर अन्याय हो रहा है। इस तरह का काला विधेयक ला कर संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है और जो भी इस अन्याय के खिलाफ़ बोलना चाहता है तो उसको हाउस से बाहर निकाला जाता है। मैं इस अत्याचार और अन्याय के विरोध स्वरूप सदन का त्याग करता हूं।

(श्री मंडल सदन से बाहर चले गए)

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं प्रस्तव करता हूं :

"कि संसद् में काम निबटाने, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कुछ प्रयोजनों के लिये संघ के राज-काज में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संसद् में काम निबटाने, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कुछ प्रयोजनों के लिए संघ के राज-काज में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अब में जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इसको एप्रूव करते हैं या अपोज़ करते हैं ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, औन ए प्वाएंट आफ ऑर्डर। जिस विधेरक को गृह मंत्री श्री शास्त्री ने पेश किया है उसके स्टेटमेंट औफ़ औबजैक्ट्स ऐंड रीजंस में लिखा हुआ है और प्रधान मंत्री के ४ सितम्बर, १९५९ के भाषण का हवाला दिया गया है और उस आधार पर इस विधेयक द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि सन् १९६५ के बाद अंग्रेज़ी को हिन्दी की एक ऐडीशनल लैंग्वेज के रूप में रक्खा जायगा। लेकिन जिस चतुराई के साथ इस बिल को ड्राफ्ट् किया गया है उससे प्रतीत होता है कि १९६५ के बाद अंग्रेजी ही इस देश की मुख्य भाषा रहेगी और हिन्दी सह भाषा का रूप भी प्राप्त नहीं कर सकेगी।

दूसरी एक सब से बड़ी बात है कि पहले जो संविधान आप ने बनाया था हिन्दी के लिये १५ वर्ष की अवधि निर्धारित की गयी थी। लेकिन अब तो हमेशा के लिए आप हिन्दी को देश से निकाल रहे हैं और अंग्रेज़ी को अनिश्चित अवधि के लिए इस देश में रख रहे हैं। तीसरी सब से बड़ी बात यह है कि प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री दोनों ने इस सदन के अंदर खड़े होकर यह शब्द कहे थे कि देश की सीमाओं पर आक्रमण हुआ है और देश में इस समय कोई इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिये कि जिस से कि देश को किसी प्रकार से एकता टूटे। उस के लिये आप ने डिफेंस आफ इंडिया रूल्स लागू किये कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करेगा तो उस के

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

ऊपर यह रूल्स लागू किये जायेंगे लेकिन अगर सरकार अपनी ओर से इस प्रकार का वातावरण बनाये कि जिसकी वजह से देश की जनता को उसका विरोध करना पड़े तो क्या इसकी जिम्मेदारी देश की जनता पर होगी या इस देश के गृह-मंत्री जी पर होगी जो कि इस तरह का विधेयक इस समय उपस्थित करते हैं जिस से देश की जनता को उसका विरोध करने के लिये आना पड़ता है ? बड़े दुःख की बात तो यह है कि यह विधेयक ऐसे समय लाया गया . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य को प्वाएंट ऑफ़ आर्डर रखने की इजाज़त दी थी मगर वह तो तमाम बातों पर चले गये ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं कोई वक्तव्य नहीं दे रहा हूं वह तो जब चर्चा चलेगी तब मैं बोलूंगा लेकिन मैं तो कह रहा था कि यह कितने दुःख की बात है . . .

अध्यक्ष महोदय : जब वह विधेयक यहां पर चलेगा तो उस वक्त उसके क्लाजेज़ वगैरह के बारे में आप विस्तारपूर्वक बोल सकते हैं । इस वक्त उन पर नहीं जा सकते ।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, आप ने कहा था कि जब मोशन मूव किया जायगा तब इस पर अपनी आपत्ति आदि उठा सकेंगे लेकिन अब उस पर बोलने ही नहीं दिया जा रहा है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: जब हिन्दी को सदा के लिए देश से निकालने के लिए यह काला विधेयक संसद् में प्रस्तुत किया जा रहा है तो वह एक ऐसे पवित्र दिन प्रस्तुत किया जा रहा है जिस दिन कि हिन्दुओं का वैशाखी का पवित्र त्योहार पड़ता है ।

सब से बड़े दुख की बात तो यह है कि वह एक ऐसे पवित्र दिन प्रस्तुत किया जा रहा है, जब जो कि हिन्दुओं का एक पवित्र त्योहार है, वैसाखी का दिन, है । जान-बूझ कर आज का दिन उस के लिए निश्चित किया गया है । मैं चाहता हूं कि यदि सरकार देश की एकता को सुरक्षित रखना चाहती है, तो उसे वापिस ले . . . (**अन्तर्बाधा**) ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि मैं इस पर क्या रूलिंग दूं—इस पर दूं कि इस बिल को इस दिन क्यों पेश किया गया, या इस पर दूं कि इकरार क्या थे, वगैरह ? यह प्वायंट आफ आर्डर किस बात का हुआ ? माननीय सदस्य अपनी तकरीर करना चाहते थे । अगर मैं बन्द करता हूं, तो उसका ग़लत तर्जुमा लगा कर कहा जाता है कि हम को बोलने नहीं दिया जाता है । क्या यह कोई प्वांयट आफ आर्डर है, जो इतने पुराने पार्लियामेंटरियन होते हुए भी शास्त्री जी पेश कर रहे हैं ? (**अन्तर्बाधाएं**) ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, इसी बिल के कारण बताते हुए यह कहा गया है कि कि प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि अंग्रेजी सह-भाषा रहेगी, किन्तु इस विधेयक में उस को मुख्य भाषा बनाया जा रहा है । हम इस पर आप की व्यवस्था चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्वायंट आफ़ आर्डर नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : वह इस बात पर एतराज़ करना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : हां, वह इस पर एतराज़ करना चाहते हैं। लेकिन यह प्वायंट आफ़ आर्डर नहीं है।

स्वामी जी।

श्री रामेश्वरानन्द : इस सदन् में कांग्रेसी बहुत हैं। इस समय देश की स्थिति को देखते हुये वे इस को एक वर्ष पीछे भी ला सकते हैं। इस के कारण देश में बड़ा भारी संकट उपस्थित हो सकता है। किसी और दृष्टि से नहीं, इसी दृष्टि से मैं समझता हूं कि यह विधेयक इस समय नहीं आना चाहिये। यदि यह विधेयक इस समय लाया गया, तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। सरकार इस विपत्तिकाल से लाभ उठाना चाहती है। मैं तो यह समझता हूं कि यह सरकार अंग्रेज सरकार है, इस की भाषा अंग्रेज़ी है और त्यौहार अंग्रेज़ी हैं। कल की छुट्टी थी। कल गुड फ्राइडे था। वह हिन्दुस्तान के मिनिस्टरों का, और आप का भी, क्या लगता था? कल की छुट्टी रखी गई, किन्तु आज, जब कि भारतवर्ष का एक प्रसिद्ध त्योहार है, छुट्टी नहीं रखी गई। जब तक मैं इस सदन में हूं, मैं बिल्कुल यह कार्यवाही नहीं चलने दूंगा, आप मेरा जो कुछ चाहें कर सकते हैं। आप मेरा जो चाहें कर लें।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठेंगे ?

श्री रामेश्वरानन्द : मैं नहीं नहीं बैठूंगा।

अध्यक्ष महोदय : बैठेंगे भी नहीं और कार्यवाही भी नहीं चलने देंगे।

श्री रामेश्वरानन्द : आप इस बिल को वापस करा दीजिए और सरकार फिर इस को ले आये, तो मैं बैठ जाऊंगा। जब देश संकट से निकल जाये तो फिर सरकार इस को ले आए। सरकार के पक्ष में तो बहुत से सदस्य हैं। हम तो इस को किसी हालत में नहीं रोक सकते।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बैठेंगे नहीं ?

श्री रामेश्वरानन्द : मैं देश और भाषा की भलाई के लिए नहीं बैठूंगा, आप जो चाहें, सो कर लें। अब मैं नहीं बैठूंगा। मेरा जो चाहे सो किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने तो सुना था, हितोपदेश में पढ़ा था, "नमन्ति फलेन वृक्षा :; नमन्ति गुणेन जना:"। आप ने इस समय जो तरीका अख्त्यार किया है, वह उस के अनुकूल नहीं है। आप कहते हैं कि ...

श्री रामेश्वरानन्द : हम ने वही तरीका अख्त्यार किया है, जो कि यह सरकार बनाने से पहले कांग्रेस के लोग अख्त्यार करते थे।

अध्यक्ष महोदय : तो मैं इस हाउस के सामने रखता हूं कि एक मेम्बर यह कहते हैं कि वह हाउस की कार्यवाही बिल्कुल नहीं चलने देंगे। मैं आपोज़ीशन मेम्बर्ज के सामने भी यह बात रखता हूं कि क्या किसी डेमोक्रेसी में हाउस में कभी काम चल सकता है, अगर एक मेम्बर खड़ा हो कर यह कहे कि मैं कार्यवाही को कभी भी नहीं चलने दूंगा और वह खड़ा हो कर हाउस को रैन्सम में रखें और इस के साथ ही वह हाउस और स्पीकर को चेलेंज करे ...।

---

†मल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यवाही चलने को मना नहीं करता हूं। कार्यवाही चले। देश की भलाई के लिए आप इस बिल को वापस कराइये। मैं आप की सारी आज्ञाओं को मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह हाउस को और स्पीकर को भी चैलेंज करता रहे कि जो मेरा करना है, कर लो।

श्री रामेश्वरानन्द : आप अपने डंडे का प्रयोग कर लें। हमारा बनता भी क्या है? आप जो कुछ करना चाहें कर लें। आप मेरी प्रार्थना नहीं सुनना चाहते हैं। प्रधान मंत्री जो बैठे हैं, सब मिनिस्टर बैठे हैं। मैं देश की भलाई के लिये कहना चाहता हूं कि यह बिल नहीं आना चाहिए। इस से देश का कोई अच्छा नहीं होने वाला है।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह ली और मैंने आप को इतना वक्त दे दिया। क्या अब आप बैठ जायेंगे?

श्री रामेश्वरानन्द : मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा। अगर यह विधेयक आयगा, तो मैं नहीं बैठूंगा।

अध्यक्ष महोदय : और कार्यवाही भी नहीं चलने देंगे?

श्री रामेश्वरानन्द : मैं नहीं बैठूंगा। आप मुझे फांसी पर भी लटका दें, तो भी मैं नहीं बैठूंगा। मैं इस को नहीं सुनना चाहता हूं। मैं नहीं बैठूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं स्वामी जी का नाम ले कर, श्री रामेश्वरानन्द का नाम लेकर, जो इस सदन के सदस्य हैं, उन को पुकारता हूं कि आप इस हाउस की कार्यवाही में जान-बूझकर बाधा डाल रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल कोई कार्यवाही नहीं चलने दूंगा और न बैठूंगा।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं अन्याय के बिल्कुल बिपरीत लड़ूंगा और जरूर लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे फांसी पर लटका दिया जाये। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं अधर्म को सहन नहीं कर सकता। आप जो चाहें, सो करलें।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं आप से कहूंगा कि आप बाहर चले जायें।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं नहीं जाऊंगा। इस तरह से मैं जाने वाला नहीं हूं।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

> "कि माननीय सदस्य श्री रामेश्वरानन्द को सत्र के अन्त तक सभा की सेवा से निलम्बित किया जाय।"

श्री रामेश्वरानन्द : इस बिल को वापस ले लिया जाये, वैसे मैं नहीं जाऊंगा। (**अन्तर्बाधा**)।

श्री कछवाय (देवास) : इस पर जनता की राय लेनी चाहिए।

श्री रामेश्वरानन्द : सरकार इस पर जनता की, बाहर की दुनिया की राय ले। सरकार केवल सदन के बल पर यह करती है, इस लिए मैं नहीं सुनता हूं।

श्री कछवाय : इस को तुरन्त वापस ले लेना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब्रजराज सिंह : मैं ने निवेदन किया था कि बाहर जनता आई हुई है (**अन्तर्बाधा**) और वे लोग डिमांस्ट्रेशन कर रहे हैं।

मंत्री महोदय उनकी भी राय ले कर देख लें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने आप को जवाब दिया था कि बाहर जो कुछ हो रहा है हो, वह मेरे अख्त्यार में नहीं है ।

श्री बृजराज सिंह : परन्तु मंत्री महोदय के अख्त्यार में तो है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें । मंत्री महोदय का जो फर्ज है, वह मंत्री महोदय निभायेंगे। मुझे यहां अपना फ़र्ज़ निभाने दीजिए । यहां पर एक तरफ़ से एक मोशन आई है। माननीय सदस्य, श्री शुक्ला ने प्रस्तुत की है।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा** (तिरुवेल्ला) : मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री रामेश्वरानन्द : भाषा में बोलिए । इंगलिश में राय मांग कर देखें । (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : यहां यह तहरीक आई है कि स्वामी रामेश्वरानन्द, जो कि इस सदन के मेम्बर हैं और जिनको मैंने नेम भी किया है, जिनका नाम भी मैं ने लिया है, इस हाउस की कार्यवाही को बिल्कुल चलने नहीं देते . . . ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं अन्याय को नहीं चलने दूंगा। न्याय चले, मैं हाथ जोड़े खड़ा हूं। मैं किसी को गाली नहीं देता हूं, बुरा नहीं कहता हूं। अन्याय के खिलाफ़ में बोलता रहूंगा और ज़रूर बोलता रहूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हाउस के सामने यह तहरीक है कि माननीय सदस्य, श्री रामेश्वरानन्द को इस सेशन के बाकी हिस्से के लिए इस हाउस की सर्विस से, सेवा से, मुअत्तिल, किया जाये ।

जो साहब इस के हक में हैं, वे 'हां' कहेंगे ।

†**बहुत माननीय सदस्य** : हां ।

अध्यक्ष महोदय : जो इस के वरखिलाफ़ हैं, वे '**नहीं**" कहेंगे ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : जो मेम्बरान साहबान 'नहीं' कहते हैं, वे अपनी सीटों पर खड़े हो जायें । . . . . . मैं देखता हूं कि सोलह मेम्बरान खड़े हुए हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : दो प्रकार की सजाए हैं। (**अन्तर्बाधा**)।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । मोशन हाउस के सामने हैं। श्री बनर्जी जानते हैं कि जो मोशन आई है, मैं उस को रक्खूं या क्या करूं। क्या मैं उस को अपने आप बदल सकता हूं ?

सोलह मेम्बर इस के बरखिलाफ़ हैं। जो मेम्बर साहबान इस के हक में हैं, वे ज़रा खड़े हो जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(बहुत से माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये ।)

अध्यक्ष महोदय : सोलह मेम्बर इस के बरखिलाफ़ हैं और बाकी इस के हक में हैं । इतनी मैजारिटी से यह मोशन मन्जूर हो गई ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं ने संशोधन प्रस्तुत किया है (अन्तर्बाधाएं)

श्री रामेश्वरानन्द : यहां तो वे खड़े हो सकते हैं । ज़रा वे द्वारा के बाहर खड़े हो कर दिखायें । बाहर इस पर राय मांग कर दिखायें ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं स्वामी रामेश्वरानन्द जी से कहता हूं कि इस हाउस के फ़ैसले के अनुसार वह बाहर चले जायें ।

श्री रामेश्वरानन्द : मुझे फांसी पर लटका दिया जाये, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : तो मैं मार्शल से कहूंगा कि वह जा कर उन को बाहर निकाल दे ।

श्री रामेश्वरानन्द : मार्शल आए, कोई आए । आप के हाथ में डंडा है । मैं ऐसे नहीं जाऊंगा ।

मार्शल साहब, क्या मैं अन्याय कर रहा हूं ? ऐसे मैं नहीं जा सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वाच एंड वार्ड के पांच सात आदमी आ जायें और आराम से—कोई चोट न आए—उनको उठा कर बाहर निकाल दें ।

श्री कछवाय : ऐसा नहीं हो सकता है ।

[मार्शल ने रक्षा तथा प्रहरी (वाच एंड वार्ड) की सहायता से श्री रामेश्वरानन्द को सदन से बाहर निकाल दिया ।]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह क्या स्थिति हो रही है ? देश के साथ यह अन्याय हो रहा है । (अन्तर्बाधाएं)

श्री **कछवाय** : यह नहीं हो सकता है । हम को मार डालो । हम को गोली से मार दो । प्रधान मंत्री बैठे हैं और सुन रहे हैं । (अन्तर्बाधाएं) जो एकता देश में कायम हुई है, उसको ही आप अब खत्म कर रहे हैं (अन्तर्बाधाएं) इसको हम नहीं चाहते हैं, हम इसके विरुद्ध हैं ।

श्री बृजराज सिंह : इसके विरोध-स्वरूप हम सब लोग वाक आउट करते हैं ।

श्री कछवाय : आप जो चाहें, कर लें । आप हमारा गला काट दो (अन्तर्बाधायें) जनता के सामने आप जायें और देखें कि वह क्या कहती है । बाहर आ जाकर देखिये, तब आपको पता चलेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अब तीन आनरेबल मेम्बर हैं, जो बाधा डाल रहे हैं. . .

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : बाधा नहीं डाल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : वे कोई कार्रवाई चलने नहीं दे रहे हैं । आप बैठ जायें और बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर चले जायें (अन्तर्बाधाएं)

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(इस समय सर्वश्री ब्रजराज सिंह, कछवाय, प्रकाशवीर शास्त्री और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये।)

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री संक्षेप से अपना वक्तव्य दे सकते हैं। एक एतराज है जो श्री बनर्जी ने उठाया है इसकी इंट्रोडक्शन पर। पहले मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वह इसके मुताल्लिक स्टेटमेंट दें।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या आबजैक्शन है, यह भी तो उनको पता चल . . .

अध्यक्ष महोदय : जो रूल है, उसको वह पढ़ लें।

श्री स० मो० बनर्जी : माफ कीजिये, मैंने देखा नहीं।

†**श्री जोकीम आल्वा** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री कछवाय को सदन की सेवा से इस वर्ष के अन्त तक के लिए निलम्बित किया जाये।"

यदि ऐसा न किया गया तो संसदीय संस्थायें खतरे में पड़ जायेंगी।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। मैं समझता हूं इस समय इस पर संशोधन नहीं प्रस्तुत किया जा सकता।

श्री यशपाल सिंह (कैराना): मेरा भी एक प्वाइंट आफ आर्डर है इसके मुताल्लिक।

अध्यक्ष महोदय : जो कवायद हैं उनको आप देख लें। इंट्रोडक्शन पर एक मैम्बर साहब को एतराज करने की मैं इजाजत दे सकता हूं। एक मैम्बर सिर्फ बोलेगा, आम बहस नहीं होगी। बनर्जी साहब ने मुझे नोटिस दिया है और लिखा है कि वह इस पर एतराज करना चाहते हैं। उनको बाकायदा इसकी इंट्रोडक्शन पर एतराज है। या तो अपोजीशन वाले जो इसकी मुखालिफत करना चाहते हैं, आपस में फैसला कर लें कि एक मैम्बर कौन सा उनकी तरफ से वह एतराज करेगा और अगर वे आपस में न कर सकें तो मेरा फर्ज है कि मैं . . .

श्री यशपाल सिंह : यह बहुत अहम मसला है। ४४ करोड़ इंसानों से यह ताल्लुक रखता है। मेरे जैसा आदमी जो हर वक्त यहां बैठता है, एक एक मिनट पैंठता है, उसे मौका मिलना चाहिये कि प्वाइंट आफ आर्डर को रेज कर सके . . .

अध्यक्ष महोदय : कवायद के मुताबिक ही हम को चलना होगा। आप देख कर मुझे कोई कवायद बता सकें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। माननीय सदस्य ने प्रस्ताव किया है परन्तु मेरे विचार में उसे इस वर्ष के अन्त तक न करके इस सत्र के अन्त तक कर दिया जाय।

श्री जोकीम आल्वा : मुझे स्वीकार है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि श्री कछवाय को इस सत्र के अन्त तक सभा की सेवा से निलम्बित किया जाय।"

केवल चार व्यक्ति इसके विरोध में खड़े हुए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रस्तव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि यह मोशन पास हो गई है, इस वास्ते आनरेबल मैम्बर कछवाय को भी इस सदन की सेवा से इस सैशन के आखिर तक मुअत्तिल कर दिया जाता है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे माननीय सदस्यों के आक्षेपों का उत्तर तो देना नहीं ।

श्री यशपाल सिंह : वह इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। बाकी की जो कार्रवाई है, वह आज की प्रोसीडिंग्ज में नहीं है। इसलिए मंत्री महोदय को इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं अर्ज करूंगा कि आपके पास जो साथी बैठे हैं, उनमें से किसी से पूछ लीजिये, वे क्या कहते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं रूल्ज के मुताबिक चलने की। अगर ऐसा न हो तो आप प्लवाइंट आउट कर सकते हैं।

†**श्री शिव नारायण** : शोर बहुत हो रहा है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत सी आवाज़े आ रही हैं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : संविधान के अनुच्छेद ३४४ में जो व्यवस्था है उससे अनुसार जून १९५५ में राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग की नियुक्ति की गयी थी। उसने अपना प्रतिवेदन ३१ जुलाई, १९५६ में प्रस्तुत कर दिया। १९५७ में एक संसदीय समिति का निर्माण किया गया था, इस समिति के प्रतिवेदन पर सितम्बर, १९५९ में सदन में चर्चा हुई थी। उस समय प्रधान मंत्री द्वारा कुछ सुझाव दिये थे। उन सुझावों के अनुसार ही यह वर्तमान विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कहना बिलकुल गलत है कि सरकार देश की एकता को . . .

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर): मेरा एक औचित्य प्रश्न है। मेरा निवेदन है कि यह विधेयक संविधान के उपबन्धों के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। अनुच्छेद ३४३ में स्पष्ट है कि हिन्दी राजभाषा होगी और यह अन्तिम है। मुझे यह सन्देह है कि बिना समय अवधि का उल्लेख किये इसे प्रस्तुत किया जा सकता हो। अध्यक्ष महोदय इस बारे में अपना निर्णय दे सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक दम मैं इस बारे में कुछ निर्णय नहीं दे सकता।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो ऐतराज हैं। मैं समझता हूं कि आज जिस तरह का एका देश में हुआ था उसके लिये अभी हमारे गृह मंत्री महोदय ने कहा कि शायद उस एका के टूटने का खतरा इस बिल के न लाने पर हो। मैं जानता हूं कि जो हमारे देश के बहुत से ऐसे भाई हैं जो कि हिन्दी नहीं जानते हैं, जो कि हिन्दी सीखना चाहते हैं लेकिन अभी तक वह अंग्रेजी जबान को ही तकरीबन अपनी मादरी जबान मानते हैं, उन्हें यह खतरा हो सकता है कि सन् १९६५ के बाद पता नहीं अंग्रेजी जबान रहे या न रहे। यह बात सच है। लेकिन उसके लिये २६ जनवरी, १९६५ तक का समय अभी पड़ा हुआ है। संविधान में इस बारे में साफ तरीके से कहा गया है कि संविधान के लागू होने के १५ वर्ष बाद हिन्दी लागू होगी। और आज सन् १९६३ है। एक खतरे को निकालने के लिये या अगर किसी के दिल में कुछ शक व शुबहे हों, जिनके दिल में

†मूल अंग्रेजी में

ऐसे शक व शुबहे हों वे भाई बुरा न मानें, मैं नहीं चाहता कि उनका कोई अहित हो, लेकिन उनके दिल के शक व शुबहे को दूर करने के लिये सारे देश के काफी बड़े टुकड़े के दिमाग में कुछ शक पैदा कर दिया जाय, तो मैं समझता हूं कि यह न तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सही है और न सामाजिक दृष्टिकोण से। अगर इस तरीके से हम समाज को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह गलत होगा।

दूसरा कारण मेरा यह है कि मैं समझता हूं कि जिस तरीके से डा० सिंधवी ने इस को रेज़ किया उस पर आपने यह बतलाया कि यह आप के ऊपर नहीं है, आप फैसला नहीं कर सकते कि यह कांस्टिट्यूशनली करेक्ट है या नहीं। मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से दर्ख्वास्त करूंगा कि उन्हें इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले इसको ऐटारनी जनरल को रिफर करना चाहिये कि हमारे संविधान की जो धारा ३४३ है उसके मुताबिक यह विधेयक आज यहां आ भी सकता है या कि इसको १५, २० या ३० साल बाद लाया जाना चाहिये। इंटेंशन कांस्टिट्यूशन की इस धारा का यह था कि जब भी चाहें इसको बढ़ाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इसके लिये लीगल ओपीनियन पहले ली जानी चाहिये। आज इसकी इतनी जल्दी नहीं है। आज जो हिन्दुस्तान की एकता बनी हुई है, मैं समझता हूं कि एक महीने, दो महीने या तीन महीने बाद इस विधेयक के आने से देश में उसके लिये कोई खतरा नहीं पैदा हो जायेगा। मैं उन भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूं जो अहिन्दी भाषा भाषी हैं कि अगर आज तक प्रजातान्त्रिक उसूलों पर उनके हितों की हिफाजत की गई है तो आगे भी उनका कोई अहित होने वाला नहीं है। आज सदन में जो मजाहरे हुए मैं उनके खिलाफ हूं, लेकिन देश की हैसियत से राष्ट्र में जो एकता इस वक्त है, चीनी आक्रमण के खिलाफ आज देश में जो एकता हुई है उसको बरकरार रखने के लिये...

अध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ इंट्रोडक्शन पर आबजेक्शन कर सकते हैं और आप अपने को उसी तक कन्फाइन रखिये।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं समझता हूं कि इस बिल का इंट्रोक्डक्शन इस वक्त नहीं किया जाना चाहिये। पहले उसके लिये लीगल ओपीनियन ली जाय। दूसरे यह कि यह देश के हित में नहीं है।

†**श्री फ्रेंक एंथनी** (नाम निर्देशित–आंग्ल भारतीय) : आप मुझे बोलने की अनुमति दें। मैं वह बात कहूंगा जो कि अहिन्दी भाषी लोगों का प्रतिनिधित्व करेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं आप को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। यदि आप को दी तो और को भी देनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री तनिक नियंत्रण से काम लें।

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या आप दूसरों को भी इजाजत देंगे बोलने की ?

अध्यक्ष महोदय : मैं फिर दर्ख्वास्त करूंगा कि जैसा मुझे बतलाया गया, ४० सालों से यह चला आया है कि इस वक्त . . .

श्री यशपाल सिंह : आप ने पहले दूसरी अंडरस्टैंडिंग कायम की थी। लेकिन जब सब लोग अपनी बात कह सकते हैं तो मुझे भी मौका मिलना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय: मैं ने किसी को नहीं बोलने दिया ।

श्री यशपाल सिंह : अभी एन्थनी साहब बोले ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें भी रोक दिया ।

यशपाल सिंह : मुझे तो यह कहना है कि जिस कांस्टिट्यूशन के लिये हमारे गृह मंत्री जी ने तीन दफे कसम उठाई है, शपथ ली है, आज यह उस कांस्टिट्यूशन के खिलाफ गद्दारी है, और उस गद्दारी के विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री यशपाल सिंह सदन से चले गये)

†श्री नाथ पाई (राजापुर) : श्री सिंघवी यह कहना चाहते है कि क्या सदन इस विधेयक पर विचार कर सकता है ?

†श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : यह सदन के अधिकार का प्रश्न है ।

†अध्यक्ष महोदय : यदि इस अधिकार के प्रश्न पर चर्चा करनी हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

†श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोयल) : यह विधेयक विधेयक की मूलभूत भावना के विरुद्ध है। क्योंकि इसके द्वारा अंग्रेजी को अनिश्चित समय तक चलाने का विधान है । आप संविधान में संशोधन करके यह निश्चित कर लें कि अंग्रेजी १० वर्षों के लिए और चलती रहेगी ।

श्री प्रभात कार (हुगली) : श्री सिंघवी ने जिस ३४३ अनुच्छेद का उल्लेख किया है उस में किसी अवधि विशेष का कोई उल्लेख नहीं । अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि बढ़ा देने का इस सदन को पूर्ण अधिकार है ।

†श्री फ्रैंक एंथनी: में भी वही बात कहना चाहता हूं जो कि मेरे माननीय मित्र ने मेरे से पूर्व कही है । अनुच्छेद ३४३ के खंड ३ के अन्तर्गत भंग करने का यत्न कर रही है अथवा इस विधेयक द्वारा देश की एकता भंग हो जायेगी । यह भी गलत है कि हिन्दी की उपेक्षा की जा रही है। विधेयक के उपबन्धों में यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान लागू होने के १५ वर्ष बाद हिन्दी के साथ साथ सरकारी कामों में अंग्रेजी का भी प्रयोग होगा । मुख्य राजभाषा, विधेयक के अनुसार हिन्दी ही होगी । जो कुछ स्थिति है, उसके अनुसार मेरा यह गम्भीर मत है कि सदन को इस पर विचार करके एकमत से इसे स्वीकार कर लेना चाहिए । ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अनुसार यह सदन इस विधेयक पर विचार न कर सकता हो ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई आपत्ति में कोई बल दिखाई नहीं देता । मेरे विचार में सदन इस पर विचार कर सकता है ।

प्रश्न यह है :

> "कि संसद् में काम निबटाने, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कुछ प्रयोजनों के लिए संघ के राज-काज में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : में विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की मांगें--जारी

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय

वर्ष १९६३-६४ के लिए इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :--

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
८८	इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय . . .	२८,६१,०००
८९	इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	२८,३३,६४,०००
१३८	इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	१,३१,०३,६२,०००

†**डा० उ० मिश्र** (जमशेदपुर) : हमारे देश में भारी उद्योगों और इस्पात का निर्माण हो रहा है इस बात का मुझे बहुत हर्ष है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इस सम्बन्ध में मैं सरकार की नीति का समर्थन करता हूं। मुझे इस बात का हर्ष है कि मंत्री महोदय का रुख काफी कड़ा है, वह किसी भी विदेशी शक्ति से प्रभावित नहीं होते। परन्तु खेद की बात इतनी ही है कि दो योजनाओं के समाप्त हो जाने के बावजूद भी अभी तक इस्पात के मामले म हमारे उद्योग तरस ही रहे हैं। हम अब तक केवल ४० लाख टन का उत्पादन कर पाये हैं। हमारे इस्पात मंत्री महोदय ने जो १०० लाख टन का लक्ष्य प्राप्त करने की बात कही है, वह बहुत अच्छी है। परन्तु मुझे सन्देह है कि उसे पूरा कर लिया जायेगा। जापान, चीन इत्यादि देशों के मुकाबले में इस्पात उत्पादन में हम बहुत पीछे हैं। हमें यदि इस उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करना है तो निश्चित नीति की पालना करनी होगी। इस मामले में हम उन लोगों पर विश्वास कर रहे हैं जो यह नहीं चाहते कि हम अपने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर सकें। हमें इस्पात एकाधिकारियों से बचना चाहिए।

गत वर्ष मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि बोकारो बन कर तैयार हो जायेगा। चाहे इसके लिए अमरीकी सहायता प्राप्त हो अथवा न हो। परन्तु यह जान कर बहुत खेद हुआ कि अमरीका सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि यदि बोकारो संयंत्र को गैर सरकारी क्षेत्र में न लिया गया तो वे सहायता नहीं देंगे। यह तो बहुत अनादर वाली बात है, हमें सहायता लेने की कोई इस प्रकार की शर्तें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। सरकार को किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए प्रत्युत यह आश्वासन सदन को देना चाहिए कि नये भारी उद्योग सरकारी क्षेत्र में ही आरम्भ

†मूल अंग्रेजी में

[डा० उ० मिश्र]

किये जायेंगे। हम ने अपने देश के लोगों को जो समाजवादी समाज के निर्माण का लक्ष्य बता रखा है उसे हम को भूलना नहीं चाहिए। आज सभी दिशाओं से सरकारी क्षेत्र को बदनाम करने की आवाजें उठ रही हैं, सरकार को इसके प्रति सचेत होना चाहिए।

जो लोग गैर सरकारी क्षेत्र में इस्पात का निर्माण कर रहे हैं, वे लाखों रुपये कमा रहे हैं। टिस्को ने गत १० वर्षों में ३६७ करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ कमाया है। अब ये लोग नहीं चाहते कि सरकारी क्षेत्र में उत्पादन के लक्ष्य पूरे हो सकें। उन को अपने नफे का लालच है। टिस्को की पूंजी दस वर्षों में १०·४७ करोड़ से बढ़ कर ३८·९६ करोड़ हो गयी। पूरी २०० प्रतिशत की वृद्धि है।

इस दिशा म महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो नफे कमाये जा रहेहैं, इसपूंजी को उद्योग के विकास अथवा विस्तार के लिए नहीं लगाया जा रहा। इस पूंजी से और उद्योग जारी करके वे अपनी शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। राजनीति में भाग लेते हैं। राजनीतिक दलों में भ्रष्टाचार फैलाते हैं। सेवा निवृत्त हुए अधिकारियों को बड़े बड़े वेतन दे कर अपने यहां नियुक्त कर लेते हैं। परन्तु कर्मचारियों के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही खराब होता है। सरकार उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में असमर्थ पाती है। मेरा निवेदन है कि टिस्को और इस्को का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। मेरा तो यह भी अनुरोध है कि सरकार को बोकारो संयंत्र पर भी अब अपना नियंत्रण कर लेना चाहिए। और आगे से किसी भी नये इस्पात संयंत्र को गैर सरकारी क्षेत्र में लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

में इस बात को स्वीकार करता हूं कि आपातकालीन स्थिति में इस्पात संयंत्रों का काम काफी अच्छा होता है, परन्तु इनका प्रशासन बहुत खर्चीला है। बड़े अधिकारी बहुत बड़े बड़े वेतन पाते हैं। मैनेजरों को जब से आजादी दी गयी है तब से वे सारे समय काम ही नहीं करते। उन के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। कर्मचारियों की जो शिकायतें हैं उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि सरकारी क्षेत्र की समर्थक हैं के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं होना चाहिए।

इस्पात संयंत्रों के निर्माण का काम ठेकेदारों को कम दिया जाय। ये बड़े बड़े ठेकेदार आगे छोटे ठेकेदारों को काम दे देते हैं। ये छोटे ठेकेदार आगे फिर काम किसी से करवाते हैं। इस तरह काफी अपव्यय होता है जिसे रोका जा सकता है। लोग कहते हैं कि राम राज्य तो जब बनेगा देखेंगे अभी तो ठेकेदार राज्य है। तकनीकी कर्मचारियों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें दी जानी चाहिएं। तकनीकी लोगों की एक सूची रहनी चाहिए ताकि विभिन्न संयंत्रों में आवश्यकता के समय उनकी नियुक्ति हो सके।

पता चला है कि कुछ कारखाने ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे। इस संदर्भ में टैल्को और जैम्को का नाम लिया जा सकता है। कर्मचारियों ने तो आपातकालीन स्थिति में अधिक से अधिक काम करने का आश्वासन दिया है। देश में इस्पात उत्पादन का संगठन करने के लिए एक विधान बनाया जाना चाहिए। गैर सरकारी क्षेत्र पर अधिक नियंत्रण रखा जाना चाहिए। परियोजनाओं का व्यय कम किया जाना चाहिए और श्रम सम्बन्धी नीति का पुनः नवीकरण किया जाय।

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
८८	४	श्री स० मो० बनर्जी	निम्नलिखित में असफलता:— (१) हैवी इलैक्ट्रीकल भोपाल में संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था बनाना (२) इस्पात संयंत्रों में श्रम विधि लागू करना (३) इस्पात की कीमत कम करना (४) भोपाल, हैवी इलैक्ट्रीकल का कार्य सम्पादन (५) टिस्को और इस्को का राष्ट्रीयकरण (६) सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों का कार्य सम्पादन	१०० रुपये
८८	७	श्री रा० बरुआ :	इस्पात का उत्पादन, ग्रामीण आवश्यकताओं के लिये सी० आई० शीटस तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की आवश्यकता।	१०० रुपया
८८	१	श्री शिवमूर्ति स्वामी	मैसूर राज्य में लोहा और इस्पात उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता।	१०० रुपया
८९	६	श्री शिवमूर्ति स्वामी	मंत्रालय के अधीन उड़ीसा के कुछ सरकारी समवायों का प्रशासन।	१०० रुपये

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह सब कटौती प्रस्ताव सभा के सम्मुख प्रस्तुत हैं।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : श्रीमान्, इस मंत्रालय का प्रतिवेदन प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है। इस वर्ष के प्रतिवेदन में जानकारी बहुत संक्षेप में दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारका]

१९६२–६३ और १९६३–६४ की अनुदानों की मांगों में इस्पात के संबंध में दिये गये अध्याय शब्दश: एक ही जैसे हैं। इसका कारण केवल मितव्ययता ही नहीं है। मंत्रालय को चाहिये कि सभा को ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में जानकारी देते समय अधिक विचार से काम ले।

इस्पात हमारे देश के विकास और प्रतिरक्षा के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यद्यपि इस्पात के स्थान पर काम में लाये जाने के लिये अधिकाधिक धातुओं को प्रयुक्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है किन्तु फिर भी अनुमान लगाया जाता है कि इस सदी के अन्त तक इसकी मांग १०० करोड़ टन हो जायेगी जबकि इसका वर्तमान उत्पादन दुनियां में कुल ४५ करोड़ टन ही है। हमारी अपनी मांग भी १९७५ तक ३ करोड़ टन हो जायेगी। इसलिये इसके विषय में दूरदर्शिता से कार्य करने की आवश्यकता है।

तृतीय योजना में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का लक्ष्य १ करोड़ टन का निर्धारित किया गया है। द्वितीय योजना का लक्ष्य तृतीय योजना काल के मध्य तक प्राप्त किया जा सकेगा और तृतीय योजना का, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, चतुर्थ योजना के प्रथम वर्ष तक। समुचित विकास के लिये लक्ष्य का प्राप्त किया जाना बहुत आवश्यक है।

भविष्य में स्थापित किये जाने वाले इस्पात संयंत्रो के संबंध में स्थान के विषय में निश्चय कर लिया जाना चाहिये। इससे काफी समय की बचत हो सकेगी ; क्योंकि बहुत से कार्य जैसे भूमि का अर्जन, भूमि परीक्षण आदि पहले ही निबटाये जा सकेंगे।

नेवेली लिगनाइट पर आधारित इस्पात संयंत्र काफी मितव्ययिता पूर्ण होगा। विशेषज्ञों का विचार है कि यहां का लिगनाइट विद्युत जनन के लिये बहुत अच्छा है। इन लोगों का यह भी विचार है कि लिगनाइट पर आधारित परियोजनाओं को शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाये।

जहां तक इसके आकार का प्रश्न है विशेषज्ञों का यह मत है कि ५० से ८० लाख टन की क्षमता का संयंत्र सब से अधिक मितव्ययिता पूर्ण है। आकार का बहुत महत्व है क्योंकि केवल संयंत्र स्थापित करना और उसकी क्षमता बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु दुनियां की मंडियों में प्रतिस्पर्धा करने के लिये यह भी आवश्यक है कि हम इसका सस्ता उत्पादन कर सकें।

दुनियां में अधिक स्थान ऐसे नहीं हैं जहां इतनी बड़ी क्षमता के संयंत्र स्थापित किये जा सकें किन्तु सौभाग्य से हमारे देश में एक या दो स्थान, जिनमें एक बोकारो भी है, । इस बात को देखते हुए और साथ ही मितव्ययिता तथा देश में इस्पात की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए बोकारो में १० लाख टन का संयंत्र स्थापित करने का तर्क समझ में नहीं आता।

सरकार ने छोटे संयंत्रों की स्थापना का भी, जिनकी अधिकतम क्षमता १० लाख टन होगी, निश्चय किया है। किन्तु छोटे संयंत्रों में इस्पात महंगा पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार बड़े संयंत्रों में इसका उत्पादन-व्यय १५ पाउंड प्रति टन है जबकि छोटे संयंत्रों में यह १८ पाउंड है। किन्तु फिर भी यह देश के हित में ही होंगे। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इसके विषय में पूर्ण जानकारी दें।

इस्पात बनाने में मितव्ययिता पर बहुत सी बातों, जैसे स्थान, कच्चा माल, परिवहन आदि का प्रभाव पड़ता है। जब यह लगभग सिद्ध हो चुका है कि यदि संयंत्र समुद्र के तट पर स्थापित किये जायें और उनमें आयात किये हुए कच्चे माल का प्रयोग किया जाये तो यह अधिक सस्ता पड़ेगा।

जापान में यही पद्धति अपनाई गई है और इसीलिये वहां का इस्पात अमरीका और दूसरे देशों के इस्पात से अधिक सस्ता होता है। जापान का इस्पात अमरीका के बाजारों में भी, उसके अपने इस्पात से सस्ता बेचा जाता है। हर्ष की बात है कि सरकार ने भी समुद्र तक के दो स्थानों, गोआ और विशाखापटनम, में संयंत्र लगाने का निश्चय किया है।

दूसरी बात इस्पात बनाने की पद्धति के विषय में है। जापान में आक्सीजन के प्रयोग से इस्पात बनाया जाता है। यह विधि बहुत सस्ती है। हमें भी अपने संयंत्रों में इसी विधि का प्रयोग करना चाहिये। किन्तु खेद है कि बोकारो में भी वर्तमान विधि को बदलने का कोई आभास दिखाई नहीं दे रहा। यदि यही विधि प्रयुक्त होती रही तो हम इस्पात का सस्ता उत्पादन नहीं कर सकेंगे और फिर हम न इसका निर्यात ही कर सकेंगे और न ही सस्ती मशीनें बना सकेंगे।

इस्पात की लागत में वृद्धि का एक कारण यह भी है कि प्रति टन अयस्क पर कोयला अधिक खर्च होता है और यहां के अयस्क में एल्यूमीनियम की मात्रा अधिक होती है। यहां पर भी अन्य देशों के समान इसका परिष्करण किया जाना चाहिये।

तकनीकी कर्मचारियों का भी हमारे देश में अभाव है। चौथी योजना में हमें अनुमानतः ४०,००० तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हमने पहले ही इसका प्रबन्ध नहीं कर लिया तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

और अन्त में मैं यह कहूंगा कि हमारे देश में, जैसा कि हमारा विचार है, मजदूर भी सस्ते उपलब्ध नहीं होते। ब्रिटिश विशेषज्ञों का भी यही मत है।

उपर्युक्त कारणों पर इस्पात की लागत निर्भर करती है। मुझे आशा है कि सरकार इन बातों पर सावधानी से विचार करेगी।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि निजी क्षेत्र में इस्पात निर्माता एक ओर तो यह कहते हैं कि इस्पात का अधिक उत्पादन हो रहा है और दूसरी ओर वह सरकार से उनकी परियोजनाओं का विस्तार किये जाने के विषय में कहते हैं। उनकी यह आलोचना ठीक ही है।

औद्योगिक नीति संकल्प मे यह कहा गया है कि इस्पात का उत्पादन सरकारी क्षेत्रों में ही किया जायेगा। इसके अनुसार आप विद्यमान निजी संयंत्रों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु निजी क्षेत्र में नये संयंत्र स्थापित नहीं किये जा सकते। यदि ऐसा है तो विद्यमान निजी संयंत्रों की क्षमता क्यों बढ़ाई जा रही है। टाटा इस्पात संयंत्र और इंडियन आयरन और स्टील की क्षमता लगभग दुगुनी कर दी गई है। फिर नये संयंत्र स्थापित किये जाने में आपत्ति क्यों है?

नये मंत्री के आने के बाद हिन्दुस्तान स्टील की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। इसका पुनर्गठन किया गया है। किन्तु इन परिवर्तनों से ही ध्येय पूरा नहीं हो जायेगा। अपितु मैं तो यह भी कहूंगा कि इनमें से कुछ परिवर्तन बिल्कुल अनावश्यक थे। उदाहरणार्थ प्रत्येक संयंत्र के जनरल मेनेजरों की शक्ति बढ़ा दी गयी है। इसकी क्या आवश्यकता थी? क्या इन शक्तियों के अभाव में इन संस्थाओं के कार्य में किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न होती थी?

प्रबन्ध कार्य में स्थायित्व अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आप को सुन कर आश्चर्य होगा कि ८ वर्षों में इस निगम में ५ सभापति बदल चुके हैं। रूरकेला में भी इसी समय में ५ जनरल मैनेजर आ चुके हैं। सरकार को चाहिये कि प्रबन्ध कार्य में स्थायित्व लाये क्योंकि यह किसी भी औद्योगिक अथवा

[श्री मुरारका]

व्यापारिक उपक्रम के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आप निजी क्षेत्र की व्यवस्था के अनुरूप अपना कार्य करने का प्रयास करती हैं। उस क्षेत्र में प्रबन्ध कार्य के स्थायित्व को बहुत महत्व दिया जाता है। उदाहरणार्थ श्री टाटा कई वर्षों से अपनी संस्था के सभापति रहते आये हैं।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : क्या आप चाहते हैं कि एक ही मंत्री हमेश . र्य करता रहे ?

†**श्री मोरारका** : यदि मंत्री का उपक्रम पर वास्तविक नियंत्रण है तो उन्हें कुछ वर्षों तक तो रहना ही चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब वह अपना भाषण समाप्त कर दें।

†**श्री मोरारका** : मैं कुछ मिनट और लूंगा।

हिन्दुस्तान स्टील में १९६१–६२ में, इसके वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, १९.५० करोड़ रुपये की हानि हुई है। यह सही आंकड़े नहीं हैं क्योंकि इस में ३५७ करोड़ रुपये के ऋण का ब्याज सम्मिलित नहीं किया गया है, जो कि ६ प्रतिशत की दर से २१ करोड़ रुपये होता है।

प्रतिवेदन की दूसरी महत्वपूर्ण बात कमियों के विषय में है। कच्चे माल के सम्बन्ध में १.५० करोड़ रुपये की और तयार माल के सम्बन्ध में १.७५ करोड़ रुपये की कमी दिखाई गई है।

एक महत्वपूर्ण बात और है। हिन्दुस्तान स्टील ने फरवरी, १९६२ में नई पूंजी निर्गमित की। २२ फरवरी को प्रबन्ध ले सरकार का भाग आवँटित कर दिया और २२ मार्च को निदेशक बोर्ड ने उसका अनुमोदन कर दिया; किन्तु तब तक कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज़ की मंजूरी प्राप्त नहीं हुई थी। लेखा परीक्षक के आपत्ति उठाने पर उससे कह दिया गया कि यद्यपि सरकार को आवंटन कर दिया था किन्तु उसकी सूचना सरकार को जुलाई तक नहीं दी गई थी इसलिये वह आवंटन प्रभावी नहीं है। यदि सरकारी क्षेत्रों में ही समवाय विधि का इस प्रकार अपवँचन किया गया तो फिर निजी क्षेत्रों से हम क्या आशा कर सकते हैं?

अन्त में मैं कहूँगा कि इस देश में इस्पात के विस्तार का काफी क्षेत्र है। हम इस क्षेत्र में दुनियां से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। किन्तु इसके लिये उच्च किस्म के कच्चे माल पर निर्भर रहना ही पर्याप्त नहीं है। निम्न किस्म के कच्चे माल के परिष्करण की भी आवश्यकता है।

श्री बाकलीवाल (दुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप ने जो मिनिस्टरी आफ़ स्टील ऐंड हैवी इँडस्ट्रीज़ की बजट डिमांड्स पर बोलने का अवसर दिया, उस के लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूँ।

इस मंत्रालय को सब से पहले मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि और विशेष रूप से मंत्री महोदय इसलिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपने इस कार्यकाल में जो उत्पादन का लक्ष्य था वह भिलाई में पूरा कर लिया है और दूसरी जगह भी उसको पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। बेसिक इंडस्ट्रीज़ जितनी भी हैं वे सार्वजनिक क्षेत्र में होनी चाहियें और वह इसलिए कि इस इंडस्ट्री के भरोसे हमारे देश की उन्नति निर्भर करती है। यदि उसकी आमदनी कुछ व्यक्तियों के हाथ में चली जाय तो ठीक तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो सकता जिससे कि हमारे देश में समाजवादी विचार-धारा पनपे।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस वक्त पबलिक सैक्टर में तीन स्टील प्लांट्स हैं । रूरकेला, दुर्गापुर और भिलाई । आज स्थिति यह आ गयी है कि निर्माण की सीमा समाप्त हो गयी है । और निर्माण के बाद हमने उत्पादन का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया । तो हम को अब यह देखना है—और देखना चाहिए—कि जिस उद्देश्य से हम ने पब्लिक सैक्टर में बेसिक इंडस्ट्रीज़ चालू की हैं, उस उद्देश्य को हम पूरा कर पाये हैं या नहीं । और अगर नहीं कर पाये हैं, तो उस में जो ख़ामियां हैं, उन को हम दूर करें । मैं भिलाई में रहता हूँ । मेरी समझ में सब से पहली बात तो यह है कि पब्लिक सैक्टर और प्राईवेट सैक्टर के उत्पादन-व्यय में बड़ा अन्तर है । प्राईवेट सैक्टर के उत्पादन-व्यय से पब्लिक सैक्टर का उत्पादन व्यय ज्यादा है । क्यों है, यह हम को देखना चाहिए ।

भिलाई में प्रति मास ६५ लाख रुपया वेतन में जाता है और लगभग ३५ लाख रुपया अफ़सरों पर ख़र्च होता है । इस का मतलब यह हुआ कि ३५ परसेंट से अधिक रुपया अफ़सरों पर ख़र्च होता है । दूसरी बात यह है कि वहां का जो तरीका है, वह इस तरह का है कि कोई भी काम जल्दी नहीं होता है । जिस तरह से सैक्रेटेरियट में एक फ़ाइल न मालूम कितने लोगों के हाथ में जाती है, वैसे ही वहां भी काम होता है । हर एक चीज़ महँगी मिलती है । एक रुपये का माल डेढ़, पौने दो रुपये में मिलता है । पब्लिक सैक्टर के दूसरे कारख़ानों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन भिलाई का कारख़ाना एक औद्योगिक संस्थान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है । वहां की व्यवस्था सैक्रेटेरियट की व्यवस्था की तरह है । इसलिए भी वहां हर चीज़ महँगी मिलती है ।

इसलिए हम को उस की व्यवस्था को ऐसा बनाना चाहिए कि लेनदेन के मामले में देरी तो न हो । क्या होता है कि जिन लोगों ने कुछ माल दिया, या कुछ कंट्रैक्ट लिया, जब तक उन लोगों को पैसा नहीं मिलता, तब तक उन का काम नहीं चलता । वे क्या करते हैं कि वे कुछ मनी-लैंडर्ज़ के पास जाते हैं और वे मनी-लैंडर्ज़ करीब तीन, चार परसेंट महीने का ब्याज लेते हैं और वह ब्याज भी इस तरह से कि उस पर कोई टैक्स नहीं मिलता है । जहां तक मुझे एक दो का अनुभव है, वे एडवांस चैक लिखवा लेते हैं और उस दिन तक पैसा ला दिया, तो ठीक है, एकाउंट में नहीं होता है, नहीं तो चला जाता है और टैक्स भी उस में जाता है । उस में उन को एडजस्ट करना पड़ता है । ड्योढ़ा और पौने दूना दाम ले कर भी जो लोग भिलाई में व्यापार करते हैं, वे इनकम टैक्स डिपार्टमैंट को प्राफ़िट कम बताते हैं । इस ओर भी हम को ध्यान देना चाहिए । जब तक ऐसा नहीं किया जायगा, तब तक भिलाई और पब्लिक सैक्टर के दूसरे कारख़ाने व्यक्तिगत कारख़ानों के मुकाबले में किसी भी चीज़ के उत्पादन-व्यय को घटा नहीं सकते हैं । व्यक्तिगत कारख़ाने वाले उस से आमदनी करते हैं । आमदनी कर के अपने कर्ज़ को अदा करते हैं । उस के सिवा भविष्य के लिए दूसरी मशीन लगाने के लिए रिज़र्व फ़ंड भी इकट्ठा करते हैं और अपने हिस्सेदारों को मुनाफ़ा भी बांटते हैं । हम भी कर्ज़ ला ला कर कमा चलाते हैं । तो चाहे मुनाफ़ा न बचे, लेकिन जो कर्ज़ हम लाते हैं, उस की हम अदायगी करें और उस के बाद मशीनें घिसने के बाद दूसरी मशीन लगाने के लिए भी हमारे पास पैसा बचे , चाहे मुनाफ़ा न बचे, लेकिन वहां के काम करने वालों की वेजिज़ बढ़ें, तो कोई हर्ज नहीं होगा ।

मैं एक ख़ास बात कहना चाहता हूं । मैं भिलाई से आया हूँ । वहां इस बात की बड़ी चर्चा है कि भिलाई के कारख़ाने में जो माल बनता है, वह कुछ ईजिप्ट गया और इजप्ट की सरकार ने उस को वापस कर दिया । मैं यह नहीं जानता कि वह बात सही है या ग़लत । यहां के डिफ़ेंस डिपार्टमेंट ने भी उस को हल्का माल समझ कर नहीं लिया । यह बात सही है या ग़लत, इस को क्लैरिफ़ाई किया जाये ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह तो **करंट** में निकला था।

श्री बाकलीवाल : हां, यह **करंट** में निकला था।

श्री स० मो० बनर्जी : और **करंट** की न्यूज़ आम तौर पर ग़लती होती है।

श्री बाकलीवाल : मैं ने भिलाई में यह सुना, तभी तो मैं कह रहा हूँ। जब तक उस की डिपार्टमैंटल कान्ट्राडिक्शन न हो, तब तक कैसे कहा जाये ?

कुछ पहले मैं कह रहा था कि वहां पर आफ़िसर्ज़ की कतार बँधी हुई है। वहां पर इतना नेपाटिज्म और इतना पक्षपात होता है कि मैं आप को बताऊँ कि एक-आध आफ़िसर ऐसे हैं, जो कहीं दूसरी जगह साठ रुपये पर क्लार्क थे और आज वहां पर एक आफ़िसर की जगह पर पँद्रह सौ रुपये से ऊपर पाते हैं। उनको चार बरस हो गये। उन की पोज़ीशन एक क्लार्क की है। एक-आध ऐसा है, जिस की फ़ैमिली की फ़ैमिली वहां है। एक आदमी आफ़िसर है और उस का लड़का वहां पर ढाई बरस पहले क्लार्क एप्वाइँट हुआ, लेकिन टैक्निकल व्यक्ति न होते हुए भी उस को चार्जमैन मुकर्रर कर के ३७५ रुपये की तन्ख्वाह पर रख लिया गया। ये सब बातें वहां पर होती हैं। हम को यह एसेस करना है कि ये सब बातें किस तरीके से घट सकती हैं, जिस से हम लोगों के सामने यह साबित कर सकें कि प्राईवेट सैक्टर के मुकाबले में पब्लिक सैक्टर ज्याद अच्छा है।

वहां पर एक और कारण भी है। रिटायर्ड लोगों को और डेपुटेशन पर लोगों को वहां नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि रिटायर्ड लोगों को तो यह ख़याल रहता है कि हम को समय काटना है, क्या करें। अगर किसी से किसी तरह की गलती हो जाये, तो एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारा हिन्दू देश है, हिन्दुस्तान है, यहां बड़ी दया आती है कि बेचारा मर जायगा, क्या करना है। जो लोग वहां पर डेपुटेशन पर हैं, उन को एक या दो साल के बाद वापस जाना है, इसलिए वे भी पूरे मन से काम नहीं करते हैं। जिस तरह से किसी आफ़िसर को किसी एक जगह पर तीन बरस से अधिक नहीं रखते हैं, वैसे ही वहां भी नहीं रखा जाना चाहिए।

आज की स्थिति में हम एसेस करें कि हम अपने लक्ष्य तक कहां तक पहुँचे हैं। उत्पादन का बढ़ना तो ठीक है। उत्पादन तो बढ़ता ही है, बढ़ेगा, वर्कर्ज़ काम करते हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से हम ने इस ओर कदम बढ़ाया है, वह पूरा हो रहा है या नहीं, यह एसेस करना ज़रूरी है। आप के द्वारा मिनिस्ट्री के सामने मेरा सुझाव है कि एक पार्लियामेंटरी कमेटी बनाई जाये, जो इस बारे में एन्क्वायरी करे और वह ऐसी व्यवस्था भी करे कि तीन स्टील प्लांट्स में आपस में ट्रांस्फ़र्ज़ भी हो सकें। तीन स्टील प्लांट्स हैं, लेकिन उन में न तो नौकरी समान है, न उन का वेतन समान है, न उन का काम समान है और न आफ़िसर्ज़ की तनख्वाह इत्यादि में ही समानता है। इन सब को देख कर ऐसी स्थिति पैदा की जाये कि तीनों जगह समान स्थिति हो जाये।

यह तो रही एक साधारण बात, लेकिन मैं कुछ अपनी समस्यायें भी रखना चाहता हूँ। हमारे आई० एन० टी० यू० सी० (इंडियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस) ने यह तय किया है कि ठेकेदारी प्रथा का अन्त कर दिया जाये।

श्री स० मो० बनर्जी : सरकार ने भी तय कर दिया है।

श्री बाकलीवाल : सरकार ने भी तय कर दिया है। अभी नौरोजाबाद में हमारे स्टील वर्कर्ज़ फेडेरेशन का सालाना जलसा हुआ था। उन्होंने भी यह प्रस्ताव पास कर के भेजा है कि ठेकेदारी प्रथा नहीं होनी चाहिये। एक तो मालिकी बड़ी रद्दी चीज है और ठेकेदारी के बीच में काम करने

वाले आदमी के तो दो दो मालिक हो जाते हैं और उस में भी पब्लिक सैक्टर में। प्राईवेट सैक्टर में तो सचमुच मालिक मालिक है। यहां तो मुलाजिम मालिक बन जाता है, यह बड़ी मुश्किल है और उस में भी मुलाजिम हो और ठेकेदार, उस बेचारे गरीब की, जो वहां काम करता है, कोई सुनने वाला नहीं है। ठेकेदारी प्रथा तुरन्त बन्द हो जानी चाहिये। सरकार की भी नीति है कि इस प्रथा को बन्द कर दिया जाये। सरकार भी ठेकेदारी नहीं कराना चाहती है।

भिलाई में एक और अजीब तरीका है। मैं वहां से आया हूं। वहां पर ठेकेदारी प्रथा में यहां तक होता है कि ठेकेदार चाहे जो करते हैं, मनमाने ढंग से काम करते हैं और किसी की सुनते नहीं हैं। भिलाई में लाइम-स्टोन का काम एक तो मकैनिज्म से होता है और दूसरे मैनुअल लेबर से। मेरा ऐसा अन्दाजा है कि ८५ सैंकड़ा तो मशीन से होता है और पन्द्रह सैंकड़ा मैनुअल लेबर से। इसकी मांग हर साल और हर वक्त होती है। लेकिन तीन तीन महीने के ठेके एक साथ दे दिये जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जो मजदूर होते हैं वे बाकी दिनों में खाली रहते हैं, उनको बाकी दिनों में कोई काम नहीं मिलता है। एक दूसरी चीज भी इसमें होती है। ठेकेदार माप करते हैं जो मैटीरियल मजदूरों द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद वे ले जाते हैं और जो अफसर होते हैं वे उसका माप करते हैं। जब मापा जाता है तो कागजों में ज्यादा दिखाया जाता है और होता कम हैइस तरह से मैटीरियल कम मिलता है और पेमेंट ज्यादा करना पड़ता है। इस तरह की जो बातें हैं, इनकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिये।

सरकार की यह नीति है कि वर्कर्ज को व्यवस्था में भागीदार बनाया जाये। यदि ऐसा किया जायेगा तो जितनी भी त्रुटियां हैं, वे सब दूर हो सकती हैं। मैनेजमेंट में वर्कर्ज भी भाग ले सकें, इसका प्रबन्ध आपको करना चाहिय।

स्टील वर्कर्ज के लिये वेज बोर्ड बना था। उसके कुछ महीने बाद इंटरिम रिलीफ की घोषणा की गई थी। वह दिया भी गया था। लेकिन लगभग चार हजार लोग ऐसे हैं जिन को आज भी इंटरिम रिलीफ नहीं मिला है। इसका कारण यह है कि उनकी वेतन दरें अभी तक निश्चित नहीं हो पाई हैं, रेट निश्चित नहीं हो पाया है। यह दफ्तर की गलती है। दफ्तर की गलती की वजह से मजदूरों को मुसीबत उठानी पड़े, यह जायज नहीं है। इसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

स्टील प्लान्ट्स में, भिलाई में प्रोडक्शन बोनस फैक्ट्री में काम करने वालों को मिलता है। इससे कुछ और लोग बच गये हैं जिनको मिलना चाहिये था। उस संबंध में बातचीत चल रही थी। बाकी जो लोग हैं, उनको भी यह प्रोडक्शन बोनस दिया जाये, ऐसा मेरा मिनिस्टर साहब से अनुरोध है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। वर्क चार्ज्ड लोगों को एग्रीमेंट होने के बावजूद भी माइंज में परमानेंट नहीं किया गया है। अनेमार सिस्टम जो है, इसको एबालिश करने की बात तय हुई थी। लेकिन अभी तक वह ज्यों का त्यों बना हुआ है। इस सिस्टम में यह होता है कि चाहे उनको जितने दिनों तक रख लिया जाये और चाहे जब निकाल दिया जाये। इस में जो दिक्कत होती है, वह आपसे छिपी हुई नहीं है। उनकी यह दिक्कत दूर होनी चाहिये।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्राइवेट के मुकाबले पब्लिक सैक्टर की कीमत बढ़े, उसको ज्यादा महत्व दिया जाये। वहां पर इस तरह की भी व्यवस्था हो कि जो काम करने वाले लोग हैं, उनको मैनेजमेंट में भागीदार बनाया जाये। जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे जिस तरह का भी वे धंधा करते हैं, माल सप्लाई करते हैं या जिन को तनख्वाह मिलती है, वे सब के सब

[श्री बाकलीवाल]

क्विक डिसिशंज लें, ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिये । अगर आपने ऐसा किया तभी इस तरह के उद्योग व्यापारिक संस्थायें मानी जा सकेंगी ।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी को जो सफलतायें उन्होंने दिखाई हैं, एक बार फिर उनके लिये बधाई देता हूं ।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : श्रीमान्, सन्तोष की बात है कि इस मंत्रालय के कार्य का भार श्री सुब्रह्मण्यम जैसे योग्य व्यक्ति के पास है। किन्तु मैं समझता हूं कि देश के औद्योगिक विकास और प्रतिरक्षा के लिये इस्पात के संबंध में योजना सुचारू रूप से नहीं बनाई गई। इस्पात पिंड का लक्ष्य तृतीय योजना में १ करोड़ टन और छठी योजना के अन्त तक संभवतः ५ करोड़ टन होगा । इससे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि हम में आत्मसन्तोष की भावना उत्पन्न हो रही है। यह भावना बहुत खतरनाक है । इस युग में अन्य देश लोहे और इस्पात के संबंध में तेजी से प्रगति कर रहे हैं, किन्तु अभी तक हमारे यहां सर्वेक्षण का कार्य भी ठीक प्रकार से नहीं किया गया । इसलिये मेरा सुझाव है कि इस कार्य में तीव्रता लाई जाये और चीनी आक्रमण को दृष्टि में रखते हुये योजना के निर्धारित आंकड़ों में परिवर्तन किया जाये।

गत युद्ध में अमरीका ने अपने लोहे के कुल उत्पादन का आधा युद्ध के कार्य में लगाया था। इससे पता चलता है कि इसका महत्व कितना है । हम यदि प्रतिरक्षा में आत्म-निर्भर होना चाहें तो हमें २० लाख टन लोहे की आवश्यकता होगी। किन्तु हमारा लक्ष्य तृतीय योजना के पूरे काल में कुल १ करोड़ टन है । इसलिये हमें चाहिये कि अपने लक्ष्यों के आंकड़ों में परिवर्तन करें और उन्हें प्राप्त करने के लिये सब दिशाओं में प्रयत्न करें ।

चीन की ही बात लीजिये । १९५७ में चीन में लोहे का उत्पादन ५३ लाख टन था। १९६० में यह १८४ लाख टन हो गया । यह वृद्धि ३५० प्रतिशत है। इन सब बातों को देखते हुये मंत्रालय को चाहिये कि हम इस कमी को दूर करने का प्रयत्न करें ।

रूरकेला के इस्पात संयंत्र के कार्य में कुछ कठिनाइयों का अनुभव हुआ था। उस पर यह कहा गया कि आरम्भ में ऐसी ही कठिनाइयां सामने आती हैं। किन्तु हमने यदि इस प्रकार के बहाने ढूंढने आरम्भ कर दिये तो हम कभी भी इस्पात के संबंध में आत्मनिर्भर नहीं हो सकेंगे । प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि प्रबन्ध कार्य दोषपूर्ण है और शक्तियों का भी विकेन्द्रीकरण किया गया है। इन सब कारणों से वहां के कार्य में हानि उठानी पड़ रही है। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्रालय भविष्य में योजना बनाते समय गम्भीरता से विचार करे। वर्तमान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये भी इस क्षेत्र में काफी मात्रा में रुपया लगाना होगा। पूंजी की समस्या अत्यन्त कठिन है । अमरीका ने बोकारो के संबंध में जो रुख अपनाया है उसे देखते हुये नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

[**डा० सरोजिनी महिषी** पीठासीन हुईं]

भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हमें ३६१ करोड़ रुपये तक का लोहा तैयार करना होगा । इस्पात के अभाव के कारण इंजीनियरिंग उद्योग में प्रगति नहीं हो रही। इसलिये विभिन्न क्षेत्रों में जल्दी से जल्दी कच्चे लोहे के संयंत्रों की स्थापना कर दी जानी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

किसी भी देश की समृद्धि और औद्योगिक प्रगति का माप उस देश का प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग है। किन्तु इस दिशा में हमारी प्रगति नगण्य है।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन से पता चलता है कि सरकारी कागज पत्रों में से १९४९ का घोष समिति का प्रतिवेदन और १९५४ का विदेशी निर्माताओं का प्रतिवेदन दोनों गायब हैं। इससे पता चलता है कि प्रबन्ध कार्य में कुछ गड़बड़ है। माननीय मंत्री को चाहिये कि इसकी जांच करें।

भोपाल और दूसरे क्षेत्रों में हैवी इलेक्ट्रिकल्स स्थापित करने का निर्णय किया गया था। इस संबंध में भी अभी अधिक प्रगति नहीं हुई है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स का २.६० करोड़ रुपये की लागत का उत्पादन होने का अनुमान था, किन्तु ३० मार्च, १९६३ तक कुल उत्पादन केवल १.७७ करोड़ रुपये का ही हुआ। १९६०–६१ में ४६ लाख और १९६१–६२ में १०६.७८ की हानि हुई।

इसके विषय में योजना विचारपूर्वक नहीं बनाई गई है। इससे उद्योग को काफी हानि हुई है। भोपाल में बनने वाले जेनेरेटर्स आदि बाहर से मंगाये जाने वाले सामान से महंगे होते हैं। सरकार ने इसके विषय में जो मूल्य नीति अपनाई है वह भी सन्तोषजनक नहीं है। इसलिये मूल्य ढांचे में परिवर्तन करने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें। विद्युत् परियोजनायें देश के विकास के लिये बहुत आवश्यक है। यदि हैवी इलेक्ट्रिकल्स के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई तो देश का विकास नहीं किया जा सकेगा। दुनियां की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये बाहर से हैवी इलेक्ट्रिकल्स का निर्यात करना हमेशा संभव नहीं हो सकेगा। इसलिये इस उद्योग का महत्व और भी बढ़ जाता है।

जब कि मैं इस उद्योग की कमियों पर आलोचना कर रहा हूं, तब मुझे इस बात का भी ज्ञान है कि इस देश में कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जिनका ध्येय ही समाजवादी समाज की रचना के मार्ग में रोड़े अटकाना है। यह शक्तियां कई दिशाओं में काम कर रही हैं। कुछ लोग स्वार्थवश, कुछ देश को विदेशी सत्ता को सौंपने के ध्येय से और कुछ बिना कुछ जाने बूझे ही इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुये और देश के बाहर हुये परिवर्तनों को देखते हुये मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस उद्योग के दोषों को शीघ्रातिशीघ्र दूर करें।

सीमेंट उद्योग का प्रतिरक्षा से, विशेषकर सामरिक महत्व के क्षेत्रों में, घनिष्ट संबंध है। इसमें हम लक्ष्य से २० लाख टन पीछे रह गये हैं। सीमेंट के उत्पादन का, इसका उत्पादन करने वाले यंत्रों से, निकट का संबंध है। इनके निर्माण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

अन्य यंत्रों के निर्माण में भी हम पीछे रह गये हैं। वस्त्र निर्माण संबंधी मशीनें बनाने का लक्ष्य ३१० करोड़ रुपये का था जबकि अभी तक कुल १४२ करोड़ रुपये की मशीनें ही बना पाये हैं।

उर्वरकों का उत्पादन भी पर्याप्त रूप से नहीं किया जा रहा। इसलिये मुझे आशा है कि मंत्रालय इस विषय में भी उचित कदम उठायेगा।

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। इस्पात और भारी उद्योगों का संक्षिप्त में उल्लेख करता हुआ मैं मुख्यतया सीमेंट उद्योग की चर्चा करुंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० चं० सेठी]

श्री रा० बरुआ ने अभी अभी सीमेंट की चर्चा की। मैं इस सम्बन्ध में कुछ बातें सभा के सम्मुख रखूंगा। इस्पात तथा भारी उद्योगों के उत्पादन में, जिन के बारे में यह मंत्रालय प्रभारी है, महत्वपूण वृद्धि हुई है। वर्ष १९६२ के औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचक लगभग १५० है जबकि वर्ष १९६१ का १३९ था। तृतीय योजना के लक्ष्यों के अनुसार अधिकतर भारी उद्योगों की अनुज्ञप्तियां दे दी गई हैं और औद्योगिक अनुज्ञप्तियां जारी करके इसे पहले ही पूरा किया जा चुका है। यह विभाग जारी किये गये लाइससों की अविलम्ब कार्यान्विति के लिये प्रयत्न कर रहा है; अतिरिक्त क्षमता के लिये भी प्रयत्न कर रहा है; अतः वर्तमान क्षमता को प्रयोग में लाने के लिये भी प्रयास हो रहे हैं।

इसलिये जहां तक भारी उद्योग भाग का सम्बन्ध है उत्पादन में वृद्धि के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार, यह भी सच है कि उद्योगों का स्वयं-प्रमाणित विकास काफी हद तक यंत्र निर्माण तथा औजारों सम्बन्धी उद्योगों के विकास पर निर्भर करता है जोकि पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन का आधार पक्का नहीं है इसलिये हमें यंत्र निर्माण तथा मशीनी औजार उद्योग की ओर ध्यान देना है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता का अनुभव होता है कि वष १९६२ में २०० करोड़ रुपये के यंत्र तथा मशीनी औजारों का निर्माण हुआ है।

इसी प्रकार इस्पात उद्योग में भी विकास हुआ है। राउरकेला में, जिसकी गति मंद थी, अब काफी उत्पादन होना आरम्भ हो गया है। दुर्गापुर में भी उत्पादन बढ़ा है और भिलाई में पहले ही स्थिति बेहतर थी। इसलिये इस्पात का उत्पादन जो पहले कम था अब बढ़ रहा है, और अक्तूबर, १९६२ से हम विकास की ओर अग्रसर हैं। कच्चे लोहे का उत्पादन जो वर्ष १९६१–६२ में ९९ लाख टन था अब बढ़ कर १०.७ लाख टन हो गया है। और इस्पात सिलों का उत्पादन ४२.७ लाख टन से बढ़ कर ५३.९ लाख टन हो गया है।

अब मैं सीमेंट की चर्चा करुंगा। जैसा कि सभा को विदित है देश के विकास तथा निर्माण में सीमेंट का महत्वपूर्ण स्थान है। सीमेंट उद्योग में लगभग ७० करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है और ३७,००० श्रमिक इस में काम करते हैं। स समय लगभग ३६ से ३७ कारखाने हैं और इन की अधिष्ठापित क्षमता लगभग ९९.९४ लाख टन है। सीमेंट उत्पादन में दिसम्बर, १९६२ से काफी वृद्धि हुई है। इस का मुख्य कारण सक्रिय वातावरण है जो आपात के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ, परन्तु साथ ही साथ हमें यह भी मानना पड़ेगा कि इस उद्योग में काम करने वालों ने प्रभावकारी प्रयास किये हैं और उत्पादन में वृद्धि उन के प्रयासों के फलस्वरूप भी हुई है। सीमेंट उद्योग के रास्ते में जो कठिनाइयां हैं वह बहुधा दूर हो चुकी हैं।

सीमेंट उद्योग कोयले का सब से बड़ा उपभोक्ता है क्योंकि यह ३७.२ लाख टन कोयले का उपभोग करता है जोकि कुल उत्पादन का आठवां भाग है। इस प्रकार यह उद्योग नारियल जटा के थैलों का काफी मात्रा में उपयोग करता है, जोकि कुल उत्पादन का छठा भाग है। इसलिये इस दृष्टि से सीमेंट उद्योग का काफी महत्व है। कोयले के अधिक उपभोग के लिये परिवहन सुविधाओं की भी आवश्यकता है। गत कुछ मासों में यह अनुभव हुआ है कि सीमेंट उद्योग के लिये कोयले का सम्भरण बढ़ गया है। वर्ष १९६१–६२ में कोयले के कम सम्भरण के कारण सीमेंट का उत्पादन नहीं बढ़ सका और ज्योंहि कोयले का सम्भरण बढ़ा सीमेंट का उत्पादन भी बढ़ गया।

इसी प्रकार, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि सीमेंट उद्योग को कोयले का सम्भरण केवल रेलवे द्वारा ही न हो बल्कि समुद्र तथा रेल मार्ग से भी हो, और इस प्रयोजनार्थ कोयले पर राज सहायता दी गई है ताकि समुद्र द्वारा परिवहन की दरें वही रहे जो रेलवे द्वारा परिवहन की हैं। इस के अतिरिक्त, हमने प्रयत्न किया है कि कुछ कारखाने कोयले की बजाय तेल से चले। तलैयाथुर कारखाना, ए सी सी जो द्वारिका में है, और रानावाव सीमेंट कारखाना यह तीनों अब तेल से चलते हैं और इसलिये उस सीमा तक कोयला सम्भरण स्थिति को राहत मिली है। इस तरह, मिट्टी के तेल के परिवहन पर भाड़े में रियायत दी गई है जिस के फलस्वरूप स्थिति में सुधार हुआ है।

कोयला सम्भरण के बारे में ही नहीं बल्कि तैयार माल के बारे में भी इस तरह प्रबन्ध किया गया है कि तैयार माल कारखानों से सम्बद्ध क्षेत्रों तक उचित प्रकार जा सके और रुकावट पैदा न हो। इस प्रयोजनार्थ सुविधायें उपलब्ध की गई हैं और यह प्रयत्न किया जा रहा है कि सीमेंट सड़क के साथ साथ समुद्र द्वारा भी ले जाया जाये।

सीमेंट उद्योग के लिये अन्य सुविधाओं के बारे में, विशेषतया विद्युत् के बारे में, राज्य सरकारों को कई बार कहा गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि इसे प्रथम प्राथमिकता दी जाये। कभी कभी जब सीमेंट कारखाने तैयार भी हो जाते हैं उन्हें समय पर विद्युत् नहीं दी जाती और इस कारण इन में उत्पादन नहीं हो सकता। इस प्रकार के मामले हमारे सामने आये, दो आंध्र प्रदेश में और एक मैसूर में। इसलिये हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि इस उद्योग को विद्युत देने में प्राथमिकता दी जाये।

इस के अतिरिक्त, हम ने सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देने का भी प्रयत्न किया है। वर्ष १९६२ तक समाप्त होने वाले तीन वर्षों में हमने मूल्यों में वृद्धि की है जो २.५० रुपये और ५.०० रुपये प्रति टन के बीच है।

केवल यही नहीं, हम ने उत्पादक को भी प्रोत्साहन दिया है। जहां तक श्रमिकों का सम्बन्ध है हम ने प्रयत्न किया है कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाय। सीमेंट उद्योग सम्बन्धी सिफारिशों के पहले भाग को कार्यान्वित किया जा चुका है; दूसरे भाग के बारे में कार्य-भार का अध्ययन किया जा रहा है। ज्योंहि यह अध्ययन पूरा हो जायेगा, इस भाग की सिफारिशों को भी कार्यान्वित कर दिया जायेगा। इस प्रकार हमने उत्पादकों और श्रमिकों दोनों को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया है।

इस के अलावा, हमने प्रयत्न किया है कि सीमेंट उद्योग के लिये आवश्यक संतुलन उपकरण उपलब्ध किये जाय। इस प्रयोजनार्थ २ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है और स्थिति में सुधार भी हुआ है। इस सभी प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान क्षमता के उपयोग में सुधार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि पूर्व के उत्पादन का १०७ प्रतिशत गत कुछ मासों में हम प्राप्त कर सके हैं, और वर्तमान उत्पादन प्रवृत्ति को बनाये रखा जायेगा, और यह उत्पादन की काफी अधिक दर है, फिर भी हम आशा कयते हैं कि जिस प्रकार उत्पादकों और श्रमिकों द्वारा इस उद्योग में दिलचस्पी ली जा रही है, हम अग्रेतर प्रगति करेंगे।

अतिरिक्त क्षमता के अधिष्ठापन सम्बन्धी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखने का प्रयत्न किया गया है। जब तृतीय योजना के लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे थे तो यह निर्णय किया गया था कि यह १५२ लाख टन हो। इस को दृष्टि में रखते हुए उत्पादन लगभग १३२ लाख टन होगा। यह वष १९६०–६१ में ८० लाख टन के आधार पर निर्धारित किया गया था, यह

[श्री प्र० चं० सेठी]

आशा करते हुए कि सम्भवतः प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत की वृद्धि होगी। बाद में यह महसूस किया गया कि निर्धारित लक्ष्य बहुत कम थे। आज हमें उस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में वर्ष १९५९–६० के मन्दी के काल में क्योंकि सीमेंट अधिक मात्रा में उपलब्ध था, उत्पादन की ओर ध्यान नहीं दिया गया और लगभग १८ मासों में अनुज्ञप्ति प्रदान करने की क्रिया भी कम हो गई। बाद में यह महसूस किया गया कि वह नीति ठीक नहीं थी और कि वास्तव में सीमेंट की मांग सम्भरण से अधिक थी। अब प्रतिरक्षा सम्बन्धी नई आवश्यकतायें भी सामने आई हैं। इसलिये हम लक्ष्यों में वृद्धि करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु वर्तमान कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए मैं नहीं समझता कि तृतीय योजना की कालावधि में हम १४० लाख टन से अधिक उत्पादन कर सकेंगे। साथ ही साथ, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि गत कुछ मासों में जो उत्पादन-वृद्धि हुई है उसे बनाये रखा जाय और नई क्षमता पैदा की जाय। इस प्रयोजनार्थ हम ने कई नये एककों के लाइसेंस दिये हैं। ९३ लाख टन के कुछ लाइसेंसों में से ४० लाख टन अब तक संयंत्रों अथवा संघटकों के लिये जारी किये गये आयात लाइसेंसों के भीतर आ जाता है, और हम आशा रखते हैं कि १४० लाख टन की क्षमता को प्राप्त किया जा सकेगा।

वर्तमान नीति के अनुसार सभी सीमेंट संयंत्रों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि हम देशीय यंत्रों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। जब तक हम वर्तमान लाइसेंसों का सम्बन्ध यंत्रों के देशीय उत्पादन से स्थापित नहीं करते तब तक देश में यंत्र निर्माण क्षमता को पैदा करना सम्भव नहीं होगा। परन्तु इस बारे में हमारा कट्टर दृष्टिकोण नहीं है। जिन मामलों में काम काफी आगे बढ़ चुका है उन में हम ने कुछ पुर्जों और मशीनरी तक के आयात की अनुमति दी है, जो कि प्रति एकक ४०–५० लाख रुपये तक है, ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसलिये इस बारे में हमारा दृष्टिकोण कट्टर नहीं है। साथ ही साथ, हम ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि देश में सीमेंट मशीन-निर्माण कार्यक्रम विकास कर सके। इसलिये, अन्ततः अनुज्ञप्तियों का सम्बन्ध स्थानीय मशीनरी से स्थापित करना पड़ेगा।

हम प्रयत्न कर रहे हैं कि कचरा सीमेंट का भी उत्पादन हो। इस प्रकार के सीमेंट का हमारा लक्ष्य २० लाख टन का है। भिलाई तथा दुर्गापुर में कचरे से सीमेंट तैयार करने सम्बन्धी प्रयास किये जा रहे हैं। राउरकेला में कुछ समय लगेगा क्योंकि इस के लिए निरीक्षण हो रहा है। भद्रावती में मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स तथा चैलासा में जमशेदपुर कचरे से सीमेंट तैयार किया जा रहा है। लगभग १९०००० टन कचरा सीमेंट का उत्पादन हो रहा है। परन्तु हम चाहते हैं कि कचरा सीमेंट की पूर्ण क्षमता का पूरा पूरा उपयोग हो ताकि इस का उत्पादन बढ़े।

क्योंकि वास्तविक मांग लगभग ९२.५ लाख टन की है और उत्पादन लगभग ८२.८ लाख टन है अतः १० लाख टन का अन्तर है जिस कारण मांग को बढ़ाचढ़ा कर दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। इसलिए हमारे पास जो मांग आती है वह भी वास्तविक मांग से अधिक होती है। साथ ही साथ यह भी मानी हुई बात है कि सीमेंट की कमी है जिस के परिणामस्वरूप वितरण में कठिनाई होगी। परन्तु हम प्रयत्न कर रहे हैं कि सीमेंट का वितरण समान आधार से हो और इस प्रयोजनार्थ विभिन्न बातों का ख्याल रखा जा रहा है।

हाल ही में सीमेंट के गुण पर नियंत्रण के सम्बन्ध में हमने वर्ष १९६२ में अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया ताकि सीमेंट के अपमिश्रण के बारे में जो शिकायतें आयें उन्हें दूर किया जा सके।

इन सब प्रयासों के बावजूद भी सीमेंट सम्बन्धी समस्या बनी रहेगी । इसलिए वितरण तथा अन्य बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ।

†**श्री टे० सुब्रह्मण्यम्** (बेल्लारि) : देश में इस्पात की मांग बढ़ रही है । हमें सूचित किया गया है कि वार्षिक मांग ५१ लाख टन की है जबकि देशीय उत्पादन केवल ४० लाख टन है । मैं नहीं समझता कि तृतीय योजना के निर्धारित लक्ष्य इस कालावधि में प्राप्त किये जा सकेंगे । हमारे तीनों इस्पात संयंत्रों में अब उत्पादन में वृद्धि हो रही है अतः यह प्रसन्नता का विषय है । विस्तार सम्बन्धी कुछ कदम भी उठाये गये हैं । पश्चिम जर्मनी की मंत्रिमण्डल समिति ने राउरकेला के विस्तार के लिए सहायता की मंजूरी दे दी है ।

मैसूर आयरन एन्ड स्टील लिमिटेड में द्वितीय योजना में १००,००० टन का उत्पादन होना था परन्तु कुछ कारणों से इतना उत्पादन नहीं हो सका । मंत्री महोदय ने सुझाव दिया कि इस समस्त संयंत्र को विशेष इस्पात निर्माण करने योग्य बना दिया जाय ताकि यह अन्त में ८०,००० टन तैयार इस्पात का निर्माण कर सके । हमारे देश में विशेष तथा मिश्रित इस्पात का प्रयोग और मांग बढ़ रही है जिस का निर्माण हम केवल २४,००० टन तक कर रहे हैं । चतुर्थ योजना में इस की मांग और बढ़ने जा रही है । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय अपने सुझाव को अवश्य और अविलम्ब कार्यान्वित करें ।

आज समाचारपत्र में है कि अमरीकन राजदूत ने बताया है कि उन अमरीकन इंजीनियरों द्वारा बोकारो में एक कुशल और कम लागत वाला संयंत्र तैयार किया जा सकता है । मुझे आशा है कि इस को अविलम्ब कार्य रूप दिया जायगा ।

बेलारी जिले में कच्चे लोहे के २०,००० लाख टन के निक्षेप पाये जाते हैं । हमारे देश के कुल निक्षेप २५०,००० लाख टन के हैं और कुल संसार के निक्षेप ८५०,००० लाख टन के हैं । इसलिये हमारे देश की स्थिति कच्चे लोहे के बारे में काफी अच्छी है । और हमारे देश में उस क्षेत्र में काफी निक्षेप पाये जाते हैं । इसलिए कच्चे लोहे का संयंत्र इसी जिले में स्थापित किया जाना चाहिए । बेलारी क्षेत्र में १० लाख टन का एक संयंत्र स्थापित किया जाना चाहिये जिस की क्षमता बाद में ३० अथवा ४० लाख टन तक बढ़ाई जा सके ।

इस्पात के वितरण के बारे में लोहा तथा इस्पात नियंत्रक कलकत्ता के पास बहुत काम है परन्तु वहां पर प्रशासनिक प्रक्रिया समुचित और पर्याप्त नहीं है । इस असन्तोषजनक स्थिति के बारे में कुछ कदम उठाये जाने चाहियें । कई छोटे उद्योगों द्वारा लोहा तथा इस्पात सम्भरण व्यवस्था के बारे में शिकायत की गई है । सहकारी क्षेत्र द्वारा भी शिकायत की गई है । मेरा सुझाव है कि उन्हीं को लोहा तथा इस्पात का स्कन्धकारी बना दिया जाये ।

भारी मशीन निर्माण परियोजनाओं की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इन के बगैर हमारा उद्योग का आधार पूरा नहीं होगा । हमें अपने संयंत्रों सम्बन्धी नक्शे स्वयं तैयार करने चाहिएं और उन के अधिष्ठापन सम्बन्धी सभी कार्य हमारे तकनीकियों द्वारा किया जाना चाहिये । रांची में स्थापित किया जाने वाला संयंत्र भारी मशीनरी का निर्माण करेगा । इस से हमारी अर्थ स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा ।

---

†मल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन

†**सभापति महोदय** : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य को लेंगे ।

†**श्री अन्सार हरवानी** (बिसौली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से जो १० अप्रैल १९६३ को सभा में उपस्थापित की गई थी सहमत है ।"

†**सभापति महोदय** : मैं इसे सभा के मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से जो १० अप्रैल १९६३ को सभा में उपस्थापित की गई थी सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्षेत्रों के विकास में विषमता के बारे में संकल्प

†**सभापति महोदय** : अब श्री प्रताप केशरी देव द्वारा १५ मार्च १९६३ को पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प पर अग्रेतर विचार होगा :—

"यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में विषमता के प्रश्न की जांच करने और इस प्रकार की बढ़ती हुई विषमता को कम करने के मार्गोपायों का सुझाव देने के लिए संसद् की दोनों सभाओं के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाये ।"

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोर) : मेरा सुझाव है कि इस संकल्प के लिये एक घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाय ।

†**सभापति महोदय** : इस संकल्प पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय आवंटित किया गया था जिस में से २९ मिनट लिये जा चुके हैं और ३१ मिनट शेष हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं सुझाव देता हूं कि एक घंटे का अतिरिक्त समय नियत किया जाय ।

†**सभापति महोदय** : श्री माथुर प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस संकल्प के लिये आवंटित समय को एक घंटे तक बढ़ा दिया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): प्रादेशिक विषमता का प्रश्न योजना पर चर्चा के समय लिया जा सकता है। इसलिए इस का समय केवल आधे घंटे तक बढ़ाया जाय और अन्य संकल्प के लिये अधिक समय आवंटित किया जाय . . . (**अन्तर्बाधाएं**)

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : सभापति महोदय उस दिन सभा की यही राय थी वरना इस पर चर्चा को उसी दिन समाप्त कर दिया जाता। अब मुझे कुछ कहना है और मंत्री ने उत्तर भी देना है।

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : उत्तर के लिये मैं २५–३० मिनट लूंगा।

श्री प्रभात कार (हुगली) : यदि इस संकल्प के लिये समय बढ़ाया जाता है तो दूसरे संकल्प को पेश करने के लिये समय नहीं रहेगा।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** (कोप्पल) : उस दिशा में मुझे अभी संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय। उस के पश्चात् यदि आप चाहें तो समय बढ़ा सकते हैं।

†**सभापति महोदय** : दूसरे संकल्प को लेने से पूर्व पहला संकल्प निबटाया जाना चाहिये। मैं अब श्री माथुर का प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि इस संकल्प के लिये नियत समय को एक घंटे तक बढ़ा दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं अनुरोध करता हूं कि मंत्री महोदय हमें सूचित करें कि प्रादेशिक विषमता को कम करने की दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं और उन के परिणाम क्या निकले हैं। मैं आंकड़े दे कर साबित करूंगा कि प्रादेशिक विषमता बढ़ी है कम नहीं हुई। पिछड़े हुए क्षेत्र और दुर्बल हो रहे हैं और प्रगतिशील क्षेत्रों का विकास हो रहा है। मैं राजस्थान सम्बन्धी तथ्यों का उल्लेख कर इस बात को साबित करूंगा।

राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय देश की आय से कम है परन्तु वहां पर प्रति व्यक्ति कर का बोझा देश के अन्य भागों से तुलनात्मक दृष्टि से अधिक है।

राजस्थान में द्वितीय योजना के अन्त तक केवल १५० शहरों और ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ जबकि मद्रास में १०,००० ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ। पंजाब में ३००० से अधिक ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ है। अब आप देखिये कि इस अन्तर को कम करने की दृष्टि से हम तृतीय योजना में क्या कर रहे हैं। यदि तृतीय योजना आशाओं के अनुसार कार्यान्वित हो भी जाय तब भी राजस्थान में ७५ ग्रामों और शहरों का प्रति वर्ष विद्युतीकरण होगा परन्तु मद्रास में १००० का और पंजाब में ३०० से ४०० का। इस के फलस्वरूप विषमता और भी बढ़ेगी।

सड़कों के लिए राजस्थान में तृतीय योजना काल के लिए १३ करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। इस योजना के पहले ही दो वर्षों में केवल ३ करोड़ तक के साधन प्राप्त हुए और तीसरे वर्ष में यह घट कर १.३ करोड़ रह गये हैं। यह अत्यन्त आश्चर्यजनक बात है। अन्य राज्यों में हम इस

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

क्षेत्र में विकास कर रहे हैं परन्तु राजस्थान में स्थिति के सुधार के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। योजना के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार भी कार्य नहीं हो रहा है।

राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में भी स्थिति इतनी ही शोचनीय है। कृषि और सिंचाई सम्बन्धी अत्यधिक राशि केवल गंगानगर और कोटा दो ही जिलों में व्यय की जा रही है क्योंकि वहां पर राजस्थान नहर और चम्बल परियोजन है। अन्य २४ जिलों को अवहेलना की जा रही है। राज्य के अन्दर ही विषमता के उदाहरण इस प्रकार मिलते हैं। यह सब राजनीतिक प्रभाव के फलस्वरूप हो रहा है।

अब में आप के सामने कुछ सुझाव रखूंगा। योजना मंत्री के स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से अपने दृष्टिकोण का पुनरीक्षण करना होगा। सब से पहली बात यह है कि योजना राज्यों के संसाधनों के आधार पर तैयार न की जाय। योजना और योजना में आवंटन सम्बद्ध राज्य अथवा क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए न कि इस आधार पर कि उक्त राज्य के संसाधन कम हैं। यदि आप इस बात को आधार नहीं मानेंगे तो विषमता कभी दूर नहीं होगी। राजस्थान के संसाधनों और क्षमताओं को सामने लाने के लिये आप को राजस्थान की सहायता करनी पड़ेगी।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि प्रादेशिक विषमता पर विचार करते समय हमें राज्य की सीमाओं को भूल जाना चाहिए। राष्ट्रीय परियोजनाओं और बड़ी परियोजनाओं को आर्थिक दृष्टि से ही देखना चाहिये। छोटी सिंचाई योजनाओं, छोटे उद्योगों तथा विद्युत् और सड़कों के विकास से ही प्रादेशिक विषमता का अन्त हो सकता है। बड़ी परियोजनाओं के लिये आधार आर्थिक हो परन्तु छोटी परियोजनाओं के लिये पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाय। जितना पिछड़ा क्षेत्र हो उतने ही अधिक संसाधन उस के लिये जुटाये जाने चाहिएं। पिछड़े क्षेत्रों की, जहां तक छोटी योजनाओं का सम्बन्ध है, राज्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता की जानी चाहिए।

यदि यह मेरे तीन सुझाव स्वीकार कर लिये जायें तो प्रादेशिक विषमता अवश्य कम होगी।

†**श्री पें० वेंकटा सुब्बया** (अडोनी) : अपने उद्देश्यों के अनुसार हमें इस बात का ध्यान रखना है कि देश के सभी भाग औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में समान रूप से विकास करें।

जब भी दक्षिण की बात की जाती है तो मद्रास राज्य की ही चर्चा होती है। निस्संदेह मद्रास राज्य सभी पहलुओं में विकास कर रहा है। परन्तु दक्षिण के अन्य राज्यों, जैसे आंध्र, केरल और मैसूर की ओर भी केन्द्र द्वारा उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। केवल मद्रास के विकास की ओर ही नहीं बल्कि दक्षिण के सभी राज्यों में समान विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अमेरा राज्य मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है और ९० प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है। वहां करोड़ों रुपया भूमि पर खर्च किया गया है। नागार्जुनसागर परियोजना की कल्पना से पूर्व भी आंध्र कृषि की दृष्टि से आत्मनिर्भर था। अतः हम चाहते थे कि राज्य का औद्योगिक विकास भी किया जाये।

औद्योगिक विकास के लिए बिजली की आवश्यकता है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमें उत्तर दिया जाता है कि नागार्जुनसागर पर १४० करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। आंध्र भी

खनिज पदार्थों की दृष्टि से सम्पन्न है किन्तु उस के औद्योगिक विकास के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया। औद्योगिक और कृषि सम्बन्धी विकास की दृष्टि से सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार होना चाहिये ताकि कहीं कोई जगह पिछड़ी हुई न रह जाये।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : में भी श्री वेंकटासुब्बया की बात का समर्थन करता हूं कि असमानता को दूर करना चाहिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इस समानता की मुख्य कसौटी यह होनी चाहिये कि प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति निवेश और प्रति व्यक्ति आय कितनी है और राज्य के वित्तीय, कच्चे माल, शिक्षित जनशक्ति और तकनीकी जनशक्ति सम्बन्धी संसाधन कैसे हैं।

केरल में हम जल-विद्युत् के लिए मांग कर रहे हैं किन्तु अब तो यह स्थिति है वहां के वर्तमान उद्योगों की रक्षा के लाले पड़ गये है। १० लाख लोग नारियल जटा उद्योग पर निर्भर करते रहे है और अब वह उद्योग ठप हो रहा है। विदेश में उस की मांग नहीं रही और यूरोप के निर्यात लाभ उठा रहे हैं। पता नहीं इस उद्योग को पुनः जीवित करने के लिए क्या किया जा रहा है।

टाइल और ईंट का उद्योग भी ठप्प हो गया है जिसे राष्ट्रमंडलीय कम्पनियों ने आरम्भ किया था। इस में भी बहुत से लोगों को रोजगार मिला हुआ था।

वस्त्र उद्योग और अन्य उद्योगों का भी यही हाल है। हजारों श्रमिक बेरोजगार हैं। हम जब भी इस बारे में कहते है माननीय मंत्री कोई न कोई वचन दे देते हैं।

जहाज़ बनाने के कारखाने का वचन दिया गया था कि उस में ६००० से १०,००० तक श्रमिकों को रोज़गार दिया जायेगा किन्तु उस योजना का कुछ नहीं हुआ। वहां एक सरकारी प्रेस की स्थापना का वचन भी दिया गया था किन्तु उसके लिए अर्जित भूमि में गीदड़ रहते है और इस पर लगाई गई पूंजी से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा।

सिंचाई, विद्युत, बाढ़ नियंत्रण आदि कार्यक्रमों में भी केरल सर्वथा उपेक्षित है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

†**श्री रामेश्वर राव** (गढ़वाल) : प्रधान मंत्री, योजना मंत्री और अर्थ-शास्त्रियों ने अनेक बार यह कहा है कि विकसित देश अधिक विकसित होते जा रहे है और अर्द्ध विकसित देश दरिद्र होते जा रहे हैं। वही हाल किसी देश के भीतर प्रदेशों का है।

योजना का तो उद्देश्य ही यही है कि असंतुलित विकास न हो और कृषि, उद्योग, भारी उद्योग और छोटे उद्योग, ग्रामीण उद्योग और शहरी उद्योग विकसित प्रदेश और अर्द्ध विकसित प्रदेशों में संतुलन स्थापित हो। किन्तु यह संतुलन स्थापित नहीं किया गया। केवल पंजाब ही ऐसा राज्य है जो अर्द्ध-विकसित था किन्तु जहां विकास हुआ है।

अमरीका में भी उत्तर अमरीका का इतना विकास हुआ कि वह देश संसार का सब से समृद्ध राज्य बन गया किन्तु दक्षिण अमरीका पिछड़ा रहा। इस देश का विकास वैसा नहीं होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री रामेश्वर राव]

योजना आयोग के सदस्य और योजना मंत्री कहते हैं कि विकास के प्रारम्भिक काल में जहां कहीं कच्चा माल संचार के साधन उपलब्ध होते हैं वहीं उद्योगों का विकास संभव होता है। किन्तु सरकारी उद्योग और योजना का अभिप्राय तो यही होता है कि विभिन्न प्रदेशों में संतुलन पैदा किया जाये। अतः पहली तीन योजनाओं में चाहे कुछ भी हुआ है अब चतुर्थ योजना में प्रादेशिक असंतुलन को समाप्त कर देना चाहिये अन्यथा अनेक प्रकार की राजनैतिक और आर्थिक जटिलताएं उपस्थित हो जायेंगी। आशा है चौथी योजना में हमें यह शिकायत नहीं रहेगी।

†**श्री महेश्वर नायक** (मयूरभंज) : में इस संकल्प से तो सहमत हूं किन्तु इस के इस उपबन्ध से सहमत नहीं कि प्रदेशों के विकास में असंतुलन की जांच के लिए संसदीय समिति बनानी चाहिये। मेरा मत है कि योजना आयोग में ही एक एकक होना चाहिये जो इस प्रश्न की जांच देश का स्वयं भ्रमण कर के करे।

मेरा जिला मयूरभंज कृषि प्रधान है किन्तु वहां काफी खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं और उसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। किन्तु उद्योग मंत्री कहते हैं कि परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण उद्योग स्थापित नहीं हो सकते जबकि परिवहन मंत्री कहते हैं कि उद्योगों के अभाव के कारण परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जा सकती। इस प्रकार हमें इस कठिनाई को अनुभव करना पड़ रहा है।

मेरे राज्य में राजा के दिनों में जो उद्योग थे वे भी ठप्प होते जा रहे हैं अतः मंत्रालय से निवेदन है कि वे वहां औद्योगिक विकास की ओर ध्यान दें।

जिस प्रकार कांडला पत्तन को सीमा शुल्क से मुक्त किया गया है ताकि उस प्रदेश का औद्योगिक विकास हो उसी प्रकार प्रदीप को स्वतंत्र पत्तन बनाना चाहिये।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : संकल्प का मुख्य विचार यह है कि विभिन्न प्रदेशों के विकास में असंतुलन न हो। संकल्प में प्रदेश जान बूझ कर रखा गया है जिसका अभिप्राय है कि देश के समाजवादी विकास के लिए सारे देश में समान विकास होना चाहिये। अतः देश का विभाजन राज्यों में नहीं प्रत्युत विकसित और अविकसित प्रदेशों में होना चाहिये ताकि सब को धन और समृद्धि के समान अवसर प्राप्त हों।

महाराष्ट्र में महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और कोंकन के प्रदेश हैं और यद्यपि महाराष्ट्र प्रगतिशील राज्य है किन्तु मराठवाड़ा और विदर्भ की उपेक्षा कर के वहां एक प्रदेश का अधिक विकास हुआ है।

योजना आयोग को ही किसी राज्य के भीतर के राज्यों के विकास की भी योजनायें बनानी चाहियें।

कृष्णा, गोदावरी के जल सम्बन्धी विवाद के सम्बन्ध में मुझे इतना कहना है कि सभी सहायक नदियां विदर्भ में से गुजरती हैं जब कि विदर्भ की सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। विदर्भ के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिये। विदर्भ में वेन गंगा की सिंचाई योजना बनाई गई थी किन्तु न जाने उसे क्यों समाप्त कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना आयोग को स्वयं सभी प्रदेशों में सामाजिक स्तर का समान वितरण करना चाहिये ।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगँज) : उपाध्यक्ष महोदय, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है कि जब से देश को स्वतँत्रता मिली है तब से हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ गयी है ।

आज डिसकशन रीजनल डिसपैरिटीज पर हो रहा है । इस समय कोई मद्रास की बात करता है, कोई केरल की, कोई मैसूर की बात करता है । मगर मैं आपको उस प्रदेश की बात बताऊँगा जो आज भी नँगा और भूखा है । वह पूर्वी उत्तर प्रदेश है । उत्तर प्रदेश में १२—१४ जिले ऐसे हैं जो अब भी बहुत गरीब हैं और जहां के लोग एक वक्त या आधा पेट भोजन करके जिन्दा रहते हैं । अभी हाल में जब भूख से मुक्ति सप्ताह मनाया गया तो राष्ट्रपति ने भी कहा था कि हमारे देश में १० से १५ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो एक वक्त या आधा पेट खा कर रह रहे हैं । जब कि देश की नेशनल इनकम ३२७.३ रुपय पर हैड बतायी जाती है, वहां अब भी ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी पांच आना रोज पड़ती है, और ऐसे आदमी हैं जिन को दो आने ही मजदूरी मिलती है और कहीं कहीं उस दो आने में एक आना नकद मिलता है और एक आना के बजाये एक लोटा शरबत पीने को मिलता है । हलवाही के लिये तीन पांव सांवा दिया जाता है । और ये लोग जिनको एक वक्त भोजन मिलता है ये शीरा महुआ या आम की गुठली या बरगद खा कर जिन्दा रह रहे हैं । इस इलाके की आबादी पर सक्वेयर मील ११०० से अधिक है । जमीन इतनी कम है कि वे खेतिहर भी नहीं हैं । हमारे आजमगढ़ जिले में २५ लाख आबादी में से आठ लाख ऐसे हैं जो भूमि हीन मजदूर हैं । उनको मजदूरी भी नहीं मिलती। अगर आप कानपुर या कलकत्ता या बम्बई में जायें तो आपको इस इलाके के लोग मजदूरी करते, कारखानों में काम करते और रिक्शा खींचते मिलेंगे । खेती के लिये सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है । ट्यूब वैल हैं तो उनकी सिंचाई की दर बहुत ज्यादा है । साढ़े तीन आना पर यूनिट उसका चार्ज है जबकि और जगहों पर उसका १४ नये पैसे ही चार्ज है । मेरी प्रार्थना है कि जो डिसपैरिटी एक राज्य के भिन्न भिन्न भागों में है उसकी ओर प्लानिंग कमीशन को ध्यान देना आवश्यक है । इस इलाके के गरीब लोग १५ वर्ष स्वतँत्रता मिलने के बाद भी आज नँगे भूखे रह रहे हैं, उनके पास मकान नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, पैर में जूता नहीं । वे लोग यह महसूस नहीं कर सकते कि हम भी एक स्वतँत्र देश के नागरिक हैं और हमें भी जिन्दा रहने का हक है ।

वहां खेती इँटेंसिव होती है मगर लोगों में गरीबी इतनी है कि वे फरटीलाइजर नहीं खरीद सकते । सिंचाई की रेट्स इतनी ज्यादा हैं कि वे उसे नहीं दे सकते । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि प्लानिंग कमीशन इस ओर ध्यान दे कि वहां सस्ते से सस्ती सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हों, खाद सबसीडाइज्ड बेसिस पर मिले और समय पर पानी मिले ।

वहां बाढ़ की भी समस्या है । कई जिले हर साल बाढ़ से डूब जाते हैं । उनको बाढ़ से बचाना आवश्यक है ।

रेहन्द डैम से उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों को बिजली मिलने वाली थी । लेकिन उसमें से ५३ हजार किलोवाट दे दी एल्यूमीनियम कारखाने को, ४० हजार किलोवाट दे दी रेलवे को, १२ हजार किलोवाट दे दी सीमेंट फैक्टरीज़ को । लेकिन किसानों को अपनी खेती को इँडस्ट्रियलाइज करने के लिये और छोटे मोटे उद्योगों के लिये बिजली नहीं दी गयी । मेरी प्रार्थना है कि उनको सस्ती बिजली उपलब्ध की जानी चाहिये ।

दूसरा सवाल स्माल स्केल इँडस्ट्रीज का है । है । प्रधान मँत्री ने कहा है कि बड़े उद्योगों से देश में सुधार नहीं हो सकता । इसलिये छोटी इँडस्ट्रीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये । मेरी प्रार्थना है कि इस तरफ ध्यान दिया जाये ।

[श्री विश्राम प्रसाद]

एक बात और है। वह सड़कों और रेलवे के बारे में है। इन जिलों के अन्दर इतनी सड़कें नहीं हैं कि हर जगह पहुँचा जा सके और रेल का......

उपाध्यक्ष महोदय : रेलवे पर डिसकशन हो चुका और प्लानिंग कमीशन पर हो रहा है। अब आप समाप्त कीजिये।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : इस संकल्प का उद्देश्य तो अच्छा है किन्तु यह बहुत अस्पष्ट है। क्या प्रदेश का यह अभिप्राय है जिसे गृह-कार्य मंत्रालय मानता है कि देश के पूर्वी, दक्षिण आदि प्रदेश हैं। यदि ऐसा माना जाये तो महाराष्ट्र-मैसूर और केरल-मैसूर का विवाद नहीं रह जाता। संकल्प पारित होने पर भी इस अस्पष्टता के कारण कठिनाई रहेगी।

असमानता नहीं रहनी चाहिये, यह तो ठीक है किन्तु दृष्टिकोण राष्ट्रीय रहना चाहिये और अन्य विचारों को महत्व नहीं देना चाहिये। तेल शोधक कारखानों के लिये स्थान निर्धारित करने वाली समिति ने सिफारिश की थी कि प्राथमिकता की दृष्टि से कलकत्ता बरौनी और गौहाटी में कारखाने स्थापित किये जायें। किन्तु असम सरकार के अनुरोध पर पहले नूनमटी में तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया और कलकत्ता की उपेक्षा कर दी गई जिसके संबंध में प्राक्कलन समिति का कथन है कि कलकत्ता की बजाय नूनमाटी में कारखाना स्थापित करने से ६० लाख रुपये का अधिक खर्च हुआ है और प्रति वर्ष ९० लाख रुपये की हानि होगी। बरौनी में कारखाना स्थापित करने से भी २.१७ करोड़ रुपये की हानि हुई है। अतः समिति का मत है कि स्थान निर्धारित करते समय केवल तकनीकी दृष्टिकोण को समक्ष रखना चाहिये।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : पहली दो योजनाओं से पता लगता है कि विकसित प्रदेश अधिक विकसित और अविकसित प्रदेश पिछड़ रहे हैं।

औद्योगिक उत्पादन को लीजिये। सारे देश में ३४.९४ प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि आंध्र में केवल ७.४५ प्रतिशत वृद्धि हुई है यद्यपि वहां खनिज पदार्थ भी हैं और लोग भी कर्मशील हैं।

मैसूर के मलयड और हिमाचल प्रदेश के किन्नार प्रदेशों में विकास की काफी गुंजाइश है। वहां खुश्क फल का उत्पादन बढ़ाने से हम काफी विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि पिछड़े प्रदेशों के विकास की ओर ध्यान दिया जाये।

†**श्री वे० रा० पट्टाभिरामन** : आपके आदेशानुसार कम समय में मैं सदस्यों द्वारा कही गई विभिन्न बातों को लूंगा। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नों और गैर सरकारी संकल्पों में प्रदेशों के सन्तुलित विकास की नीति में अभिरुचि दिखाई गयी है। योजना आयोग ने इस नीति को स्वीकार किया है और एक के बाद दूसरी योजना में विभिन्न उपायों द्वारा इस नीति को कार्यान्वित किया गया है।

मैं राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा उल्लिखित खंडों के विकास के स्तर के बारे में वास्तविक स्थिति बताऊँगा।

इस विषय में योजना आयोग के दृष्टिकोण का पता उसके राज्य योजना विभागों के नाम ४ अगस्त, १९६२ के पत्र से पता चलता है जिसमें राज्य सरकारों से कुछ संकेतों के आधार पर विभिन्न प्रदेशों के विकास के बारे में जानकारी देने के लिये कहा गया है। जब तक राज्य उन

†मूल अंग्रेजी में

प्रदेशों के बारे में और उनमें शीघ्र विकास के लिये किये उपायों के बारे में जानकारी में योजना आयोग दखल नहीं दे सकता जो जानकारी मिली है वह विश्वसनीय आधार पर नहीं है और उसे विश्वसनीय आधार पर आधारित करने के लिये राज्यों से पत्र व्यवहार हो रहा है। नौ राज्यों ने अविकसित प्रदेशों के बारे में जानकारी नहीं दी। जिन छै राज्यों से जानकारी मिली है वह भी निश्चित नहीं है। हमने उन्हें और सँकेत दिये हैं। आवश्यकता यह है कि यह पता लगे कि कौन से प्रदेश में विकास का कैसा स्तर है और कौन कौन से ऐसे प्रदेश हैं। अतः समिति नियुक्त करने का कोई उपयोग नहीं। यह नहीं कहा जा सकता कि योजना आयोग ने प्रादेशिक समानता को समाप्त करने के लिये कुछ नहीं किया।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास के बारे में एक प्रश्न पर मैंने २५ फरवरी, १९६३ को उत्तर दिया था कि एक सँयुक्त अध्ययन दल का प्रतिवेदन सितम्बर में मिलने की आशा है। इससे पता लगेगा कि राज्यों के अन्दर प्रदेशों की विकास सँबँधी असमानता कैसे दूर की जा सकती है। इस से सारे राज्य का विकास भी बढ़ेगा।

१९५०-५१ में आयोजित आर्थिक विकास के आरम्भ से योजना आयोग और भारत सरकार प्रादेशिक असमानताओं को दूर करने के लिए उपलब्ध संसाधनों और विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए प्रयत्न करते रहे हैं "इकानामिक डिवेलेपमेंट इन डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया" (भारत के विभिन्न प्रदेशों में आर्थिक विकास) नाम पत्रिका में योजना आयोग का कथन है कि तीसरी योजना में देश के सभी भागों में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य संथाओं, जैसे पीने का पानी, विकास खण्ड, छोटे उद्योग के सम्भरण में समान विकास करने का उपबन्ध किया गया है। राज्यों की योजनाओं में इन का उल्लेख है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण को समक्ष रखा गया है। पत्रिका में यह भी लिखा है कि राज्य के विभिन्न कार्यों द्वारा राज्य जिला खण्ड और गांव का विकास राष्ट्रीय लक्ष्य पर आधारित है और इस से विभिन्न भागों में जीविका आय और उत्पादकता को भी बढ़ाना है।

अब मैं सामान्य दृष्टिकोण का उल्लेख करूंगा। आयोजित विकास के मुख्य पहलू ये हैं: देश के विभिन्न भागों का संतुलित विकास, कम विकसित क्षेत्रों को आर्थिक प्रगति के लाभ पहुंचाना और उद्योगों का फैलाना। पंचवर्षीय योजनाएं इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हैं। राष्ट्रीय और प्रादेशिक विकास में संतुलन पैदा करने के लिए अर्थव्यवस्था का विस्तार और प्रगति आवश्यक है। ऐसे संतुलन के लिए आरम्भिक अवस्थाओं में कुछ कठिनाइयां आती हैं। चूंकि संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए लाभ इस में है कि अर्थ-व्यवस्था में उन्हें उन स्थानों पर लगाया जाये जहां आय अच्छी हो। विकास के साथ साथ, विनियोग बड़े क्षेत्रों में किया जा सकता है और संसाधनों का उपयोग अधिक स्थानों पर किया जा सकता हे, जिस से कि लाभ भी वितरित हो सके। विकास के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय में अधिकतम वृद्धि हो और अग्रेतर विनियोग के लिए संसाधन ढूंढे जायें।

मुझे हर्ष है कि श्री रामेश्वर राव ने श्री रास्टोव का उद्धरण दिया है और अमरीका उदाहरण का उल्लेख किया है। अमेरिका के दक्षिणी भाग के कुछ क्षेत्र अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं।

राष्ट्रीय आय बढ़ाने और विभिन्न भागों के संतुलित विकास के दो उद्देश्य एक दूसरे से संबंधित हैं और शनैः शनैः ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती हैं जिन में प्रत्येक खण्ड के संसाधनों का पूरा उपयोग किया जा सके। यह माना गया है विभिन्न खण्डों में विकास एक ही नमूने का नहीं हो सकता। उदाहरणतया प्रत्येक खण्ड में बड़े पैमाने के, विशेषकर बुनियादी और भारी उद्योगों के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं होतीं। इन उद्योगों के अतिरिक्त, निर्यात की संभाव्यता वाले

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन]

उद्योग भी हैं। प्रत्येक खण्ड को वे उद्योग विकसित करने चाहियें जोकि वहां पाई जाने वाली परिस्थितियों के अनुकूल हैं और जिन के लिए वह अधिक सुविधायें दे सकता हो।

राज्यों की योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न खंडों में कृषि उत्पादन, सामुदायिक विकास, सिंचाई साधन विकास आदि के द्वारा बुनियादी सुविधायें और सेवायें दी जाती हैं। आंध्र प्रदेश के सदस्य जानना चाहते थे कि राज्यों की दूसरी योजनाओं के अन्तर्गत व्यय का बड़ा भाग सिंचाई और बिजली तथा नदी घाटी परियोजनाओं भाखड़ा-नंगल, कोसी, चम्बल, रिहंद, कोयना, नागार्जुनसागर आदि के बारे में था। यह याद रखना चाहिए कि इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं के व्यय से न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ी है, बल्कि कमी वाले पिछड़े हुए क्षेत्रों को भी लाभ पहुंचता है। विशेष खंडों में कमी वाले क्षेत्रों में ४० करोड़ रुपये का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

†**श्री पें० वेंकटा सुब्बया** : कमी वाले क्षेत्रों को विशेष रूप से कितना रुपया दिया गया है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : विभिन्न राज्यों के कम विकसित क्षेत्रों में, जैसाकि विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले, उत्तर प्रदेश के और पंजाब के पहाड़ी जिलों के लिए राज्यों की योजनाओं में विशेष आवंटन किये गये हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना में आवश्यक प्रविधिक और आर्थिक कसौटियों को ध्यान में रखा गया है। किन्तु रूड़केला और भिलई के दो इस्पात के कारखाने और भोपाल का हैवी इलैक्ट्रिकल संयंत्र उन क्षेत्रों में लगाये गये थे, जोकि औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए थे। दक्षिण अर्काट में लिग्नाइट, उड़ीसा में लोहा अयस्क, सेलम में बाकसाइट और राजस्थान में सिक्के और जिंक के निक्षेपों के विकास से भी कम विकसित क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा। राजस्थान ,उड़ीसा, आसाम और पंजाब में कपड़ा मिलें, आंध्र प्रदेश, मद्रास मैसूर और महाराष्ट्र में चीनी मिलें, आसाम, मध्य प्रदेश, केरल और उत्तर बिहार में इस्पात री-रोलिंग मिलें और केरल में टायर और टयूब का कारखाना और बिजली के लम्पों का कारखाना लगाया गया है।

हलके इंजीनियरिंग उद्योगों के मामले में, सब रेल मुखों पर इस्पात को एक ही मूल्य पर बेचने के निर्णय से विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहन मिला है। राजस्थान इस का एक उदाहरण है।

दूसरी योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र में शुद्ध विनियोग १७०० करोड़ रुपये था, जोकि बहुत से उद्योगों में लगा हुआ था—धातु सम्बधी उद्योग १५३ करोड़ रुपये इंग्रीनियरिंग १२५ करोड़ रासायनिक उद्योग ५८ करोड़, चीनी ५६ करोड़, सीमेंट ५८ करोड़, रूई, पटसन और ऊनी कपड़ा ५० करोड़, कागज और गत्ता ४० करोड़, रेयन और रेशा ३४ करोड़ ; पैट्रोलियम शोधक २२ करोड़ और उद्योग १०४ करोड़। बहुत से नये उद्योग नये क्षेत्रों में गये हैं । तीसरी योजना में देश के विभिन्न भागों के विकास के बहुत अवसर हैं।

जहां तक हो सका है, राष्ट्रीय और राज्यों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा गया है और राज्यों के व्यय ऐसे निर्धारित किये गये हैं कि विभिन्न राज्यों में असमानता दूर हो सके, यद्यपि इस में समय लगेगा।

कुछ राज्यों की योजनाओं में, कम विकसित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम बनाये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी योजना में बुनियादी उद्योगों को प्रविधिक और आर्थिक आधारों पर स्थापित किया जायेगा और अतिरिक्त क्षमता लगाते समय यह देखा जायेगा कि विदेशों में मुकाबला हो सकता है या नहीं ।

सरकारी क्षेत्र में परियोजनाएं स्थापित करने के सम्बन्ध में जो निर्णय किये गये हैं, उन से पता चलेगा कि तीसरी योजना की अवधि में विभिन्न प्रदेशों में काफ़ी औद्योगिक विकास होगा ।

५२ बड़ी और दर्मियानी औद्योगिक परियोजनाओं का खण्डवार वितरण इस प्रकार होगा :

उत्तरी खण्ड में २ नई परियोजनाएं होंगी, केन्द्रीय खंड में १०, पूर्वी खंड में १८, पश्चिमी ६, दक्षिण (मैसूर सहित) १६ ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं को लाइसेंस देते समय अविकसित खंडों के दावों को ध्यान में रखा गया है । तीसरी योजना में राजस्थान, उड़ीसा, आसाम और पंजाब में कपड़ा मिलें स्थापित की गई थीं, यह निर्णय किया गया है कि २० लाख करघों के लाईसेंस राज्यवार इस तरह दिये जायें :—

	राज्य	आवंटन (१००० करघे)	
श्रेणी १	आंध्र प्रदेश	२३५	
	विहार	२२५	
	उत्तर प्रदेश	२२५	
श्रेणी २	आसाम	१५०	
	मध्य प्रदेश	१५०	
	केरल	१५०	
	उड़ीसा	१५०	
	पंजाब	१५०	
	राजस्थान	१५०	
श्रेणी ३	मैसूर	१००	
	पश्चिम बंगाल	१००	
श्रेणी ४	गुजरात	७५	क्योंकि उन के पास काफी मिलें हैं ।
	महाराष्ट्र	७५	
	मद्रास	७५	
श्रेणी ५	मनीपुर और त्रिपुरा	५०	

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन]

सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित महत्वपूर्ण परियोजनाओं से कम विकसित क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा —जैसाकि एलूमीनियम और सेलुलोज एसीटेट कारखाने उत्तर प्रदेश में राजस्थान में उर्वरक, नाइलान, कास्टिक सोडा, पी० वी० सी० और ज़िंक स्मेल्टर के कारखाने संशलेषित रबड़, पालीथ-लीन, कार्बन ब्लैक अ.र कागज के गूदे के कारखाने आसाम में, मोटरों के रबड़ का कार-खाना केरल में ।

हम उद्योगों को औद्योगिक नगरों और शहरी क्षेत्रों में केंद्रित नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण बेरोज-गारी को दूर करने के लिए ९ करोड़ रुपये की ४६ ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं मंजूर की गई हैं । संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए इन परियोजनाओं को प्रादेशिक विकास योजनाओं के साथ सम्बद्ध किया जायगा। खंडवार वितरण इस प्रकार हैं :—उत्तरी खंड ६, केन्द्रीय ८, पूर्वी ११, पश्चिमी ६, दक्षिणी १०, संघराज्य क्षेत्र ५, योग ४६ ।

ग्रामीण निमांण कार्य के बारे में, साधारण योजना, कार्यक्रमों के अतिरिक्त उन क्षेत्रों में जहां बहुत बेकारी है, एक और कार्यक्रम मंजूर किया गया है। कम आय वाले क्षेत्रों में विकास तेज करने के लिए ग्रामीण निर्माण कार्य बहुत महत्वपूर्ण होगा, । इस संबंध में, मैं एक वक्तव्य जिस में राज्यों द्वारा अग्रिम परियोजनाओं की संख्या दी गई है, पटल पर रखता हूं । खंडवार, वितरण इस प्रकार है : उत्तरी खंड ८४, केन्द्रीय खंड १५५, पूर्वी खंड १७६, पश्चिमी खंड १०१, दक्षिणी खंड १८८, संघ राज्य क्षेत्र २४, योग ७२८ ।

ग्रामीण निर्माण कार्य परियोजना उन क्षत्रों में शुरू की जायेगी, जहां आबादी घनी है और बरोजगारी भी अधिक है। उत्तर प्रदेश के लिए मंजूर की गई १०२ परियोजनाओं में से ६१ पूवी जिलों में हैं। जो कि पिछड़ हुए हैं।

मैं नीचे एक वक्तव्य देता हूं जिस में बताया गया है कि पहली योजना के अन्त पर विभिन्न खंडों के विकास की स्थिति क्या थी। इस से प्रकट होगा कि आगे आने वाली योजनाओं में विभिन्न खंडों की प्रगति इस प्रकार हुई है कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास की असमानता कम होती जा रही है । मैं एक दो उदाहरण दूंगा । :

खंड

	उत्तरीय	केन्द्रीय	पूर्वी	पश्चिमी	दक्षिणी
(क) सिंचाई का क्षेत्र काश्त किये हुए क्षेत्र का प्रतिशत	२४	१६	१९	६	२३
(ख) अधिष्ठापित जनन क्षमता (मेगा वाट में)	२३६	४६५	११४७	८०८	६३६
(ग) सड़कों की लम्बाई १०० वर्ग मील के हिसाब से योग	१०७५४	२२६५७	१६४६४	१८४१७	४४०७६

कृषि उत्पादन के आंकड़े खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने दे दिये हैं । मैं उन्हें दुहराना नहीं चाहता । किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि सिंचाई वाला क्षेत्र जो १९५०–५१ में ५५४ लाख एकड़ था, १९६५–६६ में १०४४ लाख एकड़ हो जायगा । निम्न वक्तव्य से विभिन्न खंडों में वृद्धि का पता चलता है : उत्तरी खंड में १९५०–५१ में ११३ लाख था, १९६५–६६ में यह १९७ लाख एकड़ हो जायगा । केन्द्रीय खंड १५१ और २५४ लाख, पूर्वी खंड ११९ लाख और २४५ लाख, पश्चिमी खंड ३१ और ९० लाख, दक्षिणी खंड १४० लाख और २५८ लाख ।

१९५०–५१ में विद्युत् उत्पादन शक्ति २२५७ मेगावाट की थी जो १९६५–६६ में १२७१८ मेगावाट हो जायेगी संभव है इस से अधिक ही हो । क्षेत्रवार विद्युत् उत्पादन शक्ति का प्रतिशत इस प्रकार है । उत्तरी क्षेत्र में ८.९८ प्रतिशत, केन्द्रीय क्षेत्र में १४.५० प्रतिशत, पूर्वी क्षेत्र में, २५.५८ प्रतिशत, पश्चिमी क्षेत्र में १७.४१ प्रतिशत, दक्षिणी क्षेत्र में ११.३७ प्रतिशत है जहां तक पृथक राज्यों का संबंध है मेरे पास राजस्थान, उड़ीसा, और केरल के मामले में आंकड़े मौजूद हैं । मैं आपको विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति बिजली की खपत के आंकड़ दे सकता हूं । १९५०–५१ के मुकाबले १९६५–६६ में बिजली की खपत आंध्र प्रदेश में २७ गुना बढ़ेगी । राजस्थान में १६ गुना बढ़ जायगी ।

जहां तक राजस्थान के सम्बन्ध में अन्य आंकड़ों का सम्बंध है तीनों योजनाओं में पूरे देश के लिये प्रतिव्यक्ति व्यय १८१ रु० है, जबकि केवल राजस्थान के लिये २१५ रु० है । द्वितीय योजना में समस्त देश के लिये प्रतिव्यक्ति व्यय ५२ रु० था, केवल राजस्थान के लिये प्रतिव्यक्ति व्यय ५६ रु० था, पहिली योजना में समस्त देश में प्रतिव्यक्ति व्यय ८९ रु० था केवल राजस्थान के लिये यह व्यय ११७ रु० था ।

जहां तक केन्द्रीय सरकार की उन परियोजनाओं का सम्बन्ध है जो केरल में स्थापित की जायेंगी वे इस प्रकार हैं : दूसरा शिपयार्ड, जिस पर २० करोड़ रुपये व्यय होंगे । फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के विस्तार के लिये ८ करोड़ रु०, फोटो कैमीकल प्लांट ६.३ करोड़ रुपये, प्रीसाइजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी ६ करोड़ रुपये । इस प्रकार केरल के विकास के लिये ४०.३ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे ।

शिपयार्ड के संबंध में ६० एकड़ जमीन अर्जित कर ली गयी है । इस संबंध में आरंभिक कार्य चल रहा है, केरल की अर्थ व्यवस्था में काजू और नारियल जटा का भी बहुत महत्व है । जहां तक रोजगार का संबंध है, प्राथमिक क्षेत्र में केरल का प्रतिशत ५४.९ है माध्यमिक क्षेत्र में यह प्रतिशत १९.३ और तृतीय क्षेत्र में २५.८ प्रतिशत है ।

जहां तक उड़ीसा का संबंध है पहिली योजना में प्रतिव्यक्ति व्यय ५८ रु० है जबकि सारे देश का प्रतिव्यक्ति व्यय ४० रु० था । पंजाब और पश्चिमी बंगाल को छोड़ कर यह सब से ऊंचा था । उड़ीसा में तीनों योजनाओं में प्रतिव्यक्ति सम्मिलित व्यय २०१ रु० है जबकि सारे देश के लिये यह व्यय १८१ रु० है ।

वित्त आयोग की सिफारिश से उड़ीसा को १२.२४ रु० प्रतिवर्ष का लाभ हुआ है । तीसरी योजना की अवधि में कुल लाभ मिला कर ५० करोड़ रुपये होगा । इस से प्रतिव्यय में ३० रु० की वृद्धि होगी ।

जहां तक सिंचाई का संबंध है पिछले १५ वर्षों में उड़ीसा में सिंचाई के क्षेत्र में ८८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

[श्री चें० रा० पट्टाभिरामन]

आरम्भ में उड़ीसा में ५ मेगावाट विद्युत् का उत्पादन होता था । जो १९६०–६१ तक बढ़कर २६४ मेगावाट हो गया, १९६५–६६ में यह बढ़ कर ५५८ मेगावाट हो जायेगा ।

अंतमें मैं प्रो० जोन आर० हावर्ड का उल्लेख करना चाहता हूं । व अभी हाल में भारत आये थे तथा उन्होंने भारत की प्रगति का मूल्यांकन किया है ।

अंत में मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि हमें इस संबंध में सब ज्ञात है ।

हम इस संबंध में आकड़े जमा करना चाहते हैं । यद्यपि कुछ राज्यों ने उत्तर नहीं दिया है तो भी हमें इस ओर प्रयत्न करते जा रहे हैं।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : सभी सदस्यों ने सर्वसम्मिति से मेरे संकल्प का समर्थन किया है तथा क्षेत्रीय विषमता पर प्रकाश डाला है । पिछले १० वर्षों में इस विषमता को दूर करने के लिये कुछ नहीं किया गया है । मुझे प्रसन्नता है कि मंत्रालय ने इस दिशा में कुछ कार्य किया है अतः मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वे इस संकल्प को वापस ले लेवें ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री कोया का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प पर चर्चा आरम्भ करेगी । श्रीमती सुभद्रा जोशी अपना भाषण जारी रख सकती हैं।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (बलरामपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार आपकी इजाजत से मैंने हाउस में प्रस्ताव पेश किया था कि इस इमरजेंसी के समय में तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिये बैंक का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिये । मुझे खुशी है कि मैं ने यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा । हालांकि इस प्रस्ताव के महत्व को मैं समझती थी फिर भी लोगों की दिलचस्पी का मैं पूरा अन्दाजा उस वक्त नहीं कर सकी थी । मैं नहीं समझती थी कि इस विषय में देश के लोग इतनी दिलचस्पी लेंगे । मेरे इस प्रस्ताव को पेश करने के बाद बहुत से लोग मुझ से मिले, जिन में स्टाक एक्सचेंज में काम करने वाले, कुछ उन के इम्पारटेंट ओहदेदार, बैंक्स में काम करने वाले, और बड़े बड़े बिजनैसमैन थे । उन लोगों ने कहा कि हम अपने मुंह से बहुत सी बातें नहीं कह सकते, लेकिन हम को इस बात की खुशी है कि तुम ने सब लोगों का ध्यान इस ओर खींचा है ।

मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, कि आज हमारे डिप्टी फाइनेन्स मिनिस्टर साहब, भगतजी यहां मौजूद हैं, जोकि बड़े क्रांतिकारी मंत्री हैं। मुझे आशा है कि वह इस पर बहुत अच्छी, तरह से गौर करेंगे । मैं उनकी सेवा में निवेदन करना चाहती हूं कि इस इमरजेंसी के समय यह प्रस्ताव पेश करने के बहुत से कारण थे । पिछले दिनों में हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री देश में

---

†मूल अंग्रेज़ी में

समाजवाद लाने की तरफ क्रान्तिकारी कदम उठा रही है। फाइनेन्स मिनिस्टर एक नए किस्म का बजट लाए हैं, और गोल्ड कंट्रोल जारी किया है।

मुझको ऐसी उम्मीद हुई कि हो सकता है कि एसे मौके पर फाईनेंस मिनिस्टरी इस पर और भी ज्यादा ध्यान दे।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो सदन के सामने मैं आपको यह बतलाना चाहती हूं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों होना चाहिए और उससे क्या फायदा इस वक्त हो सकता है? हमारे प्रधान मंत्री ने और बाकी लोगों ने भी कहा कि जिस वक्त चीन का आक्रमण हमारे देश पर हुआ है और हम जिस दौर में से गुजर रहे हैं उस वक्त सिर्फ वह फौजी जवान ही हमारे देश की रक्षा नहीं करेंगे जोकि सीमा पर जाकर मातृभूमि की रक्षा के लिए शत्रु से लोहा लेंगे और जान लेंगे और अपनी जान देंगे, बल्कि जितने भी अन्य काम करने वाले वाले हैं चाहे वे किसान हों अथवा मजदूर, देश के किसी भी कोने में काम करते हों, वे सब लड़ाई में जब तक हिस्सा नहीं लेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तब तक हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। एसे मौके पर जरूरत है कि हमारे देश में इंडस्टरीज अच्छे तरीके से डवलप हों और कृषि की अच्छे तरीके से तरक्की हो। तमाम फील्ड्स में अच्छे तरीके से तरक्की हो और उसमें दिलचस्पी लें। मेरा ऐसा विश्वास है कि जो बैंकिंग का काम है, बैंकिंग सिर्फ वजात खुद ही एक इंडस्ट्री नहीं है बल्कि तमाम इंडस्टरीज की आजकल जितनी कम्पलीकेटड मशीनरी है उनमें भी बैंकिंग एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा लेती है। यह एक किस्म से जो इंडस्ट्री होनी चाहिए और सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से और वड़े बड़े नये उद्योग स्टार्ट होते हैं या पुराने उद्योग धंधे जिस बैंकिंग पर निर्भर करत हैं उसके राष्ट्रीयकरण की बात सोचनी चाहिए।

मैं यह भी कहूंगी कि हमारे यहां जो मिक्सेड एकोनामी हम लोगों ने मंजूर की है और हम अहिंसा के रास्ते से चल कर समाजवाद इस देश में लाना चाहत हैं और जो दिन रात उद्योग धंधों को दिक्कतें होती हैं, वह भी राष्ट्रीयकरण करने से दूर हो जायेंगीं। आय दिन इस हाउस में रिपोर्ट मांगी जाती है कि इस इंडस्ट्री की रिपोर्ट लाओ और उस इंडस्ट्री की रिपोर्ट लाओ, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करूंगी कि अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण सरकार कर ले तो बहुत सी खराबियां जो आजकल उद्योग धंधों में रोज बरोज पकड़ी जाती हैं उन चीजों से हम बच सकते हैं और देश में उद्योग धंधे अच्छी तरह से तरक्की कर सकते हैं।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने से जो सबसे बड़ा लाभ होगा वह मेरे खयाल में यह होगा कि कम से कम ३५ करोड़ रुपये का सालाना फायदा सरकार को बैंकों से होगा जोकि इन लोगों को प्राफिट होता है। इसके पहले कि मैं और बातें कहूं मैं यह बतलाना चाहती हूं कि यह जो ३५ करोड़ रुपये का प्राफिट बैंक्स में हुआ है यह नैट प्राफिट है। टैक्सज और सब चीजें देने के बाद यह प्राफिट हुआ है। इसमें वह चीज नहीं है जोकि एक सीक्रट प्राविजन होता है उनको रिजर्वस रखने के लिए, उसको छोड़ कर इतना प्राफिट होता है। दूसरा फायदा बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से यह होगा कि आज हमारे वहां दिन रात जो इस बात पर जोर दिया जाता है कि सरकार प्राइस लाइन को मेंटेन करे, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने से प्राइस लाइन मेंटेंन करने में बहुत मदद मिलगी। मैं आगे चल कर बतलाऊंगी कि जो कर्जा दिया जाता है उसमें प्रोड्यूस करने के लिए कितना कम कर्जा दिया

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

जाता है और कितना रुपया उसमें इस चीज के ऊपर लगाया जाता है जिससे कि चीजों की कीमतें बढ़ने का मौका मिले। अगर सरकार प्राइस लाइन मेंटेन कर पायेगी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद तो इतना ही नहीं कि प्राइस लाइन जैसा कि उनकी पालिसी है, वह कंट्रोल हो जायगी। वल्कि अब जितनी दिन रात मांग आती है, तनख्वाह बढ़ाने की या और दूसरी बातों की, उसमें भी बड़ा फर्क होगा। इस तरह से रोज जो तनख्वाहें नहीं बढ़ानीं पड़ेंगीं उससे भी आगे चल कर हमें आर्थिक लाभ होगा।

एक अन्य चीज मुझे यह कहनी है अगर सरकार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लेगी तो आज बैंक्स जोकि एग्रीकलचरल प्रोडक्शन में कोई पार्ट प्ले नहीं करते हैं और एग्रीकलचरल प्रोडक्शन में जो प्रोड्यूस होती है और उसकी सिक्युरिटी में बहुत पैसा देते हैं मगर बाकी एग्रीकलचरिस्ट्स को यह प्राइवट बैंक्स कोई सहायता नहीं करते हैं, उनको कोई लोन नहीं देते हैं, अगर राष्ट्रीयकरण हो जायेगा तो उनका भी फायदा होगा और उनको भी दे सकते हैं।

यहां जो विदेशी बैंक हैं और जिन्होंने यहां एक पैसा भी नहीं लगाया है और एक पैसा भी उनकी पूंजी नहीं है वह कितना ही मुनाफा इस देश में अपने डिपाजिट्स से बनाते हैं, वह मुनाफा भी रुकेगा। विदेशी मुद्रा के एक्सचेंज में हेरफर दिन रात करते हैं, कभी चीजों की कीमतों को कम दिखा कर और कभी चीजों की कीमतें ज्यादा दिखा कर विदेशी मुद्रा में हेरफेर करते हैं वह भी नहीं कर पायेंगे और वह भी रुक जायगा। बहुत से उद्योग धंधों में जो इतना ब्लैक का पैसा जाता है, जो टैक्स इवेड किया जाता है, अगर वह सरकार के हाथ में आ जायेंगे तो उनकी पकड़ ज्यादा आसनी से हो सकेगी और यह टैक्स ईवड भी नहीं कर सकेंगे।

जैसा मैंने आपसे कहा कि जो विदेशी बैंक हैं उन्होंने यहां कुछ भी नहीं लगाया है तो भी वह यहां से इतने हियूज प्राफिट्स डिक्लेयर करते हैं जिसका कि आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता है। जो चार्टर्ड बैंक है उसने अकेले सन् १९६२ में ८० लाख का मुनाफा अपने हिसाब में इस बार दिखाया है। इसके अलावा जो १४ एक्सचेंज बैंकस हैं जिन्होंने कि यहां एक पसे की भी पूंजी नहीं लगाई है उनका मुनाफा सन् १९६१ का २.६७ करोड़ के लगभग है। अब आप अंदाजा लगाइये कि बिना पूंजी लगाये हुए ये लोग इतना प्राफिट बना रहे हैं तो सरकार अगर उनका राष्ट्रीयकरण कर दे तो उसकी भी बहुत बचत हो जायगी। जायगी।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने से एक फायदा यह भी होगा कि इस वक्त जो प्राईवेट बैंक्स हैं उन पर कोई रोकटोक नहीं है। कभी कभी रिजर्व बैंक वाले उनको इंस्ट्रकंशन देते हैं, रोकटोक करने की कोशिश करते हैं तो कभी एक आध बार कोई अफसर भी बिठा देते हैं। वह किसको एडवांस देते हैं और क्या करते हैं उस पर कोई काबू किसी का नहीं है। अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जायेगा तो हमारी योजना के मुताबिक जितना खर्च करना चाहते हैं, कितना परसैंट एग्रीकलचर पर लगाना चाहते हैं, कितना इंडस्ट्रीज पर लगाना चाहते हैं और कितना अन्य पर लगाना चाहते हैं, योजना के मुताबिक उसमें से सरकार कर्ज दे सकेगी और उस योजना का अच्छे तरीके से इम्प्लीमैंटशन हो सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

एक और फायदा बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से यह होगा कि इससे लोगों का भरोसा बैंकों पर ज्यादा से ज्यादा होगा। इस वक्त इतनी ब्रांचेज खुलने के बावजूद भी गांवों में एक तो ब्रांचेज इन प्राईवेट बैंकों की नहीं हैं फिर जब पिछले दिनों में गोल्ड का कंट्रोल भी हमारी सरकार ने कर लिया, कोशिश इस बात की है कि लोग सोने में और ऐसी जो अनप्रोडक्टिव चीजें हैं, उनमें पैसा न रक्खें और उसे बैंक में डाले तो अगर लोगों का बैंकों पर भरोसा रहा और बैंकों पर भरोसा बढ़ा तो लोगों की पैसा जमा करने की आदत पड़ेगी और इससे भी सरकार का फायदा होगा।

आगे चल कर उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक, दो मिनट इस बात पर रोशनी डालूंगी कि आज कल भरोसा क्यों कम है और किस तरीके से सरकार उनका भरोसा बढ़ा सकती है।

अब इसके बाद जो खर्चा प्राइवेट बैंक्स पर है उस खर्चे को भी देखा जाय। कितनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें वे लोग देते हैं और कितना अधिक खर्चा करते हैं? उस खर्चे के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस वक्त रोज हमारे यहां शिकायत होती है। आज मिक्सड एकोनामी की वजह से जो हमारे यहां बड़े बड़े जितने अच्छे आफिसर्स होते हैं वे रिटायर होने के बाद प्राइवेट इंटरप्राइज में चले जाते हैं, प्राइवैट उद्योग धंधों में चले जाते हैं। काफी डिसपैरिटी तनख्वाहों में प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर के बीच में रहती है। जब प्राइवेट सैक्टर में उनको इतनी लम्बी तनख्वाह मिले तो उनको उधर जाने की लालच तो रहता ही है। मसलन् मैं आपको बतलाउं कि जो रिजर्व बैंक का गवर्नर है वह तो बेचारा ४००० तनख्वाह लेता है और जो चार्टर्ड बैंक का मैनेजर है अपने दूसरे खर्चों के अलावा १०००० उसे तनख्वाह मिलती है। जब इतनी डिसपैरिटी प्राइवेट बैंक्स और दूसरे बैंक्स में रहती है तो अगर सरकार बैंकों का नेशनाइलाइजेशन कर दे और उनको अपने हाल में ले ले तो सरकार इस डिसपैरिटी और फर्क को बहुत कम कर सकेगी और आज जो बेचारे डिपाजिटर्स का पैसा लेकर इतने खर्चे किये जाते हैं उन खर्चों को भी कम कर सकेगी।

अब मैं प्राइवट बैंक्स के कारोबार के बारे में आपको कुछ बतलाऊंगी। आप इसको सुन कर आश्चर्य करेंगे कि किस तरह से वे पैसा लगाते हैं और इतनी भारी रकमें जो इस देश के दूसरे अच्छे कामों में लगनी चाहिये, जिन का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, वे कहां खर्च की जाती है। कौन लोग हैं जिन्होंने इन बैंक्स पर कब्जा करके रखा हुआ है। हमारे देश में तकरीबन ३०४ बैंक्स हैं। उन में से ८२ शैड्यूल्ड बैंक्स हैं। उन शैड्यूल्ड बैंक्स में से चौदह विदेशी मुद्रा के बैंक हैं जिनकी पूंजी यहां पर कोई नहीं लगती है। बाकी के जो बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, उनके वर्किंग कैपिटल के बारे में कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। इन ६८ बैंक्स में से जिनमें विदेशी मुद्रा बैंक शामिल नहीं हैं, ११ बैंक्स ऐसे हैं जिनका वर्किंग कैपिटल २५ करोड़ से ऊपर है। १३ बैंक ऐसे हैं जिन का वर्किंग कैपिटल साढ़े सात करोड़ से पच्चीस करोड़ तक है और बाकी जो बैंक हैं, उनका कैपिटल साढ़े सात करोड़ से भी नीचे है। सब जो बड़े बैंक हैं उनकी पूंजी कितनी हैं और उनके डिपाज़िट्स कितने हैं, इसको आप देखें। सब से बड़ेज़ बैंकों की तादाद इस देश में १२ समझी जाती है। उनकी पूंजी सिर्फ १७.६७ करोड़ है और उनके पास डिपाज़िट्स रहते हैं ६६६ करोड़ के करीब। बाकी जो २६६ बैंक हैं, उनकी पूंजी सिर्फ ११.४१ करोड़ है और उनके पास डिपाजिट १६१ करोड़ के करीब रहते हैं। फारेन एक्सचेंज वाले जो बैंक हैं, जो यहां पर कोई कैपिटल नहीं लगाते हैं, उनके पास २५३ करोड़ के करीब डिपाज़िट रहते हैं। जो हमारा स्टेट बैंक है उस में १०.५८ करोड़ के करीब पूंजी है और ६६१ करोड़ के करीब उसके पास डिपाज़िट हैं। अगर इनका आप औसत

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

लगा कर देखें तो आपको पता चलेगा कि २६ बैंक सिर्फ यानी ८.६ परसेंट बैंक हमारे यहां के ८५ परसेंट डिपाज़िट्स को कंट्रोल करते हैं। यह स्थिति किसी भी देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ही हो सकती है। कितनी भारी रकमें इतने कम बैंक डिपाज़िट्स की शक्ल में अपने पास रखते हैं, इसको आप देखें। कर्जा किन को वे देते हैं, इसको सुन कर आप आश्चर्य करेंगे। अगर प्लान के मुताबिक, योजना के मुताविक वे कर्जा दें तो मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस बात से एग्री करेंगे कि इस किस्म का उनका नक्शा नहीं बन सकता था जैसा कि आज हमारे सामने है।

उनके पास १४२० करोड़ के करीब डिपाज़िट्स हैं। इस १४२० करोड़ में से जो कर्जा उन्होंने दिया है, उसको मैं आपको बतलाती हूं। ९५.८८ करोड़ तो उन्होंने खाद्य सामग्री के अगेंस्ट दिया है। ३६७.६२ करोड़ स्टाक एक्सचेंज और बुलियन के अगेन्स्ट दिया हुआ है। ३११.९९ करोड़ जो बना हुआ सामान होता है, जो कंज्यूमर्ज़ गुड्स होती हैं, जो फिनिश्ड गुड्ज़ होती हैं, उनके अगेंस्ट दिया हुआ है। २२७.८४ करोड़ रुपया उन्होंने इंडस्ट्री में जो मशीनें वगैरह होती हैं, उनके अगेंस्ट दिया हुआ है। आप देखेंगे कि एग्रिकलचर की तरक्की के लिए उन्होंने कोई पैसा मेरी इत्तिला के मुताबिक नहीं दिया हुआ है। एग्रीकलचर की हर रोज़ इस सदन में चर्चा होती है, प्लानिंग कमिशन के सामने और इस हाउस के सामने हर रोज़ शिकायत होती है, लेकिन उधर इन बैंक्स का कोई ध्यान ही नहीं गया है।

अब मैं आपको यह बतलाना चाहती हूं कि सरकारी सिक्योरिटीज़ की खरीद और फरोख्त में किस प्रकार से बेईमानी होती है, कितना कम रुपया लगाया जाता है। इन सिक्योरिटीज़ में इनकी वैसे भी दिलचस्पी बहुत कम है। जो ६१८ करोड़ रुपया सरकारी सिक्योरिटीज़ में लगा हुआ है, उसमें से ज्यादा तर जो हैं, २६७ करोड़ वह स्टेट बैंक का या उसकी जो सबसिडियरीज़ हैं, उनका लगा हुआ है। बाकी के तमाम २९६ बैंक्स ने ३६१ करोड़ रुपया की सरकारी सिक्योरिटीज़ में लगा रखा है। २५ परसेंट जो इनके ही एडिवांसिस हैं वे सिर्फ स्टाक एक्सचेंजिज़ में इन्होंने लगा रखे हैं। इससे आप अंदाजा लगायें कि इनकी देश की तरक्की करने में कहां तक दिलचस्पी हो सकती है।

ऐसा क्यों होता है, इसको आप देखें। इससे पहले कि मैं इसका जिक्र करूं, मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि १९६१ में रिजर्व बैंक के जो एक्स-गवर्नर हैं, उन्होंने इन बैंक्स के बारे में क्या कहा था। उससे काफी अच्छा प्रकाश इन बैंक्स के वर्किंग पर पड़ता है। उन्होंने कहा था कि भारतीय बैंकों की रूपरेखा इस प्रकार की है कि कई मामलों में तो एक परिवार या गुट के हाथों में सारी शक्ति केन्द्रित हो जाती है। इसका मतलब यह होता है कि बहुत कम लोग हैं जो इन बैंक्स के डायरेक्टर्ज़ हैं, जिन्होंने इन बैंक्स पर कब्जा कर रखा है, या जिनकी मिलकियत ये बैंक होते हैं। छोटे छोटे जो शेयरहोल्डर होते हैं उनकी इनके इंतज़ाम में कोई दिलचस्पी नहीं रह सकती है और वे घूम फिर कर थोड़े से लोगों के हाथों में आ जाते हैं। हमारे यहां जितने बड़े बड़े बैंक हैं, जैसा कि एक्स-गवर्नर ने बताया है, वे बहुत थोड़े से लोगों के हाथ में हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और बैंक आफ इंडिया लिमिटेड जो हैं, यह कहा जाता है कि टाटा, खटाऊ और मुफ्त लाल ग्रुप के इनफ्लुएंस में ये हैं। ज्यादातर यह जो ग्रुप है, वही इनको रन करता है ....

एक माननीय सदस्य: मफत लाल है, मुफ्त लाल नहीं है।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : इसी तरह से पंजाब नैशनल बैंक जो है, वह डालमिया जैन ग्रुप के हाथ में है । मैं किसी बैंक विशष के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती हूं क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि जो लोग पैसा जमा कराते हैं, उन में पैनिक फैले या डर फैले और जैसा थोड़ दिन पहले रश इन बैंक्स पर हो गया था, उसी तरह का रश फिर हो । हमारी बहुत सी संस्थाओं के पैसे पंजाब नैशनल बैंक में रख हुए हैं । फिर भी मैं इतना कहना चाहती हूं इनकी कुछ कनसर्न के बारे में इतनी तहकीकात हो गई, इतने सीरियस चार्जिज लग गए और आज फिर से कोई इनक्वायरी बैठी हुई है । जो कि माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वह हट गये हैं, मगर मैं उनकी सेवा में अर्ज करना चाहती हूं कि सीरियस शिकायतें लोग इसके बारे में करते हैं, बहुत से आफिसर्स जो उनकी मर्जी के मुताविक काम नहीं करते हैं, उनको हटा देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है । य जो शिकायतें हैं, इनका मैं जिक्र नहीं करना चाहती हूं । उन शिकायतों के फलस्वरूप कोई रहे या न रहे, लेकिन उन शिकायतों की जांच तक न हो, यह कहां तक ठीक है इसको आप सोचें । इनकी जांच न करना डिपाजिटर्ज़ के साथ बड़ा अन्याय करना है । मैं नहीं कहना चाहती हूं कि वे कौन कौन सी शिकायतें हैं । पर मुझे मालूम हुआ है कुछ लोगों से, जैसा उनका कहना है कि करोड़ों रुपया उस ग्रुप ने निकाल करके अपने लिये इस्तेमाल किया हुआ है । उनका कहना है कि बहुत सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खरीद और फरोक्त में बहुत सा रुपया बनाया गया है जिस में सरकार को बहुत नुक्सान हुआ है । जब इतने सीरियस चार्जिज़ हों, तो कुछ न कुछ तो उस बैंक के बारे में किया ही जाना चाहिये । मैं जानती हूं कि सरकार का जो कंट्रोल है, उसकी वजह से कोई एसे बैंक के साथ हादसा नहीं हो सकता है और सरकार उसको बचायेगी । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ लोग जो दिन रात पैसा बनायें और सरकार के कान पर जूं तक न रेंगे और इनक्वायरी तक न हो । चाहे कोई रहे या न रहे, लेकिन इनक्वायरी अच्छी तरह से होनी चाहिये । जिस तरह से दूसरी चीज़ों को आपने टेक अवर किया है, मेरा ख्याल है, उसी तरह से इन सब चोजों को देखते हुए पंजाब नैशनल बैंक को सरकार अपने कब्जे में कर ले, उसको टेक ओवर कर ले और इसका बहुत अच्छा केस आपके सामने है ।

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं माननीय सदस्य को थोड़ा हस्तक्षप करना चाहता हूं । उन्होंने कहा है कि व बैंक की साख को धक्का नहीं पहुंचाना चाहते हैं । तथापि उनके यह कहने से कि करोड़ों रुपये निकाल लिये गये हैं । तथापि सरकार इस विषय में कुछ नहीं कर रही है इत्यादि बातें कहने से उन्हें हानि हो सकती है । भारत रक्षित बैंक इस बात की कोशिश करता है कि सभी बैंकों का संचालन ठोस आधार पर हो । पंजाब नेशनल बैंक एक ठोस बैंक है अतः इसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिये ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : अगर मुझे इस बात का इत्मीनान होता कि रिजर्व बैंक लोगों के इंटिरेस्ट्स को वाच करेगा, उनकी देखभाल करेगा तो मैं इतनी बात भी आपके सामने न कहती, जितनी कही है । लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहती हूं कि अगर कोई एलीगेशंज़ हैं, तो उनकी इनक्वायरी हो जानी चाहिये ।

इसी तरह से मैं आपको बतला रही थी कि बड़े बड़े बैंक किस तरह से बिजिनेस वालों के हाथ में हैं ।

बैंक आफ बड़ौदा	बालचंद हीराचंद ग्रुप के हाथ में है
यूनाइटेड कमर्शल बैंक	बिड़ला ग्रुप के हाथ में है

---

†मूल अंग्रजी में

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

इसी तरह से छोटे छोटे बैंक है :

हिन्दुस्तान कमर्शल बैंक	जे० के० ग्रुप
हिन्दुस्तान मर्केन्टाइल बैंक	ज्वाला ग्रुप

कहने का मतलब यह है कि इन बैंकों का इन्तजाम आखिर किसी को तो करना ही है। कौन इन्तज़ाम करता है, इस पर किसी को ऐतराज़ नहीं है। पर यह बैंक जिनके हाथ में हैं उनके अपने कारखाने हैं, अपनी इंडस्ट्रीज हैं और वे अपने धन्धे करते हैं। सरकार चाहे जितनी निगरानी करे, उनमें से पैसा लेने पर कितने इंटरेस्ट पर वे पैसा लेते हैं, सिक्योरिटी लेते हैं या नहीं लेते हैं, यह तमाम चीजें ऐसी हैं, जिनके लिये मंत्री महोदय ने कहा कि मेरा उन पर इशारा कर देना काफी है, उससे ज्यादा मुझे नहीं कहना चाहिये, पर मैं उनसे कहना चाहती हूं कि कई वर्ष पहले जब लाला योधराज पंजाब नैशनल बैंक के चेअरमैन थे तो उन्होंने एक इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के सामने बयान दिया था। वह कोई सीक्रेट बयान नहीं था। उस में उन्होंने स्वीकार किया था कि एक ही सिक्योरिटी पर बिना सिक्योरिटी बढ़ाये हुए एक इंडस्ट्री वाला कर्जा लेता है, सिक्योरिटी नहीं बढ़ती है तो दूसरे के नाम वह और कर्जा लेता है, फिर तीसरे के नाम से और कर्जा लेता है। यह पंजाब नैशनल बैंक के चेअरमैन का इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के सामने बयान था। अगर उन्होंने यस वक्त यह बयान दिया था तो सरकार को एन्क्वायरी करनी चाहिये कि वह चीजें उनके जाने के बाद कंटिन्यू हुईं या नहीं, या क्या होता है। इसलिये उनकी वर्किंग के बारे में मैं जनरली बतला रही हूं कि यह खतरे हो सकते हैं।

इसके बाद मैं मुनाफे के बारे में कहना चाहती हूं। अभी एक माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि यह मुनाफा कहां से आता है। मुनाफा आता है कम इंटरेस्ट पर लोगों को रुपया डिपाज़िट करने में और ज्यादा इंटरेस्ट पर लोगों को रुपया देने में। इसी तरह से और बहुत से तरीके हैं जिनसे मुनाफा होता है। जैसा मैंने आप से कहा जो बारह टाप बैंक्स थे उनका जो मुनाफा था वह ७.३५ करोड़ रु० था, एक साल का, जिसका ५० परसेन्ट देने के बाद और अपना रिजर्व फंड अलग रखने के बाद उनका इतना मुनाफा था। इसी तरह से दूसरे बैंक्स भी थे।

अब थोड़े से शब्दों में मैं यह कहना चाहती हूं कि एक जगह यहां किसी डिबेट में मंत्री महोदय ने बतलाया कि बैंक्स न लेने का कारण यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है, उनको यहां पर कोट किया गया, कि हम चाहते हैं कि हम बैंकों को न लें क्योंकि वह प्राइवेट हाथों में रहेंगे तो उनका एक्स्पैन्शन होगा। गांव-गांव में बैंक खुलें, यह हम चाहते हैं। तो मैं इसको . . .

†**श्री ब० रा० भगत** : किसने कहा ?

श्रीमती सुभद्रा जोशी : एक दिन डिबेट में कहा गया था कि इस तरह से उनका एक्स्पैन्शन होता है। मेरा आपसे कहना है कि अगर आप देखें तो पायेंगे कि इस वक्त हमारे यहां ५१११ ब्रांचेज हैं। लेकिन यह जो ५,१११ ब्रांचेज हैं वे देहातों में हिन्दुस्तान के नहीं हैं। उनमें से १७१२ सेंटर्स में हैं। गांवों में केवल ९५७ ब्रांचेज हैं। १७१२ सेंटर्स में से २२६ जगहों पर प्राइवेट बैंकों की ब्रांचेज नहीं हैं। वे स्टेट बैंक की ब्रांचेज हैं। इसके खिलाफ आप देखेंगे कि स्टेट बैंक को जून, १९५५ में ले लिया गया। सन १९५५ के एन्ड तक स्टेट

†मूल अंग्रेजी में

बैंक की कुल ४८४ ब्रांचेज थीं और सन् १९६१ के एन्ड तक उसी स्टेट बैंक की ब्रांचेज ६४६ के करीब हो गईं, और इस वक्त तक तो ऐसा मालूम होता है कि उसकी ब्रांचेज १,००० से ऊपर हो गई हैं। इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि बैंक्स के एक्स्पैन्शन का जहां तक सवाल है वह बगैर नैशनलाइजेशन के नहीं हो सकता है।

मुझ को उम्मीद कि जो कारण मैं ने दिये हैं उनसे मैंने मंत्री महोदय को कन्विस कर लिया होगा कि बैंकों को ले लेना चाहिये है अगर सरकार यह कहना चाहती है कि पैसा कहां से आयेगा बैंक को नैशनलाइज़ करने के लिये, कम्पेन्सेशन का पैसा कहां से आयेगा तो मैं बतलाना चाहती हूं कि यह एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस में कम से कम कैपिटल लगा हुआ है और ज्यादा से ज्यादा परसेन्टेज मुनाफे का होता है। सरकार को सबसे कम रुपया चाहिये बैंक्स को लेने के लिये और उन को टेक ओवर करके स्टेट के बड़े भारी रिसोर्सेज हो सकते हैं। जैसा मैंने बतलाया कई बैंकों का जो पेड अप कैपिटल है वह सिर्फ ३० करोड़ रु० के करीब है, शायद २९.२१ करोड़ रु० है। लेकिन उन शेयरों की प्रेजेन्ट मार्केट वैल्यू जो है वह ६१.२ करोड़ रु० के करीब है। उसमें से भी १३ से १५ परसेन्ट शेअर एल० आई० सी० उन बैंकों में रखता है। अगर गवर्नमेंट पूरे बैंक को टेक ओवर न करे, सिर्फ ५१ परसेन्ट शेअर्स उन बैंकों में अपने कर ले, बाकी उन्हीं के पास ही रहने दे तो भी कम से कम कंट्रोल तो सरकार का हो ही जायेगा। मैंने प्राइम मिनिस्टर का एक लेख पढ़ा था उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण न भी करें, तो भी उस पर पूरा कंट्रोल करने का मतलब वही हो जाता है। मतलब यह हो जाता है कि अगर ५१ परसेन्ट शेअर एल० आई० सी० ले ले और बाकी उनके ही पास रहने दे तो सिर्फ २२ करोड़ रु० एक बार लगा देने से ही इतने भारी रिसोर्जेस और ३५ करोड़ मुनाफा प्रति वर्ष के उसके पास आ जायेंगे। एक दफा २२ करोड़ रु० देने के बाद सारी ताकत प्राफिट की और डिस्पोजल की, कर्ज देने की और प्लैन को इम्प्लिमेंट करने की, स्टेट के हाथ में आ जायेगी। मेरे आर्गूमेंट के लिये इतना कह देना ही काफी है। इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि इस मौजूदा इमर्जेन्सी में सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर के जल्दी से जल्दी स्टेट उसके रिसोर्सेज को अपने हाथ में ले ले।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : हम पिछले ५-६ वर्षों से बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिये अनुरोध कर रहे हैं। अतः मैं माननीय सदस्य को इस संकल्प के लिये धन्यवाद देता हूं।

अभी हाल हमें वीवियन बोस इन्क्वायरी कमीशन का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। इसके पहिले भी मूंदड़ा कांड हुआ था। इन बातों से स्पष्ट है कि इस प्रकार के सारे गोलमाल बिना बैंकों की साजिश के बिना नहीं हो सकते हैं। विदेशी मुद्रा के संबंध में भी जितनी भी गड़बड़ की जाती है वह भी बैंकों की साजिश से ही होती है।

आज इस बात की आवश्यकता है कि हम राष्ट्र के विकास व प्रतिरक्षा के लिये समस्त संसाधनों को जुटायें। इसलिये यह आवश्यक है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये।

भारत में बैंकिंग की प्रगति और इस पुस्तिका १९६१ में कहा गया है कि भारत रक्षित बैंक के नियंत्रण के फलस्वरूप भी कुछ ऋण प्राप्त कर्त्ताओं के हाथों में ऋणों का संचय होने में ४७.७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बोर्ड के निदेशकों से संबंधित फर्मों को दिये

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री प्रभात कार]

जाने वाले अग्रिम धन में ४७.७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि अभी भी यह कहा जा रहा है कि भारत रक्षित बैंक उन पर नियंत्रण करता है।

जहां तक भारत के गांवों में बैंकों की शाखायें खोलने का संबध है, भारत के राज्य बैंक की ७१२ शाखाओं में से भी अधिकतर शाखायें शहरों में ही हैं। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि सरकारी क्षेत्र के ८ बैंकों की १५०० शाखायें हैं जबकि २९५ गैर सरकारी बैंकों की ३६११ शाखायें हैं।

बैंको में अन्दर ही अन्दर गोलमाल चलता रहता है। यदि मैं उन्हें सभा में व्यक्त करूं तो तत्काल ही जनता का उनपर से विश्वास उठ जायेगा।

बैंकों की अंश पूंजी कार्यकारी पूंजी का केवल १.९ प्रतिशत होती है। इस प्रकार लाभ शत प्रतिशत रहता है। यही कारण था कि वित्त मंत्री को विशेष अभ्यावेदन भेजा गया कि बैंकों पर एस० पी० टी० लागू न दिया जाये।

ऐसे समय जब देश को अधिकाधिक पूंजी तथा संसाधनों की आवश्यकता है हमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर अर्थ व्यवस्था का विकास करना चाहिये तथा बैंकों में जो धांध-लियां चलती हैं उन्हें भी समाप्त करना चाहिये।

†**श्री प्र० रं० पटेल** (पाटन): देश के सामने प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान स्थिति में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना ठीक रहेगा। मेरे विचार से ऐसा करना अनुचित है। यह कहा जाता है कि बैंक काफी मुनाफा कमा रहे हैं। तथा इसमें मुनाफे का उपयोग सरकार द्वारा देश के कार्य के लिये किया जा सकता है। तथापि माननीय सदस्यों को यह भी स्मरण रखना चाहिये कि यह व्यववसाय खतरे से भरा हुआ है। यदि इस व्यापार में मुनाफा है तो माननीय सदस्यों को यही कार्य करना चाहिये।

जहां तक बैंकों के मुनाफे का प्रश्न है यह बात मैनेजर, निदेशक की कार्यकुशलता तथा बैंकों की सच्चाई पर निर्भर करती है।

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि बैंकों पर अधिकार अंशधारियों का रहता है न कि निदेशक का तथा अंशधारी प्रश्न पूछ कर मनमानी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

जहाँ तक गावों में बैंक सुविधाओं का प्रश्न है वहां यदि राज्य बैंक की शाखायें नहीं है तो डाकखाने मौजूद हैं जहां जनता को पैसा बचाने की सभी सुविधायें प्राप्त हैं। जनता उनका उपयोग कर सकती है।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : संकल्प की शब्दावली से यह ज्ञात होता है कि महिला सदस्यों ने आपातकाल की आड़ लेकर यह संकल्प लाने का प्रयत्न किया है। ऐसा महत्वपूर्ण बात के लिये आपातकाल की आड़ लेना ठीक नहीं है।

राष्ट्रीयकरण तब तक बेकार है जब तक कि उसका संचालन ऐसे लोगों द्वारा न किया जाये जिन लोगों में निस्वार्थ और आत्मत्याग की भावना न हो।

---

†मूल अंग्रजी में

हमें अपने राष्ट्रीयकृत उद्योगों का कार्य देखना चाहिये। आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रीयकरण का लाभ केवल एक ही पार्टी के लोगों को प्राप्त हुआ है। वस्तुतः जो लोग चुनाव में हार जाते हैं उन्हें इन राष्ट्रीय उद्योगों में स्थान प्राप्त हो जाता है। मेरे पास ऐसे १२ से १५ लोगों की सूची है जिन्हें इस प्रकार जगह दी गयी है।

इस संबंध में मैं प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों का ध्यान माननीय सदस्यों की ओर दिलाना चाहता हूं। प्राक्कलन समिति ने पहिले लोक-सभा के ३९ वे प्रतिवेदन में, दूसरी लोक-सभा के ३८ वें प्रतिवेदन में और पुनः तीसरी लोक सभा के ३२वे प्रतिवेदन में बार बार यह सिफारिश की है कि राष्ट्रीयकृत उद्योगों में नियुक्ति एक पृथक लोक-सेवा आयोग द्वारा की जानी चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

इस के पश्चात् लोक-सभा की बैठक सोमवार, १५ अप्रैल, १९६३/२५ चैत्र, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शनिवार, १३ अप्रैल, १९६३

२३ चैत्र, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	४०८७–४११५
	तारांकित प्रश्न संख्या	
८३९	खरादों का निर्यात	४०८७–८८
८४०	दूसरा राज्य व्यवापार निगम	४०८९–९०
८४१	खादी संस्थाएं	४०९०—९२
८४२	गोआ में उद्योग	४०९२—९५
८४३	दुकानों में खुदरा मूल्यों की सूची का लगाया जाना	४०९५—९८
८४४	इलैक्ट्रिक शीट रोलिंग मिल	४०९८–९९
८४६	बची हुई रद्दी चाय से कैफीन का निर्माण	४०९९—४१०१
८४७	कपड़ा मशीन निर्माण उद्योग	४१०१–०२
८४८	निम्न कूप भट्टी	४१०२—०४
८४९	मेत्तूर बांध पर अल्युमिनियम संयंत्र	४१०४–०५
८५०	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का निदेशालय बोर्ड	४१०५—०७
८५१	लौह अयस्क खानों में काम बन्द होना	४१०७–०८
८५३	खेती के औजार	४१०८–०९
८५४	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	४१०९–१०
८५५	रूरकेला इस्पात कारखाना	४११०—१२
८५६	इस्पात उत्पादन का लक्ष्य	४११२–१३
८५७	मध्य प्रदेश में अल्युमिनियम कारखाना	४११४–१५
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—	४११५—३९
	तारांकित प्रश्न संख्या	
५४६	'फिएट' कारों का संम्रण	
८४५	आन्ध्र शुगर्स लिमिटेड	४११५
		४११५–१६

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१७९४	सूत की कीमतें	४११६
१७९५	उत्तर प्रदेश में रेशम कीट पालन उद्योग	४११६–१७
१७९६	गाजीपुर में कागज का कारखाना	४११७
१७९७	उत्तर प्रदेश में उद्योग	४११७–१८
१७९८	विदेशी फिल्मों का आयात	४११८
१७९९	भारतीय फिल्मों का निर्यात	४११८–१९
१८००	सीमेंट के कारखाने	४११९
१८०१	आसाम में रेशम उद्योग	४११९
६८०२	आसाम में हस्तशिल्प	४१२०
१८०३	उड़ीसा के लिए नालीदार लोहे की चादरें	४१२०–२१
१८०४	उड़ीसा के लिए स्टेनलैस स्टील	४१२१
१८०५	उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां	४१२१
१८०६	उड़ीसा में हस्तशिल्प उद्योग	४१२१–२२
१८०७	उड़ीसा में हस्तशिल्प उद्योग	४१२२
१८०८	पूर्व योरोपीय देशों के साथ व्यापार	४१२२–२३
१८०९	इंडियन ड्रग्स एण्ड फारमास्यूटिकल्स लिमिटड	४१२३
१८१०	'मोपेड्स' का उत्पादन	४१२३
१८११	विदेशी क्रय संगठन	४१२३–२४
१८१२	काजू	४१२४
१८१३	'पावर टिलर्स' का निर्माण	४१२४
१८१४	राजस्थान में ऊन उद्योग	४१२५
१८१५	सीमेंट उत्पादन	४१२५
१८१६	भारत के साथ अमरीकी व्यापार	४१२६
१८१७	व्यापार चिन्हों का उपयोग	४१२६
१८१८	ईरान से मेवों का आयात	४१२६–२७
१८१९	उत्पादन तथा निर्यात के लक्ष्य	४१२७
१८२०	ओखला में आधरूप (प्रोटोटाइप) उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र	४१२८
१८२१	परियोजनाओं को चालू करना	४१२८–२९

विषय		पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१८२२	सूक्ष्म औजारों का कारखाना	४१२९
१८२३	भारतीय कपड़ा मिलों के लिये मिस्री कपास	४१२९–३०
१८२४	निर्यात वस्तुओं का बाजार भाव	४१३०–३१
१८२५	इमारती लकड़ी के ठेकेदार से बकाया रकम की वसूली	४१३१
१८२६	रूस को चाय का निर्यात	४१३१
१८२७	एयर राइफल्स	४१३१–३२
१८२८	छोटे पैमाने के उद्योगों के कर्मचारियों का प्रशिक्षण	४१३२
१८२९	नेपा मिल्स	४१३२–३३
१८३०	मद्रास के लिये सीमेन्ट का कोटा	४१३३
१८३१	दिल्ली में बिजली के सामान की चोर बाजारी	४१३३
१८३२	हिमाचल प्रदेश तथा कांगड़ा-कल्लू का औद्योगिक सर्वेक्षण	४१३४
१८३३	पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात	४१३४
१८३४	आंध्र प्रदेश के हथकरघा बुनकरों के आवास के लिये बस्तियां	४१३४–३५
१८३५	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	४१३५
१८३६	आंध्र प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम	४१३५
१८३७	कुनूर में चाय नीलामी केन्द्र	४१३६
१८३८	हंगरी के साथ व्यापार करार	४१३६
१८३९	लन्दन में राष्ट्रमण्डलीय व्यापार मंत्रियों का सम्मेलन	४१३६–३७
१८४०	निर्वाचन याचिकाएं	४१३७
१८४१	केरल में टिन की चादरों का उत्पादन	४१३७–३८
१८४२	आन्ध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग	४१३८
१८४३	बस्तर जिले में लोहे का कारखाना	४१३९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ४१३९—४२

डा० लक्ष्मीमल सिंघवी ने पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के नवजान स्टेशन के निकट ११ अप्रैल, १९६३ को एक विशेष सैनिक रेल गाड़ी पर नागा विद्रोहियों द्वारा गोली चलाये जाने की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया ।

रेलवे मंत्री (श्री शाहनवाज खां) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विषय	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४१४२–४३
निम्नलिखित पत्र टेबल पर रखे गयेः—	
(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक ३० मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५३९ में प्रकाशित सूती वस्त्र (नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६३ की एक प्रति ।	
(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रतिः—	
(एक) रुस और चेकोस्लोवाकिया में लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन ।	
(दो) रुस और चकोस्लोवाकिया में वस्त्र उद्योग के बारे में भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन ।	
(तीन) वर्ष १९६१–६२ के लिए नमक विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन ।	
(चार) (क) समवाय प्रतिवेदन, १९५६ की धारा ६१९–क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत, वर्ष १९६१–६२ के लिए नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, यादवपुर, कलकत्ता की वार्षिक रिपोर्ट उसके लेखापरीक्षित लेख और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।	
(ख) उपरोक्त कम्पनी के कार्य-संचालन के बारे में सरकार की समीक्षा ।	
प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	४१४३–४४
छब्बीसवां और सत्ताईसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	
सदस्यों का निलम्बन	४१४४—४६
श्री मनी राम बागड़ी को सात दिन के लिए सभा की सेवा से निलम्बित किया गया । स्वामी रामेश्वरानन्द और श्री हुकम चन्द कछवाय को इस अधिवेशन की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलम्बित किया गवा ।	
विधेयक पुरस्थापित	४१४६—६०
राजभाषा विधेयक, १९६३ ।	
अनुदानों की मांगें	४१६१—७५
इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन —स्वीकृत	४१७६
उन्नीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ।	
गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—वापिस लिया गया . . .	४१७६—८८
श्री प्र० कें० देव द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में विषमता के संबंध में १५ मार्च, १९६३ को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा जारी रही । श्री प्र० कें० देव ने वाद-विवाद का उत्तर दिया । संकल्प लोक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन . . .	४१८८—९५
श्रीमती सुभद्रा जोशी ने आपातकालीन स्थिति को देखते हुए बैंकोंका राष्ट्रीयकरण किये जाने के संबंध में २९ मार्च, १९६३ को प्रस्तुत किये गये अपने संकल्प पर अपना भाषण समाप्त किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
सोमवार, १५ अप्रैल, १९६३/२५ चैत्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि	
इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और मतदान ।	
आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा ।	

GMGIPND—LS III—330(Ai) LS—4-6-63—160